

लोकोक्ति और मुहावरा

स्वरूप-विश्लेषण

डॉ. सूर्यप्रकाश

लोकोंके और स्वरूप-विश्लेषण

बुडवा

डॉ. सूर्यप्रकाश

प्रकाशक

लोक प्रकाशन, नई दिल्ली-110009

लोकोक्ति और मुहावरा : स्वरूप-विष्णेपण
© डॉ० सूर्य प्रकाश

प्रकाशक

लोक प्रकाशन

39-डी, पुरानी गुला काँलोनी
नई दिल्ली-110009

लोक प्रकाशन नई दिल्ली के द्वारा प्रकाशित एव हरिकृष्ण प्रिट्स,
शाहदरा दिल्ली-32 मे मुद्रित। आवरण मञ्जा थी चैतनदाम स तथा
आवरण मुद्रण गणेश प्रेस, गाधीनगर दिल्ली-31 द्वारा।

मूल्य
60.00 रुपये

संस्करण

प्रथम, 1990

मातृदेव-पितृदेव को सशङ्क...

विषय-अनुक्रम

लोकोक्ति स्वरूप विश्लेषण / 17-54

लोकोक्ति विमर्श

लोकोक्ति के समानाधक शब्द

लोकोक्ति की परिभाषा एवं रूप-सरचना—संक्षिप्तता, सारगमितता सप्राणता, लोकप्रियता मानवीय अनुभव एवं उनकी सत्यता, लोकोक्ति की कुछ अन्य विशेष ताएँ एवं परिभाषाएँ। लोकोक्ति और लौकिक न्याय। लोकोक्ति और कहावत। लोकोक्ति और पहेली। लोकोक्ति और थलकार, लोकोक्ति और प्राज्ञोक्ति अथवा सूक्ति।

मुहावरा स्वरूप विश्लेषण / 55-96

मुहावरे की परिभाषा एवं रूप-सरचना

मुहावरा एवं रोजमर्रा (बोलचाल)

मुहावरा एवं समुक्त क्रिया

लोकोक्ति एवं मुहावरे में साम्य वंशम्य

लोकोक्ति एवं मुहावरे का क्षेत्र

लोकोक्ति एवं मुहावरे का महत्त्व

सदभ संकेत / 97 114

पूर्व पीठिका

मानव-जीवन के सभी पक्षों को सूत्र रूप में व्याख्यायित करने वाले, जन-जन के कण्ठ पर विरजित लोकोक्तिया और मुहावरे लोक-जीवन के न्यायशास्त्र, लोकाचारण की आचार-सहिता, लोक-मान्यताओं के मानक बोका तथा मानव-समाज की मनीया है, जिनका चमत्कार पूर्ण प्रयोग अभिव्यक्ति-कौशल के रूप में परम्परामुक्त रूप से होता है। लोकोक्तियों एवं मुहावरों का प्रयोग प्राय दो क्षेत्रों में स्वीकृत है—क जन साधारण, ख साहित्य। इसमें मानव-जीवन के मुख-दुख, हर्ष-विषाद, ईर्ष्या-लोभ, रुचि-अरुचि, प्रेम-धूणा, राग-द्वेष, समर्थन-विरोध, सफलता-असफलता, उन्नति-अवनति, मूर्खतापूर्ण-विद्वत्ता-पूर्ण व्यापारों के अतिरिक्त रीति-रिवाज, भनन-चिन्तन, आचार-विचार, तथा आर्थिक-धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, सास्कृतिक जीवन आदि की सफल अभिव्यजना होती है। मानव-जीवन से सम्बन्ध रखने वाला शायद ही कोई ऐसा विभाग हो जो इनके क्षेत्र में न आया हो। यही कारण है कि लोकोक्तिया एवं मुहावरे वाणी के शृणार बनकर जहा लोक-साहित्य में अपना प्रमुख स्थापित करने में सफल हुए हैं, वहाँ अभिजात अथवा शिष्ट साहित्य में भी साहित्यिकारों द्वारा सम्मूजित हुए हैं। भावपूर्ण प्रसगों वी उद्भावना के अवसर पर वाग्मितामुक्त इन भगिमापूर्ण, विदग्ध, भावप्रेरित एवं भावानुभोदित लोकोक्तियों एवं मुहावरों के प्रयोग से साहित्य में जो सौन्दर्यं प्रस्फुटित हुआ है, वह सर्वथा आकर्षक एवं विलक्षण होने के कारण अधिकाधिक प्रभावशाली बनकर सहृदय के चित्त को चमत्कृत कर देता है। वस्तुत लोकोक्तिया व मुहावरे साहित्य-रत्नाकर की बहुमूल्य रत्नावलि हैं, जिनसे मुसज्जित होकर साहित्य अपूर्व दैर्घ्य-सम्पन्न बन जाता है।

‘लोकोक्ति और मुहावरा . स्वरूप-विशेषण’ नामक इस पुस्तक में विभिन्न कोशकारों एवं विद्वानों—विशेषतः सम्बन्धित विषय पर शोध-कार्य करने वाले शोध-कर्ताओं की एतद्विषयक मान्यताओं का समुचित परिशीलन कर लोकोक्ति एवं मुहावरे के स्वरूप वो स्पष्ट किया गया है। इनमें प्रथम लोकोक्ति शब्द का अर्थं स्पष्ट करते हुए लोकोक्ति के समानार्थक प्रयुक्त शब्दों, विभिन्न परिभाषाओं तथा प्रमुख तत्वों का विवेचन किया गया है। लोकोक्ति की कतिपय विशेषताओं—सक्षिप्तता, सारगम्भितता, सप्राणता एवं लोकप्रियता में मूल रूप में टूच ने प्रथम तीन गुणों को और उसके बाद हैस्टिग्स ने चतुर्थ तत्त्व के रूप में लोकप्रियता को अनिवार्यं तत्त्व स्वीकार किया है। इन तत्वों के अतिरिक्त मानवीय अनुभव और उनकी सत्यता, प्रसगानुकूल उपयुक्तता, सरलता, उपयोगिता,

तुक-साम्य आदि विशेषताओं पर विचार किया गया है। लोकोक्ति के समानान्तर प्रयुक्त शब्दों में—लौकिक न्याय, कहावत, प्रहेलिका, अलकार तथा प्राज्ञोक्ति के साथ साम्य-वैपर्य प्रतिपादित कर लोकोक्ति के स्वतन्त्र अस्तित्व की पहचान करायी है।

‘मुहावरा’ अरबी भाषा का शब्द है जो फारसी के माध्यम से हिन्दी में आया है। ‘गया सुल्लुगात’, ‘फरहग आसफिया’ तथा ‘लुगात किश्वरी’ आदि फारसी कोशों के अतिरिक्त अनेक हिन्दी-अंग्रेजी कोशकारों तथा अन्य विद्वानों के मतों की समीक्षा कर इसको परिभाषावद्ध किया गया है। मुहावरे का प्रहेलिका, सुभाषित, लौकिक न्याय, दृष्टकूट आदि के साथ भी पर्याप्त साम्य-वैपर्य है। इसी प्रवार कुछ चलते क्रियापदों को मुहावरा समझने का भ्रम हो जाता है, अतः युग्मक क्रिया अथवा सयुक्त क्रिया के साथ तुलना करके इस भ्रम का निवारण किया गया है।

लोकोक्ति एवं मुहावरे में पर्याप्त साम्य होने पर भी अत्यधिक वैपर्य है। रूपात्मकता, अर्थ-विधान, प्रयोजन एवं प्रयोग आदि के निकायण द्वारा इनमें परस्पर पार्थक्य स्थापित किया गया है।

अन्ततः इसके अनन्तर इनके क्षेत्र एवं महत्त्व पर प्रकाश डाला गया है। साहित्य के उभय दोओं, लोकसाहित्य व अभिजातसाहित्य में अपना वर्चस्व स्थापित करने में सफल लोकोक्ति और मुहावरे का महत्वाकान भी क्षेत्र की भाँति द्विविध रूपों में किया गया है—

के लोक-वाणी के शृगार के रूप में, इनकी लोक-स्थाति के आधार पर।

ख काव्य-भाषा के अलकार के रूप में, इनकी साहित्यिक उपयोगिता के आधार पर। अन्त में मैं उन सभी विद्वानों एवं शोध-कर्ताओं के प्रति हार्दिक बृतज्ञता प्रकट करना अपना कर्तव्य समझता हूँ जिनकी ज्ञान-राशि का उपयोग इस पुस्तक को तैयार करने में किया गया है।

इस पुस्तक के लेखन-मुद्रण में श्रुटियों का रह जाना स्वाभाविक है। यह भी सम्भव है कि इस विषय पर कार्य करने वाले कुछ शोध-कर्ताओं के नाम सूचनादि के अभाव में छूट गए हो। ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि इसे मेरी असमर्थता व अनवधानता समझकर भविष्य में इसके सशोधन-परिवर्धन के लिए तत्सम्बन्धी सूचना व सुझाव देकर उपडृत बरेंगे। इस पुस्तक में स्थापित तथ्यों से यदि किसी विद्वद् वर्य की स्थापना वो अन्याने ढेम पढ़ूची हो, तो उसके लिए क्षमा चाहूगा। हिन्दी जगत् में लोकोक्ति और मुहावरे दो मान्य स्वरूप प्रदान करने में यह पुस्तक उपयोगी सिद्ध होगी और इसका समुचित आदर होगा—इस आदा में साथ यह पुस्तक पाठकों की सेवा में प्रस्तुत है।

हिन्दी-विभाग,

हरिराज ऑलिज, दिल्ली विश्वविद्यालय,
दिल्ली—110007

—सूर्यप्रकाश

आमुख १

डॉ० सूर्यंप्रकाश कृत 'लोकोक्ति और मुहावरा : स्वरूप-विश्लेषण' अपने ढंग का एक मौलिक एवं अनूठा कार्य है। लेखक ने पहले 'लोकोक्ति' के स्वरूप पर विचार किया है। इस विवेचन को कई आयामों में विभक्त किया गया है। जैसे—सर्वप्रथम १ 'लोकोक्ति' शब्द की विशद व्याख्या २. 'लोकोक्ति' के लक्षण निर्धारक तत्त्व ३ समान विधाओं से अन्तर। 'लोकोक्ति-विमर्श' के रूप में लेखक ने विशेष सदाशायता से काम लिया है। 'लोकोक्ति' शब्द 'लोक + उक्ति' इन दो शब्दों से मिलकर बना है। इस सम्बन्ध में प्रस्तुत ग्रन्थ में सर्वप्रथम 'सस्कृत लोकोक्ति सम्ब्रह' में व्यक्त 'लोकोक्ति' का शाब्दिक अर्थ प्रस्तुत किया है—लोकोक्ति : लोक कल्याणाय उक्ति, लोक प्रचलिता उक्ति। इस कथन में समस्त पदमूलक लोकोक्ति शब्द का विभक्तमूलक अर्थ व्यक्त किया गया है। प्रथम अर्थ के अनुसार 'लोकोक्ति' शब्द स्पष्ट रूप से कथन की उपयोगिता पर प्रकाश डालता है और द्वितीय अर्थ में उस उपयोगिता का परिणाम स्वीकृत किया गया है। इस विमर्श का आशय यह है कि जो उक्ति लोक-कल्याणकारक होगी वही अपनी उपयोगिता के कारण लोक में प्रसिद्ध होगी। यहाँ ये दोनों ही विवक्षाएँ एक-दूसरे की पूरक हैं। इनमें चौली-दामन का साथ है। ये एक ही सिवके के दो पहलू हैं जो 'गिरा अरथ जल बीचि सम कहियत भिन्न न भिन्न' की छवि से प्रपूरित हैं। लेखक ने अपने इस ग्रन्थ में 'लोक तथा 'उक्ति' का भी विशद विवेचन किया है। 'लोक' शब्द का सामान्यतः समाज, या लोग अर्थ बहुचर्चित है। 'लोकोक्ति' के सदर्भ में यही अर्थ ग्रहण किया जाता है। 'उक्ति' के लिए 'कथन' शब्द का व्यवहार निरन्तर होता है। और लोकोक्ति के सदर्भ में मही अर्थ सर्वग्राह्य है। फिर भी अध्यवसाय सूक्ष्म-न्यून तथा विशुद्धता की दृष्टि से यह विवेचन उपयुक्त है।

शाब्दिक विमर्श के पश्चात् लेखक ने लोकोक्ति के पारिभाषिक तत्त्वों का विश्लेषण किया है। इस विश्लेषण में लेखक की सम्भ्रहात्मक दृष्टि प्रस्फुटित होती दिखाई देती है। और लेखक ने लोकोक्ति के स्वरूप-निर्धारक तत्त्वों का एक अच्छा कोश तैयार कर दिया है। लोकोक्ति का लक्षण निर्धारित करते समय लेखक ने सर्वप्रथम कुछ विद्वानों के भतों का उल्लेख किया है। ये सभी भत यूरोपीय भाषाओं के हिन्दी-रूपान्तर के रूप में प्रस्तुत किये गए हैं। कतिपय उदाहरणों को यहाँ उद्धृत करना समीचीन है—

"ससार की समस्त सद्भावनाएँ लोकोक्तियों में निहित होती हैं।"

"लोकोक्तिया अनुभवों की सतति है।"

"लोकोक्तिया ज्ञान का पथ है।"

“प्रत्येक लोकोकित सत्य होती है।”
“लोकवाणी ईश्वरीय वाणी होती है।”

इन मतों में यह स्पष्ट है कि विद्वानों ने ‘लोकोकित’ के तत्त्वों का ‘स्वान्त-सुखाय’ निरूपण किया है। परन्तु इस पृथक् व्यावृति में ही लोकोकित का समष्टि-विधान निहित है। ये सभी मत बिखरे हुए मोती हैं जिन्हे एकत्र करके क्रमबद्ध-रूप में पिरोना ही तो लेखक वा कार्य है। उपर्युक्त परिभाषाओं में लोकोकित के तात्त्विक स्वरूप का प्रतिपादन भिन्न-भिन्न विशेषताओं के आधार पर किया गया है। लेखक का यह मत गहन एवं सचिन्त्य है, क्योंकि इन सभी परिभाषाओं में लोकोकित के तत्त्वों का विशद निरूपण है। कुछ विश्लेषणात्मक तत्त्व-शृंखला इस प्रकार हैं।

1. लोकोकित भे सावंभीम सत्य विद्यमान रहता है।

2. अनुभव या लोकानुभव लोकोकित मात्र का अनिवार्य तत्त्व है।

3. लोकोकित ‘ज्ञान’ वा साधन है। वह आप्त वाक्य प्रकरण भी होती है। इन सभी परिभाषाओं को मिलाकर लोकोकित की परिभाषा करें तो वह इस प्रकार होगी—“लोकोकित—लोकानुभव-प्रसूत लोक जीवन से सम्बद्ध सावंभीम सत्य पर आधारित आप्त वाक्य या आप्तवाक्यवत् होती है।” इस प्रकार लोकोकित के निम्नलिखित तत्त्वों पर निर्धारण होता है।

1. सावंभीम सत्य 2. लोकानुभव 3. आप्तता।

प्रस्तुत ग्रन्थ में आगे चलकर लोकोकित के तत्त्वों पर भी विचार किया गया है और विद्वानों के प्रचलित मतों का आधार लेकर आगे बढ़ते हुए इन तत्त्वों का उल्लेख भी किया है—

“सदिष्पता, सारण्गभिता, सप्राणता, लोकप्रियता, प्रसगानुकूल उपर्युक्तता, पुष्टि अथवा विरोध, सरलता, उपयोगिता, पूर्णवाक्य या वाक्य समूह, मुक्तसाम्य, अप्रस्तुत प्रयोग, वंचित्य, प्रहृति वा गम्भीर निरीक्षण, घटना या व्याहानी से सम्बद्धता, समाज-नीति, धर्म, ध्ययहार, विद्या, उपदेश, विश्वास, रीति, ज्ञान आदि की विद्यमानता।”

इन तत्त्वों के देशने से तो ऐसा लगता है जैसे भ्रह्माङ्क वा समस्त ज्ञान, विज्ञान विद्या, नीति और धर्मादि लोकोकित के वामनाकार में ही समाहित हो गये हैं। यह यथार्थ भी है क्योंकि सोकोकित वा विषय-दोष बढ़ा ही विस्तृत है; परन्तु इन विषयात्मक तत्त्वों को प्रहृण करने पर आधार एक ही है—लोकानुभव अर्थात् लोकस्यानुभव, क्योंकि सोकोकित वा विषय वही बनता है जो ‘लोकानुभव’ पर आधारित हो—“उक्ति वागद वी भेदो मही आग्नो वी देवी हो।” अत लोकानुभव ही लोकोकित वा प्राप्तान विषय है और उगी में “अशयवट के वासन वे उदर की माति” साकार विद्व वा समस्त आनार ममार्गा है। इस प्राप्तार सोकोकित के विषय-तत्त्व वे रूप में समग्र रूप से लोकानुभव को ही पृष्ठा दिया जाता है। सेतार ने यहां सोकोकित के विषय-तत्त्व के रूप में अपनी पारणा को बेन्डीदूत एवं व्यवस्थित करने में सफलता प्राप्त की है। सोकोकित के विषय-तत्त्वों में मणिज्ञा, मारणमिताता तथा सप्राणता भी सोकोकित के अनिवार्य तत्त्व हैं। सोर्वदिव्या भी सोकोकित वा महाव्याप्त तत्त्व है, परन्तु मेरी मम्मनि में यह अतिवार्य नहीं।

है, वयोंकि हिन्दी साहित्य में असत्य उकितया ऐसी हैं जिनमें लोकोक्ति के सभी अनिवार्य गुण विद्यमान हैं परन्तु वे प्रचलित नहीं हैं। लोकप्रियता के सम्बन्ध में भत इस प्रकार व्यवहत किया गया है—

“लोकोक्तिया लोक प्रचलित होती है। चिता लोक-प्रसिद्धि और लोक-मान्यता के कोई भी उकित चाहे वह सारगमित हो या सक्षिप्त हो, लोकोक्ति हो ही नहीं सकती। जो उकितया लोक प्रचलित नहीं होती, वे प्राज्ञोक्तिया आदि कही जाती हैं वयोंकि वे सामान्य लोकवाणी से दूर रहती हैं।”

यह भत “सूरसाहित्य में प्रयुक्त लोकोक्तियों का अध्ययन” नामक प्रभ्य से उद्घृत किया गया है जिसके लेखक डॉ० लक्ष्मीनारायण शर्मा हैं। इसके आगे जो भत है वह लेखक का स्वय का ज्ञात होता है इसका भी अवलोकन यहा वाढ़नीय है—

“लोकमान्य एव लोकविश्रुत होकर ही लोकोक्ति पूर्णता को प्राप्त करती है। लोकोक्ति के अन्य तत्त्वों में सक्षिप्तता—सारगमितता आदि की भूमिका, इसके निर्माण में गौण रूप में होती है, लोक स्वीकृति से ही लोकोक्ति का आत्म तत्त्व सिद्ध होता है।”

इस प्रकार लेखक ने लोकप्रियता, को ही लोकोक्ति का एक मात्र अनिवार्य तत्त्व स्वीकार किया है। इस धारणा से ज्ञात होता है कि स्वय लेखक तथा सदभित डॉ० लक्ष्मीनारायण शर्मा लोकप्रियता को प्राय आवश्यक मानकर चले हैं। परन्तु देखना यह है कि सूर साहित्य हो या अष्टष्ठाप, तुलसी-ग्राहित्य हो या कबीर-वाणी, जहा भी सक्षिप्त, सरल, सारगमित, सजीद, लोकानुभव पर आधारित, लोक जीवन से सम्बद्ध सार्वभौम सत्य को उद्घाटित करने वाली, महान् पुरुषों की अमरवाणी-रूप उपर्योगी और प्रेरणादायक उकितया हमें साहित्य में मिलती हैं उनमें किंचित् मात्र ही लोक प्रचलित होती है, परन्तु फिर भी वे लोकोक्तिया हैं। उन्हें लोकोक्तियों की कोटि से नहीं निकाला जा सकता — जैसे —

“तू कहता कागद की लेखी, मैं वहता आखी की देखी ॥”

“हिन्दू कहै मोहि राम पियारा तुरक कहै रहमाना ।

कबीर लड़ि-लड़ि दोक मरे-मरम न काढू जाना ॥”

“बकरी पाती खाति है ताकी काढ़ी खाल ।

जे नर बकरी खात है तिनके कोन हूवाल ॥”

“प्रमुजी मेरे ओगुन चित न धरो ।”

“सूरदास तीन्यो नहिं उपजें धनिया, धान, कुम्हेड़ी ।”

“झघो मन माने की बात ।”

“धीरज धरम मिथ अरु नारी । आपद काल परखि यह चारी ॥”

“दुष्ट संग नहिं देह विधाता ॥”

“सठ सुधरहि सत सगति पाई ।”

“दया धरम को मूल है, पाप मूल अविमान ।

तुलसी दया न छोड़िये जब लगि घट मे प्रान ॥”

उपर्युक्त सभी उक्तिया साहित्य की हैं और जन सामान्य में प्रचलित भी नहीं हैं। इनका प्रयोग केवल साहित्य के विद्यार्थी और अध्यापक ही उद्धरण के रूप में करते हैं, परन्तु इन्हें लोकोक्ति के रूप में मानने से भी कोई इनकार नहीं कर सकता। इसका कारण क्या है? यही कि इन उक्तियों में लोकोक्ति से सभी अनिवार्य तत्त्व, जैसे—सक्षिप्तता, सारगम्भिता, सजीवता, सरलता, उपयोगिता, प्रेरणादायकता, लोकानुभव तथा लोकजीवन से सम्बद्ध सत्य विद्यमान हैं। अतः लोकोक्ति का एक मात्र तत्त्व लोक प्रचलन ही नहीं है। लोकोक्ति का कलेवर तो उसके उपर्युक्त तत्त्वों के समुग से ही निभित होता है—चाहे वह उक्ति लोक-प्रचलित हो या नहीं। इससे लोकोक्ति के स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लोक की दृष्टि में आते ही जो उक्ति सुगन्ध और शीर्य की भाँति तुरन्त समाज के मन-मानस में विहरित होने लगती है, वही लोकोक्ति होती है। 'तुक साम्य' लोकोक्ति का कोई अपरिहार्य तत्त्व नहीं है। यह तो सरलता का ही एक अशामात्र है। प्रसगानुकूल उपयुक्तता उसकी उपयोगिता में ही निहित रहती है। अप्रस्तुत विधान, उक्ति वैचित्र्य सजीवता के ही घोटक हैं। इस प्रकार लोकोक्ति के स्वरूप-निर्माण में जो अनिवार्य तत्त्व विद्यमान रहते हैं—वे इस प्रकार हैं—

लोक-जीवन से सम्बद्ध सत्य, लोकोक्ति का विषय होता है। नोकानुभव विषय को स्वीकार करने का साधन है। सारगम्भिता, सजीवता उपयोगिता और प्रेरणादायकता लोकोक्ति के गुण हैं। पुष्टि और विरोध लोकोक्ति की प्रवृत्ति है। सक्षिप्तता इसकी शैली और सरलता लोक-प्रसिद्धि का मूल आधार है। इस प्रकार जहा ये सभी तत्त्व समबैत रूप में उपस्थित हो जाते हैं वही लोकोक्ति का निर्माण हो जाता है—चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात।

लोकोक्ति के सम्बन्ध में एक यह धारणा भी अकाट्य रूप में व्याप्त है कि लोकोक्ति विना लेखक की रचना होती है अथवा इसके निर्माता का पता नहीं होता। लेखक ने भी यह तत्त्व अपने विवेचन में लिया है। द्रेंच का यह कहना सर्वथा अनुचित है कि लोकोक्तियों का लेखक ज्ञात ही नहीं होता। लेखक ने इस दृष्टि से इनके दो विभाग किए हैं—ज्ञातनामा तथा अज्ञातनामा। ज्ञातनामा लोकोक्तियों के रचयिता का नाम प्रयोगता को ज्ञात होता है। अनेक साहित्यकारों द्वारा प्रयुक्त लोकोक्तिया उन्हीं के नाम से ज्ञात होती हैं। लेखक का यह मत सर्वथा स्वीकार्य है।

अन्त में प्रसगानुकूल लोकोक्ति के स्वरूप-विवेचन-सम्बन्धी तीसरे चरण पर भी विचार वर लेना चाहिए, जहा लेखक ने लोकोक्ति की समानान्तर विधाओं से उसकी समता-विषयता वा प्रस्तुत उठाया है—

सर्वप्रथम लोकोक्ति और लोकिक न्याय के सम्बन्ध में विचार किया गया है। लोकिक न्याय कोई पृथक् से विषय नहीं है। वह तो एक विषय है जो लोकानुभव-प्रसूत होता है। अतः लोकिक न्याय अर्थात् लोक जीवन से सम्बद्ध सत्य जो लोकानुभव-प्रसूत होता है—लोकिक न्याय वहलाता है और यह लोकोक्ति का विषय हो सकता है। यदि लोकिक न्याय (लोक-सत्य) यो सदिप्तता आदि सभी तत्त्वों के साथ प्रयुक्त विषय जाता है तो वह भी लोकोक्ति की बोटि में आ जाता है। ५० रामनरेश त्रिपाठी ने लोकिक

शाय और लोकोक्ति मे जो अभिन्नता स्वीकार की है, उसका आधार वे ही सूत्र या उचितया हैं जिनमे लोकोक्ति के सभी अनिवार्य तत्व विद्यमान हैं और 'लोकिक सत्य' जिसका विषय है। लेखक ने इस सम्बन्ध मे अपना सुस्पष्ट मत ही व्यवत किया है। अत यहा प्रणेता की दृष्टि वस्तुस्थिति का सम्यक् अवलोकन करती हुई चली है।

लोकोक्ति और कहावत प्रसंग मे भी लेखक ने पूर्ण विवेकशीलता का परिचय दिया है। विभिन्न विद्वानों के मत-मतान्तरों का विश्लेषण करते हुए लेखक इस निश्चय पर पहुँचने मे सफल हुआ है कि—“लोकोक्ति कहावत का समानार्थक शब्द है।” मह धारणा सही है और इलाध्य भी।

लोकोक्ति और पहेली ऐसी विधाए हैं जो प्रचलन मे अपनी पूर्ण समानता रखती है। यहा तक कि पहेली लोकोक्ति से अधिक प्रचलित देखी जाती है, परन्तु सक्षिप्तता, सार गमितता, मार्मिकता, प्रेरणादायकता आदि गुणों का अभाव रहने वे कारण पहेली को लोकोक्ति नहीं माना जा सकता। लेखक ने इस तथ्य को पूर्ण स्पष्टता के साथ अभिव्यक्त किया है—लोकोक्ति पहेली से भिन्न विधा है।

लेखक ने लोकोक्ति एव अलकारो के साम्य-वैयम्य के प्रश्न को भी उठाया है। परन्तु अलकार कोई विधा नहीं है, वह तो काव्य-सौन्दर्य के उद्भावक साधन है और लोकोक्ति, लोकप्रेरणा पर आधारित होने के कारण साध्य है। अत लोकोक्तियों मे अधिक प्रयोग उन्हीं अलकारो का मिलता है, जो लोक जीवन से सम्बद्ध सत्य को उद्घाटित करके लोक-प्रेरणा का आधार बन जाते हैं—इस प्रकार के अलकारो मे—अस-गति, विरोधाभास, व्यतिरेक, अथन्तरत्यास, विभावना विशेषोक्ति—तुल्ययोगिता, दीपक, दृष्टान्त, उदाहरण, प्रतिवस्तुपमा, निर्दर्शना तथा अन्योक्ति आदि को लिया जा सकता है। किसी-किसी विद्वान् ने 'लोकोक्ति अलकार' का भी उल्लेख किया है परन्तु यह उपयुक्त नहीं, भ्रामक ही है। लेखक ने इस स्थिति को भी स्पष्ट कर दिया है कि लोकोक्तिमात्र को एक अलकार विधा के रूप मे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

अन्त मे लेखक ने लोकोक्ति एव प्राज्ञोक्तिं अथवा सूक्ति के साम्य-वैयम्य पर विचार करते हुए मह मत स्थिर किया है—

“सिद्धप्रत कहा जा सकता है कि सूक्तियों (प्राज्ञोक्तियों) एव लोकोक्तियों मे भिन्नता का आधार प्रचलन है। प्राज्ञोक्तिया जहा प्राज्ञो द्वारा निर्मित होकर शास्त्रो अथवा विद्वद् समुदाय मे ही सम्मानित रहती हैं, वहा लोकोक्तियां लोकप्रिय होकर देश-देशान्तर तक भ्रमण करती हुई सार्वदेशिक सम्पत्ति बन जाती हैं।”

मेरी सम्मति मे लोकोक्तियों और सूक्तियों के साम्य-वैयम्य की विवक्षा करते हुए यदि सूक्ष्म एव गहन दृष्टि से देखा जाय तो लोकोक्ति और सूक्ति मे कोई भेद नहीं है जिस प्रकार लोकोक्ति और कहावत मे कोई भेद नहीं है। केवल प्रचलन के आधार पर ही लोकोक्ति और सूक्ति को पृथक् नहीं किया जा सकता, यदि दिसी उक्ति मे लोकोक्ति के निर्धारित अनिवार्य तत्व विद्यमान हैं। जिस प्रकार मानव-समाज एक है, चाहे उसकी जातिया और स्थितिया भिन्न हैं, उसी प्रकार लोकोक्ति→कहावत→सूक्ति भी एक ही है। इनमे जो भिन्नता आभासित होती है वह परिहार्य है, अपरिहार्य नहीं।

लोकोक्ति के स्वरूप पर विशद् रूप से विचार कर लेने के पश्चात् लेखक ने मुहावरे के स्वरूप पर भी विचार किया है। मुहावरे का स्वरूप विशेष विवादास्पद नहीं रहा है। कहीं-कहीं यह देखने में आता है कि 'लोकोक्ति कोशी' में मुहावरे को और 'मुहावरा कोशी' में लोकोक्तियों को रख दिया गया है। यहाँ इस भान्ति का निराकरण भी आवश्यक है। मुहावरा एक वाक्याश होता है जो 'ना' प्रत्यय से जुड़ा रहता है। मुहावरे में लक्षणा और व्यजना अनिवार्य रूप से विद्यमान रहती है मुहावरे का विषय लोकोक्ति की भाति व्यापक न होकर केवल कोई भाव होता है, जिसे व्यग्य कहते हैं। मुहावरे में इस व्यग्य का चमत्कारी रूप सजोकर रखता जाता है। इस प्रकार मुहावरा चमत्कार, सजीवता, रोचकता, मार्मिकता, गभीरता, सक्षिप्तता एवं प्रेरणादायकता में लोकोक्ति के समान ही होता है, परन्तु वह लोकोक्ति की भाति पूर्णवाक्य न होकर वाक्याश ही होता है। प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने मुहावरे के स्वरूप को निर्धारित करने के लिये देश और विदेश के सभी विद्वानों के मतों को प्रस्तुत किया है। इस दृष्टि से लेखक का प्रयत्न अवश्य ही सराहनीय है।

प्रस्तुत ग्रन्थ में लोकोक्ति एवं मुहावरे के क्षेत्र निर्धारण का प्रयास भी किया गया है। वस्तुस्थिति यह है कि लोकोक्ति का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है और मुहावरे का सीमित। लोकोक्ति का विषय—इतिहास-पुराण, ज्ञान विज्ञान, प्रकृति-सामाजिक व्यवहार और क्रियाएं, सम्यता तथा सस्कृति के सभी प्रधान रूपों जैसे—धर्म दर्शन, जीवन दर्शन, नीति आदि सभी विषयों का लोकानुभव-प्रस्तुत रूप पुस्ति और विरोध के रूप में सन्निहित रहता है। मुहावरे का क्षेत्र प्राणियों के अगादि तथा क्रिया भावादि तक ही सीमित रहता है। अत एक की दृष्टि से लोकोक्ति मुहावरे से बहुत आगे हैं। इस क्षेत्र-सम्बन्धी विवेचन को हम लोकोक्तियों और मुहावरों के वर्गीकरण के रूप में ले सकते हैं।

अन्त में लोकोक्ति एवं मुहावरे के महत्व पर प्रकाश भी डाला गया है। लोकोक्तिया समाज के हाईकोटं की नड़ीरें होती हैं और मुहावरे विष में बुझे हुए व्यायवाण, जो अपनी सफल चोटी से हृदय बो झब्बोकर देते हैं। महस्ता की दृष्टि से लोकोक्तिया और मुहावरे प्राय समान ही हैं। इनके सम्बन्ध में "बो बड़ छोट कहत अपराह्न" की ही स्थिति है। अत विवेचनोपरात यह सिद्ध हो जाता है कि लोकोक्तिया और मुहावरे के बीच लात-गाहित्य की ही विधाएं नहीं हैं अपितु सत्साहित्य की भी अत्यन्त महत्वपूर्ण विधाएं हैं क्योंकि सत्साहित्य में भी जो जीवन-ज्याति प्रज्वलित दिखाई देती है, उनका स्रोत में साक्षित्या और मुहावरे ही हैं।

निष्पत्यं यह यहने में मुक्ते अत्यधिक हृपं हो रहा है कि लेखक ने लोकोक्ति और मुहावरों में स्वरूप विश्लेषण में जो विवेकशीलता प्रदर्शित की है, उससे अध्येता-वर्गं को इन विधाओं पा सम्पन् परिचय मिल सकेगा। मेरा विश्वास है कि यह युति इस विषय की एक महत्वपूर्ण कठीं थे रूप में विद्वद्समाज में अवदय समादृत होगी। अन्त में मैं इम पुस्तक के प्रकाशन पर मानसिक कामनाओं वे साथ लेखक बो सामुदाद देता हूँ।

परोदीमन बॉनिन, दिल्ली विश्वविद्यालय
दिसंबर—110007

महानसात्र दार्मा
एम० ए० (हिन्दी-संस्कृत),
पी-एच० दी०, 'ही० तिट०'
हिन्दी विभाग

लोकोवितः स्वरूप-विवेचन

लोकोवित-विमर्श

‘लोकोवित’ शब्द में मध्यम पदतोषी समाप्ति है, यथा लोक कल्याणाय उकित लोकोवितः अर्थवा लोक प्रचलिता उकित लोकावित ।¹ ‘लोक’ शब्द नानार्थक है। यह अनेक-विधि निष्पन्न हुआ है। ‘लोकु’ धातु आत्मनेपदी है जिसका वर्तमानकालिक शब्दरूप संस्कृत में लोकते बनता है। स्वार्थ में णिच होने पर ‘लोकु’ धातु का परस्मेपद में लोक-यति शब्दरूप निष्पान्न होता है। उवन शब्दस्तो के अतिरिक्त भावार्थ में आत्मनेपद में लोकयते शब्द भी बनता है। लोक शब्द वा अर्थं स्पष्ट करने के लिए ‘लोकयतेऽसो इति लोक’ अर्थात् दिलाई देने वाले के लिए लोक को सज्जा से अभिहित किया गया है। ‘लोक’ शब्द से घन् प्रत्यय करने पर ‘लोक’ शब्द की निष्पत्ति होती है। ‘कविकल्पद्रुम’ में ‘लोक’ धातु शूक् ईश्वर अर्थं में प्रपुकन हुई है जिसका अर्थं दर्शन है² तथा एवं अन्य पुरुष एकवचन रूप लाक्षते होता है। स्पष्ट है कि ‘लोक’ शब्द वा अर्थं है देखने वाला। अत वह समस्त जन समुदाय जा इग वार्यं वो करता है, लोक कहलाता है।³

‘उकित’ शब्द वस् व्यक्तार्था वाचि धातु में उत्तरकृदन्त वितन् प्रत्यय के योग से व वो उ सम्प्रसारण होने पर निष्पन्न हुआ है। इसके दो अर्थं स्वीकृत हैं—(1) भाषा तथा (2) पथन।⁴ इन दोनों में द्वितीय अर्थं ही प्राय विश्रृत है। इस प्रकार लोकोवित का शाब्दिक अर्थ हुआ लोक प्रसिद्ध अर्थवा लोक-प्रचलित उकित।

शब्दकोषी में ‘लोक’ के अनेक अर्थं प्राप्त होते हैं। इनमें से साधारणत दो अर्थ विशेष प्रचलित हैं एक तो वह जिससे इहलोक, परलोक अर्थवा विलोक का ज्ञान होता है। वर्तमान प्रसाग में यह अर्थ अभीष्ट नहीं। दूसरा अर्थ लोक का होता है—जन-सामाज्य। इसी का हिन्दी रूप लोग है। इसी अर्थ का वाचक ‘लोक’ शब्द साहित्य का विशेषण है, किन्तु इन्हें से लोक वा वह अभिप्राय प्रवक्ट नहीं हो पाता, जो साहित्य के रूप में वह प्रदान चारता है।⁵ अमरकोपकार ने लोक का विवेचन भूतल जगत् तथा अधोलोक के अन्तर्गत किया है। नानार्थ वर्ग के अन्तर्गत लोक के भूतल तथा जन दो अर्थे किए हैं। मुख्यार्थक लोक की संख्या परिणाम की दृष्टि से अमरकोपकार ने तीन तथा सात लोकी की चर्चा की है। शब्दकल्पद्रुम में भी सप्तलोकों की चर्चा है।⁶ हिन्दी शब्दसागर में लोक

18 लोकोक्ति और मुहायरा . स्वस्पृष्ठ विश्लेषण

शब्द के 15 अर्थं किए गए हैं—स्थान-विशेष, सत्तार, निवास-स्थान, प्रदेश, लोग, समाज, प्राणी, यश, दृश्य, प्रकाश, 6 या 14 की संख्या, निज स्वस्पृष्ठ, फज, भोग्य वस्तु तथा नेत्र। हिन्दी शब्दसामग्र ने इन अर्थों का उल्लेख करते हुए यद्यपि यह भी बताने का प्रयत्न किया है कि इनका उल्लेख अमुक-अगुक स्थलों पर हुआ है, तथापि इनमें अनेक अर्थ लोक मान्य न हो सके। मुख्यतया पूर्वं विवेचित दो अर्थं ही मान्य हुए हैं।

प्रयोग की दृष्टि में 'लोक' शब्द अत्यन्त प्राचीन है। ऋग्वेद में अनेक स्थलों पर इसका प्रयोग हुआ है। वहाँ यह शब्द जन और स्थान के समानार्थी भाव का धोतक है। ऋग्वेद के एक सूक्त में व्यवहृत लोक शब्द स्पष्टतः उभय अर्थात् विद्या प्रस्तुत करता है—

नम्या आसीदन्तरिक्ष शीर्णो धी सम्वतंत्।

पदम्या मूर्मिदिदश शोप्रात्तथा लोका धकल्पयत्॥४॥

यहा॒ सृष्ट्युत्पत्ति के बर्णन में लोक शब्द स्थान तथा जीवों वा वाचक है। वैदिक साहित्य में अन्यत्र इस शब्द का प्रयोग ब्राह्मण, उपनिषद् आदि ग्रन्थों में हुआ है। सप्तलोकों की पौराणिक परिकल्पना का आधार भी वैदिक साहित्य ही है। उपनिषदों में दो लोक माने गए हैं—इहलोक और परलोक। निखत में तीन लोकों का उल्लेख मिलता है—पृथ्वी, अन्तरिक्ष तथा ध्रुलोक। इनका दूसरा नाम—भू, मूर, स्व है। ये महाव्याहृति कहलाते हैं। इन तीन महाव्याहृतियों की भाति चार और शब्द है—‘मह’, ‘जन’, ‘तप’, ‘सत्यम्’। ये शब्द तीन महाव्याहृतियों के साथ मिलकर सप्त व्याहृति कहलाते हैं। इन सातों महाव्याहृतियों के नाम से पौराणिक काल में सात लोकों की कल्पना हुई—भूर्लोक, भुवर्लोक, महाव्याहृति आदि। किंर इनके साथ पाताल—जिनके नाम अतल, नितल, वितल, गमस्तिमान, तल, सुतल और पाताल हैं और सब मिलकर चौदह लोक किए गए। पुराणों में पातालों के नाम में मतभेद है। पथ पुराण में इनके नाम अनल, वितल, सुतल, रसातल, तसातल, महातल, पाताल तथा विष्णु पुराण में अतल, वितल, नितल, गमस्तिमान्, महातल सुतल और पाताल इनके नाम लिखे गए हैं। इस प्रकार चौदह लोक या मुवन माने गए हैं।^५ मूर्यनार्थक लोक शब्द पौराणिक काल में वैदिक साहित्य से प्रेरणा ग्रहण कर चौदह मूर्यनों के रूप में परिनिष्ठित हो गया। वैदिक साहित्य के अतिरिक्त लौकिक साहित्य के अन्तर्गत गीता, महाभारत आदि ग्रन्थों में प्रचुर रूप में यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। अशोक के शिलालेख में भी इसके प्रयोग से सम्प्र प्रजा का भाव प्रकट है—

अनुवत्तरासव लोकहिताय गिरिनार करथेष्ट हि मे सर्वलोकहितम्।^६

'लोक' शब्द की अद्यावधि विविध व्याख्याएः प्रस्तुत की गयी हैं। 'लोक' शब्द का समानार्थी आगल भाषा का शब्द 'फोक' प्रचलित है। फोक शब्द ऐंग्लो सेवसन शब्द Folc का विकसित रूप है। जर्मन में यह Volk हो गया है। यूरोपीय विद्वानों में सर्वप्रथम जान आवेदन ने सन् 1687 ई० में सर्वसाधारण जनता के रोतिरिवाज, रहन-सहन, अधिविद्वास आदि के अध्ययन का प्रारम्भ किया। डब्ल्यू०जे० थामस ने सन् 1846 ई० में प्रथम बार 'फोक-लोर' शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने इस शब्द की सावंजनिक पुरावृत्त (Popular antiquities) के लिए रचना की थी। आगे जाकर यह शब्द प्रयोग और व्यापकता के

कारण जातिवीधक शब्द की तरह चल पड़ा। उनका मत है कि प्राचीन असम्य और पिछड़ी जातियों वे अन्धविश्वास, उनके रीति-रिवाज तथा उनकी प्रथाएँ आदि के अवशिष्ट अश ही आगे सम्य कहलाने वाली जातियों में प्राप्त होते हैं।¹¹

डॉ० बकर ने एन्साइक्लोपीडिया लिटरेनिका के फोक डासिंग निवन्ध में 'फोक' शब्द की व्याख्या करते हुए कहा है कि एक आदिम जाति में वे समस्त जन फोक होते हैं, जिनके द्वारा वह समुदाय निर्मित हुआ है और व्यापक अर्थ में 'फोक' सम्य राष्ट्र की समग्र जन-सम्प्त्या के लिए व्यवहृत हो सकता है। फिर भी पाश्चात्य प्रकार की सम्पत्ता की दृष्टि में 'फोक' का सामान्यता प्रयोग (फोकलोर और फोर्म्यूजिक आदि समस्त पदों में) सकुचित अर्थ में केवल उन्हीं के लिए अता है जो नागरिक सम्पत्ति की धाराओं तथा विधिवत् विकास से बाहर हैं, जो निरक्षार हैं अथवा अल्पसाक्षर हैं तथा ग्राम और जनपदों में नियास बरते हैं।¹²

हिन्दी में 'फोक' का पर्याप्त ग्राम, जन और लोक के रूप में प्राप्त है। प० रामनरेश श्रिपाठी 'फोक' शब्द के समानार्थी 'ग्राम' शब्द पर ही अधिक आग्रह प्रकट करते हैं, किन्तु उनका यह विचार बहुत वैज्ञानिक स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि 'ग्राम' शब्द 'लोक' की विद्याल भावना को सकुचित रूप में प्रस्तुत करता है।¹³ इसके विपरीत 'जन' शब्द में सभी प्राणियों का समावेश किया जा सकता है और इनसे सम्बन्धित जनपद, जनप्रवाह आदि प्रचलित शब्द होने पर भी इसका समावेश 'लोक' शब्द की व्यापकता में हो जाता है। डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी भी इसके व्यापक अर्थ को प्रहण करने के पक्ष में है। जनपद पत्रिका में वे लिखते हैं कि 'लोक' शब्द का अर्थ जनपद या ग्राम नहीं, बल्कि नगरों और गांवों में फैली हुई समूची जनता है, जिनके व्यावहारिक ज्ञान का आधार पौष्टिया नहीं है।¹⁴ इस प्रकार डॉ० द्विवेदी 'लोक' शब्द का सकुचित अर्थ ग्रहण न करके इसकी व्यापक व्याख्या ही प्रस्तुत करते हैं।

डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल सम्मेसन पत्रिका के लोक-सम्पत्ति विशेषाक में 'लोक' शब्द के विषय में अपने विचार प्रकट करते हुए लिखते हैं—लोक हमारे जीवन का समुद्र है, उसमें भूत-अविष्य-वर्तमान सभी कुछ सचित रहता है। वह राष्ट्र का अमर स्वरूप है। कृत्स्न ज्ञान और सम्पूर्ण अध्ययन में सब शास्त्रों का पर्यवेक्षण है। अवचीन में मानव के लिए लोक सर्वोच्च प्रजापति है। लोक और लोक की धात्री सर्वभूतरता पृथ्वी और लोक का व्यक्ति रूप मानव यही हमारे नए जीवन का अध्यात्म शास्त्र है। इसका कल्याण हमारी मुक्तिका द्वारा और निर्माण का नवीन रूप है। लोक, पृथ्वी और त्रिलोकी में जीवन का कल्याणात्मक रूप है।¹⁵ डॉ० अग्रवाल जीवन में लोक का अतिशय महत्त्व स्थापित करते हैं। लोक से यहीं उनका अभिप्राय भूतल सथा भूलोक में निवास करने वाले लोगों से है। लोक-विषयक अपने-अपने मन्त्रव्यों को अनेक विद्वानों ने प्रसगानुसार प्रस्तुत किया है, जिनके आधार पर सहज ही यह स्वीकार किया जा सकता है कि आगल भाषा का 'फोक' शब्द 'लोक' का पर्याय होकर भी इस व्यापक अर्थ की व्यजना नहीं करता, जिस अर्थ में लोक अभिव्यजित होता है।

20 . लोकोक्ति और मुहावरा स्वरूप विश्लेषण

'लोक' एवं 'उक्ति' शब्द के विवेचन के अनन्तर विवेच्य विषय लोकोक्ति के स्वरूप प्रतिपादन का काय सुगम हो जाता है। शादिक अर्थ की दृष्टि से लोकोक्ति का अभिन्नाय है जन सामान्य में प्रचलित उक्ति¹⁶, किन्तु प्रस्तुत अर्थ में अतिव्याप्ति दोष स्पष्ट है, क्योंकि जन सामान्य की प्रत्येक उक्ति लोकोक्ति की अधिकारिणी नहीं हो सकती। वर्तएव लोकोक्ति का तात्पर्य लोक प्रसिद्ध प्रत्येक उक्ति न होकर विशिष्ट उक्ति ही हाँ। लोकोक्ति के स्वरूप के स्पष्टीकरण के लिए उसके पर्यायों, परिभाषाओं एवं प्रमुख तत्त्वों आदि पर विचार करना आवश्यक है।

लोकोक्ति के समानार्थक शब्द

'लोकोक्ति' लोक मात्र की सम्पत्ति है। स्वदेशी भाषाओं के अतिरिक्त विश्व की विभिन्न भाषाओं में इसके पर्याय रूप में शब्द प्रयुक्त हैं। लोकोक्ति का समानार्थक आर्ब भाषा का शब्द 'Proverb' है। इसका सम्बन्ध फ्रैंच के 'Proverbe' तथा इटली व लैटिन के 'Proverbio' से है। इनके अतिरिक्त लैटिन भाषा में लोकोक्ति के अर्थ में प्रयुक्त Proverbium (Pro, verbum, word) शब्द आलकारिक उक्ति का अर्थ देता है। विश्व की विभिन्न भाषाओं में लोकोक्ति के अर्थ में प्रचलित शब्दों का संग्रह कर एस० जी० चैम्पियन नामक पाठ्यात्मक विद्वान् ने उनका शादिक अर्थ भी दिया है। उनकी पुस्तक 'रेसियल प्रावृत्ति' में उल्लिखित लोकोक्ति के समानार्थक शब्दों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

1	Arabic—	'Mathal' or 'tamthal'
2	Bularian & Sebro—	'Croatian' as in Russian 'Poslovitsa'
3	Chinese—	'YEN' or 'yen yu' 'Su hua' (common talk) or 'Su yu' (common saying)
4	Czech—	'Prislovi' & 'Porekadlo' & 'rikadlo' (a saying)
5	Estonian—	'Vana Sona' (old word)
6	Finnish—	'Sanalasku' (Dropping of a word)
7	Gorgia—	'Andaza' & Igavi (Example, Form)
8	German—	'Sprich Wörter' (A Figure of Speech)
9	Greek—	'Paroemian' (by word)
10	Hausa—	'Karim Manga' (by-play with words)
11	Hebro—	'Mashal' (as Arabic, viz—to make like)
12.	Hungarian—	'Koz-Mondas' (common saying)
13	Ice Landic—	'oroskvior'
14	Irish—	'Sean Phocal' (an old word)

15. Italian—	'Proverbio' (as in Latin)
16. Jabo—	'da' 'le' 'kpa' (old matter take).
17. Japanese—	'Koto-waza' (wordsthāl work)
18. Latin—	'Proverbium' (Figurative Expression)
19. Lattish—	'Sakamvards' (Repeatable or sayable)
20. Lithuanian—	'Partarle' (to say to utter)
21. Malay—	'Umpama-an' (Likeness, similarity resemblance)
22. Maori—	'Whaka tauki' (Similar-similitude)
23. Persian—	'Amsal' (to resemble or to reproduce)
24. Polish—	'Przyslowie' (saying, Expression or a by-word)
25. Ronga—	'Siga' (current saying)
26. Russian—	'Poslovitsa' (Proverbial Expression)
27. Siam—	'Suphasit' (Skt.—subhasit, Pali—Subhasito—well spoken word)
28. Spanish—	'Proverbio' (an apothegm, a maxim—not a proverb)
29. Spanish—	'Refram' (Referendo)
30. Swedish—	'Ordspark' (ord-word, sprak-language)
31. Swahili—	'Methali', 'Methili', 'Mushi' (from the Arabic) (Allegory or similitude)
32. Turkish—	Atlasozu(Grand father's saying or Elder's word etc.)
33. Welsh—	'Diharreb' or 'Dihaeerb' (A saying, to affirm or assert)
34. Yoruba—	'Owe' (Riddless or play upon words). ¹⁷

उपर्युक्त शब्दों में लैटिन, इंग्लिशन तथा स्वेनिश के शब्दों में समानता है। हिन्दू व अरबी भाषाओं के शब्दों में भी पर्याप्त साम्य है। स्थाम का 'सुफ़ासिट' शब्द संस्कृत के 'सुभाषित' शब्द के सम्बन्धित है। मलय भाषा का 'उम्पमान' शब्द भी इसी प्रकार संस्कृत के 'उपमा' शब्द के पर्याप्त निकट है। इन विदेशी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग कहीं लोकोक्ति के रूप में होआ है, तो उहाँही नीति-कथा, सादृश्य या उपमा आदि के अर्थ में। इससे यह सिद्ध होता है कि लोकोक्ति के अर्थ में अथवा उसके निकटवर्ती उपमा आदि अन्य अर्थ के रूप में प्रयुक्त होकर ये शब्द विभिन्न भाषाओं में लोकोक्ति के लिए ही ग्रहण किए गए हैं। लोकोक्ति किसी भाषा, देश व काल तक सीमित न होकर 'सावं-कालिक' सावंदेशिक एवं सावंभाषिक सम्पत्ति है।

भारतीय भाषाओं में लोकोक्ति के अनेक पर्याय मिलते हैं। सस्कृत में लोक प्रवाद, लोकिकी गाथा, आभाणक जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। रामायण में अनेक स्थलों पर ये शब्द प्रयुक्त हुए हैं, यथा अशोक बाटिका में सीताजी की उकित है—

लोक प्रवाद सत्योदय पण्डितं समुदाहृत ।

अकाले दुर्लभो मृत्युं स्त्रिय या पुरपरम वा ॥१८॥

यहां सीताजी ने विद्वजन-सम्मत लोकप्रवाद की सत्यता स्वीकार की है कि स्त्री अथवा पुरुष को असमय मृत्यु दुलंभ होती है।

रामायण में अन्यथा 'लोकिक गाथा' शब्द का प्रयोग हुआ है। भरत का हनुमान के प्रति कथन है कि सौ वर्ष के व्यतीत हो जाने पर भी मनुष्य को जीवन का आनन्द प्राप्त होता है, यह लोकिक गाथा कल्याणप्रद है—

वल्याणी वत गायेय लोकिकी प्रतिभाति मे ।

एति जीवन्त मानन्दो नर वर्धं शतादपि ॥१९॥

महाकवि वाण ने कादम्बरी में 'लोक प्रवाद' शब्द का प्रयोग किया है। लोकप्रवाद है— विपत्ति विपत्ति के पीछे और सम्पत्ति सम्पत्ति के पीछे वधी होती है—सत्योदय लोक प्रवादो यद् विपद् विपद् सपद् सपदमनुवद्धनाति ॥२०॥

'आभाणक' शब्द का प्रयोग भी सस्कृत साहित्य में अनेक स्थलों पर हुआ है। 'मधुर पिण्ड को छोड़कर हाथ चाटना' इस लोकिक न्याय को 'आभाणक' शब्द के द्वारा अभिहित किया गया है—

सोऽयमाभाणको लोके विष्णमुत्सुज्य कर लेढीति ॥२१॥

पालि, प्राकृत और अपभ्रंश के ग्रन्थों में लोकोक्ति के पर्याय के रूप में प्रवाद या आहाण शब्द स्वीकृत हैं। रत्नशेखर सूत्र ने 'सिरवाल कहा' में अवस्थाण्य शब्द का प्रयोग कर 'पानी पीकर फिर घर पूछने' वाली लोकोक्ति की सत्यता सिद्ध की है—

अहवा नरवर तुमए एय अवलाण्य कथं सच्चम् ।

पाऊण पाणिय फिर पच्छा पुच्छिज्जाए गेहम् ॥२२॥

उहने की आवश्यकता नहीं कि 'आहण' अथवा 'अवलाण' शब्द सस्कृत के 'आह्यान' शब्द के ही परिवर्तित रूप हैं। 'उपर्युक्त सस्कृत के शब्दों के अतिरिक्त लोकोक्ति के पर्याय के रूप में कुछ अन्य शब्दों का भी सर सोनियर विलियम्स ने प्रयोग किया है। ये हैं—लोक वाक्य, प्राचीन वाक्य, पुराण वाक्य, लोकप्रचलित वाक्य, वाक्य, वचन, वाक् (च्), सूत्र, प्राचीन सूत्र, पुराणसूत्र, उपमान, उपदेश वाक्य, उपदेश सूत्र, न्याय, न्याय वाक्यम् ॥२३॥ उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि देशिक एवं वैदेशिक प्रायः समस्त भाषाओं में लोकोक्ति के समानार्थक शब्द उपलब्ध होते हैं। यद्यपि किसी भी शब्द का सटीक एवं यथार्थ समानार्थक शब्द सिद्ध करना मुश्किल नहीं है, तथापि अर्थ-साम्य की दृष्टि से यदेशी एवं स्वदेशी भाषाओं में अनेक ऐसे शब्द हैं, जो लोकोक्ति रूपी धुरी के इतरतत घबबर बाटकर लोकोक्ति के अर्थ का ही द्योतन करते हैं। यद्यपि 'उपदेश'

सूत्र' तथा 'न्याय वाक्य' आदि शब्दों का लोकोक्ति के साथ सीधा सम्बन्ध नहीं है, तो भी प्रसरण के अनुरूप ये शब्द जिस तथ्य की ओर सकेत करते हैं, वह लोकोक्ति से भिन्न नहीं है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि पूर्व विवेचित पर्यायवाची शब्द लोकोक्ति के लिए ही प्रयुक्त हुए हैं। इनमें कुछ शब्द लोकोक्ति से भिन्न प्रतीत होने पर भी अर्थ-नैकट्य के आधार पर लोकोक्ति के ही वाचक माने गए हैं।

॥ 118
२५८७२

लोकोक्ति की परिभाषा एव रूप-सरचना

मध्यपि किमी भी साहित्यिक विधा को सुनिश्चित शब्दों में परिभाषावद् नहीं किया जा सकता और न उसकी वैज्ञानिकता एव सत्यता को अन्तिम रूप प्रदान करने की घोषणा ही की जा सकती है, तथापि इसका इतना लाभ अवश्य है कि इससे परिभाषित वस्तु के स्वरूप का स्पष्टीकरण अवश्य हो जाता है।

लोकोक्ति लोक की सम्पत्ति होने के कारण विश्व की विभिन्न भाषाओं में एतद्विषयक विचार प्रकट किए गए हैं। योरोपीय भाषाओं को ही लीजिए, इनमें लोकोक्ति के बारे में अपनी-अपनी दृष्टि से विचार किया गया है—

- प्राचीन उक्तिया असत्य नहीं होती।
- लोकोक्तिया वातलाप में अन्धकार में प्रकाशपुज (टाचं) के समान हैं।
- ससार की समस्त सद्भावताएँ लोकोक्तियों में निहित होती हैं।
- लोकोक्तिया अनुभवों की सन्तति हैं।
- लोकोक्तिया इन का पथ हैं।
- लोकोक्तियों का सूजन अनुभव से होता है।
- लोकोक्तिया समाज का सारतत्व है।
- इष्ठ व्यक्तियों का कथन सत्य हो सकता है, किन्तु सभी व्यक्तियों का कथन सत्य ही होता है।
- लोकोक्तिया विचारों तक पहुँचने का सोपान है।
- हमारा जीवन दोप ग्रस्त हो सकता है, परन्तु लोकोक्तियों में समाविष्ट भाव वो व्यवहार में क्रियान्वित करने से जीवन दोषमुक्त हो सकता है।
- उत्तम कथन ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु है और लोकोक्तिया वभी-वभी कल्पना में पांच वे जूते के सही माप से भी अधिक उचित प्रतीत होती हैं।
- वैल्श की एक उमित के अनुसार प्रत्येक लोकोक्ति सत्य होती है।
- डच की एक लोकोक्ति के अनुसार—ये दैनिक अनुभव की दुहिताएँ हैं।
- एस्टोनियन भाषा में लोकोक्ति को विचारों की कुजिका माना गया है।
- स्पेनिश भाषा में कहा गया है कि वह लोकोक्ति लोकोक्ति कहलाने की अधिकारिणी नहीं, जो सत्य न हो, लोकोक्ति तो समस्त ज्ञान की माता है।
- एव जापानी लोकोक्ति के अनुसार—लोक-वाणी ईश्वरीय वाणी होती है।
- यिहिंग में एक लोकोक्ति है कि इसके द्वारा सत्य नदूधारित होता है।²³

24 सोकोवित और मुहावरा स्वरूप विश्लेषण

यहा लोकोक्ति के महत्त्व का प्रतिपादन बरते हुए वही वही आलकारिक शैली का आथर्य ग्रहण किया गया है। कहीं अतिशयोक्ति के आधार पर उनकी प्रशंसा की गई है, तो कहीं उनम् निहित विचार, अनुभव, सत्य एवं ज्ञान के सारतत्त्व वीं चचा वीं गई है। कहीं इन्हे विचारों की सवाहिका बताया गया है, तो कहीं इन्हे विचारों की कुजी बताते हुए इन्हे विचारप्रधान सिद्ध किया गया है। इगलिश एवं डच भाषा की उक्ति भ जहा इन्हे अनुभव-प्रसूता बताया गया है, वहा इसके विपरीत स्पैनिश भाषा में इन्हें समस्त ज्ञान की जन्मदात्री सिद्ध किया गया है।

लोकोक्ति के विषय में अनेक विद्वानों ने अपने-अपने विचार प्रकट किए हैं। अरस्तू के शब्दों में—सक्षिप्त और प्रयोग के लिए उपयुक्त होने के कारण तत्त्वज्ञान के खण्डहरों में से चुनकर निकाले हुए टुकड़े—वचा लिए गए अश को लोकोक्ति की सज्जा से अभिहित किया जा सकता है। टेनीसन के अनुसार लोकोक्तिया वे रत्न हैं जो लघु आकार के होने पर भी अनन्त काल की अगुली में सदा जगमगाते रहते हैं। जुबट्टे ने इन्हे 'ज्ञान' के सक्षेपीकरण के नाम से अभिहित किया है। सर्वेण्टीज फा मत है कि लोकोक्तिया वे छोटे छोटे वाक्य हैं जो जीवन के दीर्घकालीन अनुभवों को अन्तिमिहित किए हुए हैं। एथीकोला की दृष्टि में ये सक्षिप्त वाक्य हैं जिनमें सूत्रों की तरह आदिम पूरुषों ने अपनी अनुभूतियों को भर दिया है। इरेस्मस का मत है कि वे प्रसिद्ध और मुप्रयुक्त उक्तिया लोकोक्ति कहलाती हैं, जिनकी एक विलक्षण ढग से रचना हुई हो। बाइबिल में कहा गया है कि कहावती ज्ञानज्ञानी जनों की उक्तियों का निष्पत्ति है। डिजरेली के अनुसार लोकोक्तिया पाण्डित्य की अश हैं जो मानव सृष्टि के आदिम काल में अलिखित नैतिक कानून का काम देती थी।²⁵ इस विषय में कुछ अन्य विचारकों का मन्तव्य भी देखा जा सकता है—

- (क) जीवन में व्यवहृत होने वाले छोटे छोटे कथन—एथीकोला
- (ख) जनता में निरन्तर व्यवहृत होने वाले लघु वचन—जानसन
- (ग) व्यावहारिक जीवन में मार्ग दर्शक वचन—फीस्टे
- (घ) वे कथन जो अनाम हैं, जिनके निर्माता का पता नहीं—ट्रेच
- (ङ) दीर्घ कालीन चतुराई (मानव अनुभव) से चुने हुए छोटे छोटे वचन—सर्वेण्टीज
- (च) सर्वथा जनता की अपनी भाषा में किसी सबमान्य सत्य को थोड़े से शब्दों में प्रकट करने वाला लोकप्रचलित कथन—वोरकोट्ट
- (छ) अनेकों का चातुर्यं और एक की बृद्धि का चमत्कार—एक की सूझ जिसमें अनेकों का चातुर्यं सन्निहित है—रसेल।²⁶

उपर्युक्त परिभाषाओं में लोकोक्ति के तात्त्विक स्वरूप का प्रतिपादन न हाँकर उसकी भिन्न भिन्न विद्येयताओं का ही निर्देश किया गया है। प्रथम परिभाषा में इसकी उपयोगिता सिद्ध की गई है, तो दूसरी में लोकप्रियता। तृतीय परिभाषा में इसके प्रयोगन पर प्रशंसा दाला गया है। ट्रेच ने एक नवीन तथ्य प्रकट किया है कि सोकोक्तिया अज्ञात-

नामा होती है। उनका यह भत सर्वथा स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इस दृष्टि से इनके देश विभिन्न किए जा सकते हैं—ज्ञातनामा तथा अज्ञातनामा। ज्ञातनामा लोकोक्तियों के रचयिता का नाम प्रयोक्ता को पता होता है। अनेक साहित्यकारों द्वारा प्रयुक्त लोकोक्तिया उन्हीं के नाम से जानी जाती हैं। लाड़ रसल ने इसकी धर्य में लोकोक्तियों को एक व्यक्ति की विद्यमानता तथा अनेक का ज्ञान कहा है। इन परिभाषाओं में कहीं लोकोक्तियों के सक्षिप्त रूप की चर्चा है, तो कहीं उनमें निहित मानव अनुभव, बुद्धिगत चमत्कार अथवा सर्वमान्य सत्य का प्रतिपादन किया गया है, किन्तु कोई भी परिभाषा ऐसी नहीं है, जिसमें लोकोक्तियों को पूर्णरूपेण परिभाषित किया गया हो, अतएव इनमें अधिकृत दोष आ जाता है।

विभिन्न शब्दकोशों में लोकोक्तियों का सारगमित विवेचन प्राप्त होता है। शिष्ये अपने साहित्यिक पारिभाषिक कोश में लिखते हैं कि लोकोक्तियों लोक-माहित्य का सक्षिप्त विन्दु अर्थात् पूर्ण एक सूत्रमय प्रकार है, जिसमें सामान्य अनुभव पर आधारित सक्षेपतः जीवन की एक विचारपूर्ण आलोचना होती है। सामान्यतः जनप्रिय मस्तिष्क से उद्भूत इस लोकोक्तियों में लोक-प्रचलित मनोवृत्ति का महत्त्वपूर्ण प्रतिबिम्ब होता है। रोम व जर्मन की नाटकीय व साहित्यिक आलोचना में इसका बहुधा प्रयोग हुआ है। अपनी विशेषताओं के कारण ही यह लोकोक्तियों को द्वारा ग्राह्य होती है।²⁷

एक विद्वकोश के अनुसार लोकोक्तियों किसी सत्य अथवा विस्तीर्णी विचार को एक सक्षिप्त वाक्य में कहती है। इसके प्रयोग से भाषा में सरसता एवं चिन्नात्मकता आ जाती है। इनका प्रयोग चिरकाल से अनेक व्यक्तियों द्वारा होता रहा है और आज भी प्रसरण के उपर्युक्त होने पर इनका प्रयोग होता है। जन-सामान्य द्वारा यहें विए जाने पर ही कोई उक्ति लोकोक्तियों का रूप धारण करती है।²⁸

विभिन्न कोशों में लोकोक्तियों की अचावधि अनेक परिभाषाएं उपलब्ध हैं। एक विश्वकोश में विवेचित तत्त्वों के आधार पर लोकोक्तियों में चार गुण स्वीकार किए गए हैं। ये हैं—सक्षिप्तता, सारगमित्तता, सप्राणता अथवा चटपटापन एवं लोकप्रियता। मूल रूप में इनमें दोनों तथा हैवेल ने प्रथम तीन गुणों को और बाद में हैस्टिंग्स ने एक अन्य तत्त्व ‘लोकप्रियता’ को इसके अनिवार्य तत्त्व के रूप में अग्रीकृत किया है।²⁹ डॉ० कर्नहैयालाल ‘सहल’ ने सक्षिप्तता, सारगमित्तता और सप्राणता किसी उत्कृष्ट लोकोक्तियों के तो अपरिहार्य गुण स्वीकार किये हैं किन्तु लोकोक्तियों मात्र के अनिवार्य गुण नहीं माने हैं।³⁰ यहा विचारणीय है कि प्रत्यक्षत डॉ० सहल ने इन गुणों को लोकोक्तियों का अपरिहार्य तत्त्व न मानकर भी परोक्षत इनके महत्त्व को स्वीकार किया है।

सक्षिप्तता—सक्षिप्तता लोकोक्तियों की अन्यतम विशेषता है। विस्तृत भाव को भी लोकोक्तियों में सक्षिप्त रूपों द्वारा अभिव्यक्त कर देती है। गागर में सागर भर देने का गुण लोकोक्तियों में विद्यमान है। व्यापक समस्याएं, अनुभव मान्मीर्य और जटिल प्रश्न छोटे से नुकीले और चटपटे वाक्यों में सिमट कर सदा से प्रचलित होते रहे हैं। लोकोक्तियों अपने साधन के कारण सबके मुँह पर रहती है। बड़े वाक्यों की स्मरण बरना

कठिन होता है। अनुभवों का विस्तार लापव गुण के कारण हृदय पर एकदम असर करता है। सम्पूर्ण प्रभाव एकमुख होकर छोटे से वाक्य अथवा वाक्याद्य में इस तरह व्यक्त होता है कि लम्बे-बोडे तक और विस्तृत वर्णन वहाँ बेकार हो जाते हैं। लोकोवित का लाघव ही उसे सूत्र रूप प्रदान करता है।³¹ लोकोवित में कम से कम शब्दों का प्रयोग करके अधिक से अधिक प्रभावोत्पादन की क्षमता विद्यमान होती है। यही कारण कि शेखसपीयर ने सक्षिप्तता को वार्षंदर्श्य वा प्राण माना है।³² जॉनबर्ट के अनुसार ज्ञान के सक्षेपीकरण को लोकोवित कहा जा सकता है।³³ आर्च विशेष ट्रैच लिखते हैं कि लोकोवित सक्षिप्त, अर्थपूर्ण और रोचक होती है। यह योहे से शब्दों से सजा हुआ वृहद् ज्ञान है। डॉ० ओम्प्रकाश गुप्त की दृष्टि से लोकोवितया वे सक्षिप्त वाक्य हैं, जिनमें सूत्रों की तरह आदिम पुरुषों ने अपनी अनुभूतियों को भर दिया है।³⁴ डॉ० कृष्णदेव उपाध्याय ने इसका प्रधान उद्देश्य समास रूपों में सचित अनुभूत ज्ञान-राशि का प्रकाशन माना है। उन्होंने इसकी दो विशेषताएँ मानी हैं—समास शैली और अनुभव निरीक्षण—लोकोवितयों में सबमें पहली विशेषता है इसकी समास शैली। इनमें इनके रचयिताओं ने गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। इनकी दूसरी विशेषता है अनुभूत और निरीक्षण।³⁵ सक्षिप्तता लोकोवित की एक ऐसी विशेषता है जो इसे अन्य विधाओं से भिन्न करती है। ‘लोकगीतो’, ‘पवारो’ और ‘लोककथाओं’ में विस्तार की भावना रहती है, जबकि कहावतें और पहेलिया गागर में सागर भरने का प्रयास करती हुई सूत्र शैली का प्रयोग करती हैं। इसी शैली के कारण इन्हें धनीभूत रत्न की सज्जा दी जाती है।³⁶ डॉ० सहल लोकोवित की सक्षिप्तता के अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि लोकोवित की सक्षिप्तता से यही अर्थ लिया जाना चाहिए कि उसमें न्यूनतम शब्दों का प्रयोग हो, अनावश्यक एक भी शब्द उसमें न आने पाये। उदाहरणार्थ अरबी की एक कहावत प्रस्तुत है—“शतुरमुर्ग से किसी ने कहा—ले चल। उसने उत्तर दिया—मैं पक्षी हूँ, भार वहन नहीं कर सकता। तब किसी ने कहा—उड़ चल। उसने उत्तर ही शतुरमुर्ग कह उठा—मैं उड़ नहीं सकता क्योंकि मैं छट हूँ।” यह कहावत ऐसी है जिसे और सक्षिप्त नहीं किया जा सकता किन्तु ही लोकोवित ही, चाहे किन्तु लम्बी वयों न हो।³⁷ इसी प्रकार की एक अन्य लोकोवित भी प्रस्तुत की जा सकती है—“चमगादड पहले पक्षियों के पास गया और कहा—मैं पक्षी हूँ, मेरे पक्ष हैं। किर वह पशुओं के भुण्ड में गया और कहा—मैं पशु हूँ। उन्होंने पूछा—कौसे? तुरन्त ही दात दिखाते हुए चमगादड के कहा—क्योंकि पशुओं की ही तरह मेरे भी दात हैं।” वैसे इस प्रकार की लोकोवितया बहुत कम हैं, इन्हे अपवाद स्वरूप ही स्वीकार किया जाएगा। लोकोवितया प्रायः सक्षिप्त ही होती हैं। विषय के स्पष्टीकरण वे लिए अष्टछाप-काव्य की कुछ लोकोवितया प्रस्तुत हैं—

- (३) अनलहि धोपयिथ अनल है।
- (४) अपनी धोपी आप लुनी।
- (५) आपु काज भह काज।

- (घ) आमुर म्यान प्रत्यक्ष प्रमाणे ।
- (इ) इह जोवन धन दिवस चारि को ।
- (च) एक पथ हूँ काज ।
- (छ) एक म्यान दो खाड़े ।
- (ज) कहा करौ जो मालहि आई ।
- (झ) गोरस बेचत आपु चिकानी ।
- (झ) सति न गह्री परतु घोन ये ।³⁸

उपर्युक्त लोकोक्तियों के आधार पर यह तथ्य प्रकट है कि इनमें कोई भी शब्द व्यर्थ नहीं जोड़ा गया है। हाँ, इतना अवश्य है कि साहित्य में लोकोक्ति के प्रयोग करने पर प्रयोक्ता को छन्द-रचना आदि की दृष्टि से इन्हें कुछ परिवर्तन के साथ अवश्य प्रस्तुत करना पड़ता है। इसके लिए अष्टछापेतर साहित्य में प्रयुक्त कठिपय लोकोक्तियों को लिया जा सकता है। एक लोकोक्ति है—‘किसी के लिए कुमारों खोदना’। इस लोकोक्ति का प्रयोग किसी को हानि पहुँचाने की चेष्टा करने के अर्थ में होता है। तुलसी ने इसका प्रयोग कुछ भाष्यिक परिवर्तन के साथ इस प्रकार किया है—

‘जोइ जोइ कूप खनेंगो पर कहं सो सठ फिर तेहि कूप परे’³⁹

हिन्दी की एक लोकोक्ति है—‘खोदा पहाड़ निकली चुहिया’। बहुत करने पर खोड़ा लाभ होना इसका अभिप्राय है। गिरधर कविराय ने इसका प्रयोग कुछ परिवर्तन के साथ किया—

छोटा जिय हृत्या बड़ी, अल्प लाभ बहु खेद ।

सो न पहं प्रवृत्ति मे जिन जान्यो यह भेद ।

जिन जान्यो यह भेद नहीं वह छानत भूसा ।

खोदे महा पहाड़ मिले एक लघु सा भूसा ॥⁴⁰

अभिप्राय यह है कि लोकोक्तिकार इसका साहित्य में प्रयोग करते हुए भाषा-छन्द तुक लय आदि की सुविधानुसार इसमें यत्किञ्चित् परिवर्तन कर देता है, फिन्तु फिर भी प्रकृत्या लोकोक्ति सामासिक शैली से मुक्त होने के कारण प्राप्त सक्षिप्त ही होती है।

सारगमितता लोकोक्ति का दूसरा प्रमुख तत्त्व सारगमितता है। सारगमित होकर लोकोक्ति प्रभावोत्पादक होती है। लोकोक्ति की मुख्य विशेषता के रूप में सारगमिता को प्रहृण किया गया है। इसके अभाव में कोई भी उक्ति वार्जालामाभ्रही रह जाती है और वह लोकोक्ति का स्थान प्राप्त नहीं कर सकती। इसके विपरीत कही-कही बड़े बड़े वाक्य भी सारगमित और लोकसम्मत होने के कारण लोकोक्तियों के रूप में प्रयोग होने लगते हैं। कही-कही लयात्मक, भावात्मक और अनुभवपूर्ण उक्ति ही दोहा, चौपाई आदि छन्दों के रूप में बदलती हुई लोकोक्तिवत् प्रयोग में आती रहती है, यथा—“जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी धैठ”।⁴¹ लोकोक्तियों के अनुशीलन करने पर बलपूर्वक कहा जा सकता है कि इनमें हास्य, व्याय, ललकार, चेतावनी—सभी के द्वारा तात्त्विक वातों की शिक्षा दी जाती है। किसी भी कहावत को देखा जाए, उसमें सारगमितता अवश्य विद्य-

मान होगी। साधारण से साधारण उक्ति में भी सारपूर्णता को देखा जा सकता है।⁴² डॉ० कन्हैयालाल सहल ने अधिकाश लोकोक्तियों में सारगमितता को स्वीकार किया है, तथापि इसकी अनिवार्यता स्वीकार नहीं की है—कहावतें एक समान सारगमित होती हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ‘वपडा फाट गरीबी आई। जूते टूटे चाल गमाई।’ अर्थात् कपड़े फट गए और गरीबी आ गई। ज्यो ही जूते टूटे चाल का मजा जाता रहा। कहने का तात्पर्य यह है कि फटे वस्त्र और टूटे जूते गरीबी के द्योतक होते हैं। सारगमितता की दृष्टि से इस कहावत का कोई विशेष महत्व नहीं जान पड़ता किन्तु यह अवश्य स्वीकार करना होगा कि अधिकाश कहावतें सारगमित होती हैं।⁴³ अन्य कुछ विद्वानों ने डॉ० सहल के इस मन्तव्य के प्रति अपना विरोध प्रकट कर सारगमितता को अपरिहार्य गुण स्वीकार किया है। डॉ० सहल के मत वा खण्डन करते हुए डॉ० मदनलाल शर्मा लिखते हैं—इस लोकोक्ति में ‘गरीबी’ जैसी दीन दशा का बड़ा ही मासिक चित्रण किया है। वितने ही गरीब लोग उस प्रकार की ‘दीन हीन दशा में फिरते हैं, जिनके न सिर पर टोपी है न गात में लगोटी और न पौरो में जूते। ऐसी दशा को देखकर कठोर हृदय भी पिघल जाते हैं, फिर इस कथन में निस्सारता कैसे आ गई। सुदामा की दशा भी तो यही थी—‘धोती कटी सी लटी दुपटी अरु पाय उपानह की नहीं सामा’। इस दशा को देख कर वै नौकर्यनाश श्रीकृष्ण भी गद्गद हो गए, फिर इसी के समान भावपूर्ण चित्रात्मक व्याख्यन सारगमितता से वचित रह जाए, उपयुक्त नहीं लगता। इसी प्रकार डॉ० सहल की दृष्टि में जो लोकोक्तिया सारगमित नहीं हैं, वे या सो लोकोक्तिया ही न होगी, और यदि विद्वानों द्वारा उन्हें लोकोक्ति की कोटि में रखा गया है तो वे सारगमित अवश्य हैं, वयोःकि कोई भी सारगमितता से रहित कथन लोक द्वारा नहीं अपनाया जा सकता। देखिए—गुण के गाहक सहस्र नर बिन गुन लहू न कोय’ (गिरधर की कुड़ली) और सारगमितता गुण ही है। फिर जिस उक्ति को सहस्री व्यक्ति अपनाकर व्यवहार में लाते हैं और जिस पर लोक द्वारा प्रामाणिकता की मुहर लगा दी हा, वह उक्ति कभी भी गुण अथवा साररहित नहीं हो सकती।⁴⁴ डॉ० शर्मा के इस मन्तव्य को उद्धृत करने के बाद सोरोक्ति में निहित सारगमितता के प्रति कोई सन्देह नहीं रह जाता।

सप्राणता—सप्राणता का अर्थ है सजीवता। डॉ० सहल ने इसे चटपटापन का पर्याप्त स्वेच्छा किया है। इससे लोकोक्ति की महत्ता बढ़ जाती है। मणिमापूर्ण होने के कारण लोकोक्ति वैचित्र्य की सूचित करती है। मुक्तक दौली में रचित लोकोक्तिया मर्म स्पर्शी एवं विद्यमान युक्त होकर श्रोता ने हृदय में जहा अपनी अमिट छाप अक्षित बरती है यहा वस्ता भी लोकोक्ति वी इस विशेषता से परिचित होता है। नायक और नायिका में कोई विसी से बग नहीं है। इस बात को बहने के लिए सूर सामान्य ढग को न अपना बर अनुठे ढग से ही बहते हैं—पह द्वादस बह ऊ बस द्वे को।⁴⁵ सप्राणता वस्तुत सोरोक्ति वी जीवन्ता है। अपनी अपूर्व विशेषताओं के कारण सोरोक्ति लोकप्रिय होवर प्रातःजयी बन जाती है। डॉ०लक्ष्मीनारायण शर्मा ने सजीवता को लोकोक्ति में आवश्यक मानते हुए इसे सारगमितता में अन्तर्गत माना है। उनमें अनुसार विसी भी वस्तु वी

सजीवता उसका सार ही है।⁴⁶ उनका यह दृष्टिकोण एकाग्री दृष्टि का परिचायक है, वयोंकि लोकोक्ति में ज्ञान के सार तत्त्व को विशिष्ट भगिमापूर्ण ढग के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इसके अभाव में सारगम्भित होकर भी उक्ति सूक्ष्मता रह जाती है। विचित्ति लोकोक्ति को अमरता प्रदान करती है।

डॉ० सहल सप्राणता को लोकोक्ति का महत्त्वपूर्ण तत्त्व मानते हुए भी इसकी अपरिहायता मानने के पक्ष में नहीं हैं। वे लिखते हैं—सप्राणता (चटपटी) होने से कहावत का महत्त्व बढ़ जाता है, किन्तु ऐसी भी अनेक कहावतें हैं जिनमें अभिव्यक्ति का वैचित्र्य नहीं मिलता। 'धन खेती, धिक चाकरी', 'बढ़ो की बड़ी इं बात', 'बाटकर खाना और सुरग में जाणा', जैसी कहावतों में कोई चटपटापन नहीं है।⁴⁷ इनके प्रतिपक्ष में सप्राणता को साप्रह स्वीकार करते हुए अन्य विचारक लिखते हैं कि इन उदाहरणों में सप्राणता का नियेध करना उपयुक्त नहीं जचता। प्रथम लोकोक्ति को ही लोजिए। खेती करने में 'स्वतन्त्रता' की और नौकरी करने में 'परतन्त्रता' की व्यक्ति होने से खेती करना प्रशसनीय है और नौकरी करना निदनीय। स्वतन्त्र व्यक्ति का आत्मसम्मान सुरक्षित रहता है और परतन्त्र व्यक्ति को 'रोज़ी' के लिए आत्मसम्मान को बेचना पड़ता है। खेती और नौकरी में एक अन्तर यह भी है कि किसान सर्वाधिक परिवर्षभी-ईमानदार होता है जबकि नौकरी करने वाले व्यक्ति में इनका अभाव भी हो सकता है। जो लोकोक्ति अपने गर्भ में स्वतन्त्रता परतन्त्रता की इतनी बलवती भावना को सजोए हो तथा जहां स्पष्ट शब्दों में 'खेती' और 'नौकरी' के गुण दोपों पर इतना तीक्ष्ण व्यर्थ ही वहा यह कहें कहा जा सकता है कि इस लोकोक्ति में सप्राणता या चटपटापन नहीं है।⁴⁸ इसी प्रकार दूसरी लोकोक्ति में एक साधन विहीन निर्धन व्यक्ति की असमर्थता एवं साधन सम्पन्न व्यक्ति की सम्पन्नता अभिव्यजित है। दोनों की तुलना में जहां एक स्वयं को अग्रकर्त एवं असमर्थ अनुभव करता है, वहा धनिक व्यक्ति के कायों से उसे ईर्ष्या भी होती है। तृतीय लोकोक्ति में व्यक्ति को स्वार्थ के परित्याग की शिक्षा दी गई है। वैदिक साहित्य में भी कहा है—जो व्यक्ति अकेला खाता है, वह पाप खाता है—केवलाधो भवति केवलादी। इस उक्ति में जहां व्यक्ति में लोभ के त्याग के लिए भय दिलाया गया है, वहा 'बाटकर खाणा और सुरग में जाणा' इस लोकोक्ति में लोभ-नीति के द्वारा ही लोभ-त्याग का उदादेश दिया गया है। उदारता-दया-दान आदि की शिक्षा देने के कारण इसका महत्त्व प्राचीन काल से ही रहा है। हा, इतना अवश्य है कि उपदेशपरक अथवा शिक्षाप्रद लोकोक्तियों में सप्राणता-सूताधिक हो सकती है, किन्तु इसके अस्तित्व को अस्थीकार नहीं किया जा सकता। विषय के स्पष्टीकरण के लिए कुछ उदाहरण लिए जा सकते हैं—एक प्रचलित उक्ति है कि अज्ञानी व्यक्ति का चित्र अनियन्त्रित रहता है। ज्ञान के अभाव में वह अपनी चित्तवृत्तियों का निरोध नहीं कर सकता। नन्ददास ने इस उक्ति को चमत्कारपूर्ण बनाते वे लिए पूरे प्रकरण को ही वैचित्र्ययुक्त कर दिया है। बातगी देखिए—

महानक-मुख जो भन। होई ताहि कर करि काढँ कोई।

कृपित भुजगम सिर पर घरे। हाथनि पार -राति पुनि तरे॥

तेल सहे करि धुरि की धानी । मृगतृष्णा ते पीर्वं पानी ॥

खोजि ससा के शृगनिपावं । पै मूरख मन हाय न आवं ॥⁴⁹

यहा कवि ने वैचित्र्य व्यापार की सृष्टि करते हुए इस बात पर बल दिया है कि प्रकृति की व्यवस्था विपरीत हो सकती है, हर असम्भव कार्यं सम्भव हो सकता है, किन्तु अज्ञानी व्यक्ति कभी भी यम नियम आदि का पालन न कर सकने के कारण ज्ञान के अभाव में मन पर संयम नहीं रख सकता । वस्तुतः यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि अनुभूति की तीव्रता को प्रकट करने के लिए कवि सामान्य भाषा के स्थान पर भगिमापूर्ण अभिव्यक्ति के द्वारा ही अपने भावों को मूर्तं रूप देता है । लोकोक्ति की सरचना भगिमापूर्ण होने के कारण इस दृष्टि से अत्यन्त उपयोगी है । लोकमान्य मिद्दान्तों के आधार पर कवि लोकोक्ति के प्रयोग के द्वारा अपनी सबेदना को सार्थकता प्रदान करता है । नन्ददास की एक लोकोक्ति है—दरबो ज्यो व्यजन में स्वादन जाने मदः⁵⁰ यहा कवि का अभीष्ट है—मन्दमति व्यक्ति की अयोग्यता पर व्यग्य करना । अवसर प्राप्त होने पर भी अज्ञानी व्यक्ति उसका लाभ प्राप्त नहीं कर सकता । इस आशय को प्रकट करने के लिए कवि एक लोकसिद्धान्त को आधार बनाता है । अर्थात् जिस प्रकार कड़छो मधुर व्यजनों में निमिज्जत होने पर भी उसके स्वाद से अपरिचित होती है इसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति अनुभिज्ञता के कारण उद्दिष्ट वस्तु के महस्त्र को न जानकर उसवे लाभ से बचित रह जाता है । अन्य लोकोक्तिया देखिए—

—काग हस की सगति लहसुन सग कपूर ।

—किंहि कागद की तरनों कीन्हों, कौन तरयो सर जाई ।

—डरपत फिरे मृगी ते सिघ क्यो?

—खाए आये वेर के हो सो घन मे होत कुमार⁵¹

यहा कमशा वैपम्य, असम्भाव्य, वैचित्र्य तथा मिथ्या प्रदर्शन सम्बन्धी विषयों की चर्चा की गई है । अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए लोकोक्तिकार ने सामान्य कथन वे रूप में न कहकर अनुठे ढग से अपनी बात कही है । प्रथम उक्ति में विषमता प्रतिपादित की गई है । इस वैपम्य के प्रतिपादन के लिए लोकोक्तिकार अपनी कल्पनाशक्ति के द्वारा प्राणिजगत् के काग' एवं 'हस' के गुणगत-वर्णगत आदि वैपम्य से परिचित होकर लोकोक्ति में इसका प्रयोग करता है । इसी प्रकार परस्पर विरोधी स्वभाव वाली वस्तुओं लहसुन तथा कपूर को एक स्थान पर एकत्रित कर विषय वस्तुओं की सरगति के आधार पर लोकोक्ति को सम्प्रकृतीया प्रभावशाली बनाकर अभिव्यक्ति की शक्ति प्रदान की जाती है । प्रयोग की दृष्टि से प्रसगानुसार प्रयुक्त होकर भगिमापूर्ण होने के कारण लोकोक्ति पूरे प्रकरण में चमत्कार उत्पन्न कर देती है । द्वितीय लोकोक्ति म अनुपयुक्त साधन से साध्य की प्राप्ति को असम्भव बताया गया है । इसके लिए कवि ने लोक-प्रधनित सिद्धान्त को आधार बनाया है कि कागज की नाव से जल याना को पूर्ण करने का दुर्स्वप्न हास्यास्पद ही कहा जा सकता है । किसी व्यक्ति की अनुपयुक्त चेष्टाओं के द्वारा सहयोगिता की आदा करना मृगमरीचिका की भाँति है । व्यक्ति के इस कार्यं व्या पार पर कवि ने सोकन्याय दो आधार बनाकर जो उपहास किया है, उससे समस्तप्रसग

प्राणवन्त बन जाता है। तृतीय लोकोक्ति में निबल व्यक्ति द्वारा श्रवितशाली व्यक्ति को भयभीत करने की कल्पना पर व्यग्य किया गया है। शवितहोन व्यक्ति को दुराशाली को प्रकट करने के लिए वन्य पशुओं—मृग सिंह को आधार चनाकर अपनी अभिव्यक्ति को सप्राण बनाया गया है। अन्तिम उक्ति में अनविकारी व्यक्ति के मिथ्या प्रदर्शन पर सीधा व्यग्य है। 'खाए आधे वेर' कहकर उसकी अल्पावस्था तथा 'होत कुमार' के द्वारा मिथ्या भिमान को अनुचित बताया गया है। यह उक्ति 'छोटे मुह यड़ी बात बाली लोकोक्ति वे भाव को किंचित् परिवर्तन वे साथ प्रस्तुत करती है। विशिष्ट भगिमा से युक्त होकर लोकोक्ति जहा स्वयं सप्राण होती है, वहा प्रकरण में भी चमत्कार उत्पन्न करके उसे प्राणवन्त बना देती है—गो० तुलसीदास की एक व्याग्यात्मक लोकोक्ति देखिए—

करम उपासन ज्ञान वेदमत, सो सब भाति खरो ।

मोहि तो सावन क अधहि ज्यों, सुभत रा हरी ॥⁵²

लोकोक्ति है— सावन के अधे को हरा हो हरा दिखाई देता है।' तुलसी ने वैदिक धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करते हुए अवैदिक मान्यताओं के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए इसका आधय प्रहृण किया है। लोकोक्ति वा भावार्थ करते हुए कोशकार ने लिखा है कि जो अनुचित उपाय स अथवा अकस्मात् कुछ प्राप्त कर लेते हैं और समझते हैं कि ऐसा ही सब करते हैं।⁵³ इसी से मिलती जुलती एक और लोकोक्ति है—'पीलिया के रोगी को पीला हो पीला दीखता है।' कहने वा अभिप्राय यही है कि सप्राणना से पुक्त लोकोक्ति पुग पुगातर तक लोक जिह्वा पर नर्तन करती रहती है। सजीवता लोकोक्ति की अपरिहार्य विशेषता है। इसके अभाव म लाकोक्ति प्रचलन रहित होवर अपने स्वरूप को खो दती है। वस्तुत लोकोक्ति मनुष्य के परम्परित ज्ञान की परिपृष्ठ, लोकसिद्ध, प्रभावोत्पादक, कलात्मक और पृष्ठभूमि के वैचित्र्य का सजीव सूत्र है।⁵⁴

लोकप्रियता—लोकोक्ति का सर्वाधिक महस्त्वपूर्ण निकाय है। सदिप्तता, सारगमितता एवं सप्राणता—इन तीनों गुणों के होते हुए भी कोई उक्ति लोकोक्ति के रूप में अभिहित की जा सके, पह आवश्यक नहीं है, क्योंकि मात्र इन तीनों तत्त्वों में आधार पर लोकोक्ति के स्वरूप का निर्धारण असम्भव है। इनके आधार पर जोई उक्ति सूक्ष्म अथवा प्राज्ञोक्ति का रूप घारण करती है, किन्तु लोकोक्ति स्पष्ट तभी प्राप्त होता है जब उसे लोक-मानस प्रहृण कर ले। जैसा हेस्टिग्ग लिखते हैं कि सदिप्तता, सारगमिता और सप्राणता—इन तीन गुणों वे होते हुए भी कोई उक्ति लोकोक्ति वही जा सके, यह अनिवार्य नहीं है क्योंकि उस उक्ति को लोकोक्ति नाम लोक-स्वीकृति की प्राप्ति वे अनन्तर ही प्राप्त होय।⁵⁵ लोकोक्ति लोक वी ही उक्ति है। हाँवल ने अपने लोकोक्तिस-सप्तह की एक 'घुरुंदी' में इस तथ्य को साप्रह स्वीकार किया है। उनकी निष्पलिति पक्षियां पठनीय हैं—जनता की उक्ति जनादन की उक्ति है और लोकोक्तियां जनादन की उक्ति में अतिरिक्त और ही ही थथा? और जो जनता-जनादन की उक्तियां हैं उनकी सत्यता और प्रभावात्मकता में भला सन्देह ही हौन वर महना है।⁵⁶

शर्मा इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करते हुए लिखते हैं कि लोकोक्तिया लोक प्रचलित होनी है। विना लोक-प्रसिद्धि और लोक-मान्यता के कोई भी उकित चाहे वह सारगमित हो या सक्षिप्त, लोकोक्तिहो ही नहीं सकती। जो उकितया लोकप्रचलित नहीं होती; वे प्राज्ञोक्तिया आदि कही जाती हैं क्योंकि वे सामान्य लोक वाणी से दूर रहती हैं।⁶¹ लोक-मान्य एवं लोक-विश्वृत होकर ही लोकोक्तिपूर्णता को प्राप्त करती है। लोकोक्ति के अन्य तत्वों में सक्षिप्तता-सारगमितता आदि वीभूमिका, इसके निमण में गौण रूप में होनी है; लोक-स्वीकृति से ही लोकोक्ति का आत्म तत्त्व सिद्ध होता है।

उपर्युक्त विभिन्न मन्त्रध्यो के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन का सारांश इस प्रकार प्रस्तुत विया जा सकता है—

- (क) लोकोक्ति लोक की उकित है।
- (ख) व्यष्टि की सम्पत्ति जब समष्टि की सम्पत्ति बन जाती है, तब लोकोक्ति का रूप धारण करती है।
- (ग) लोक-प्रियता इसका प्राण तत्त्व है। इसके अभाव में लोकोक्ति वा स्वरूप नष्ट हो जाता है।
- (घ) सक्षिप्तता-सारगमितता आदि से युक्त होने पर भी लोक-प्रसिद्धि के अभाव में लोकोक्ति प्राज्ञोक्तिमात्र बनकर रह जाती है।
- (ड) लोकानुभव पर आधारित लोकप्रिय लोकोक्ति की सत्यता एवं प्रभावात्मकता असदिग्ध है।

निष्कर्षत कहा जा सकता है कि लोकप्रियता लोकोक्तिमात्र की अपरिहार्य विशेषता है।

मानवीय अनुभव एवं उनकी सत्यता—मनुष्य निसर्गंतः ज्ञान का आदान-प्रदान करता है। लोकोक्ति इसका उपर्युक्त माध्यम है। जीवन के विविध अनुभव, व्यवहार, नीति, शिक्षा, उपदेश, कथा, घटना आदि का लोकोक्ति में सूत्ररूप में उद्घाटन होता है। लोकोक्तियाँ ज्ञान का भण्डार हैं। इसमें मानव-जीवन के युग-युग की अनुभूतियों का परिणाम और निरीक्षण-शक्ति अन्तिमिहित होती है। काशी निवास के सम्बन्ध में एवं लोकोक्ति प्रसिद्ध है—‘राठ साड़ सीढ़ी सन्यासी इनसे बचे तो सेवं काती’। कहने वी आवश्यकता नहीं कि इसमें बहुत कुछ ज्ञान का अश विद्यमान है। इसका प्रकटीकरण व्यक्ति को हानि से बचने के लिए सेव्य करता है। लोकोक्तिकार ने स्थानीय विर अनुभव के पश्चात् ही इसका निमण किया होगा। इसी प्रकार कान्यकुद्ग ब्राह्मणों की छुआछूत की भावना लोकविद्यात है। वियोगी हरि इस सम्बन्ध में लिखते हैं—

हैं जह 'आठ कनोजिया नौ चूल्हे' की रीति।

तहा परस्पर प्रीति दी, वहाँ पड़ावत नीति॥⁶²

उनकी आपस में बहुत अधिक फट के परिणामस्वरूप लोकोक्ति वत गई—‘आठ कनोजिया नौ चूल्हे’। जहाँ ऐक्य का अभाव व भेदभाव की प्रधानतर रूपी है, वहाँ मह प्रयुक्त होती है।

अपूर्णता की धोतक सस्तुत की एक लोकोक्ति है—‘अद्दं घट घोषमुपैति नूनम् ।’ इसका हिन्दी रूपान्तर है—‘अथ जल गगरी छलकत जाय’।⁶³ जिसके पास अल्प भनया विद्या होती है वह उसका प्रदर्शन करता रहता है। सूर ने भी इसका प्रयोग किया है—‘जैसे घट पूरन न ढोलै, अथ भरी डगडोर’।⁶⁴ यही भाव अन्य लोकोक्ति ‘योया चना चाजे घना’ द्वारा भी प्रकट होता है। अष्टछाप के कवि परमानन्द ने अपनी कल्पना की ऊनी उडान भर कर इस का नवीन प्रयोग किया है—इतराह चली थोरे पानी ज्यों भादों वी नदिया। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस लोकोक्ति का प्रयोग परमानन्ददास के प्राकृतिक ज्ञान का परिणाम है।

सस्कृत की एक अन्य लोकोक्ति है—‘शठे शाठ्य समाचरेत्’। इसमें यथायोग्य व्यावहार की शिक्षा दी गई है। ‘आगल भाषा में इसका प्रयोग ‘टिट कॉर टेट’ के रूप में होता है। हिन्दी में इसका रूप—जैसे को तैसा है। सूर ने भी कहा है—जो जैसी तासों त्यो चलिये।⁶⁵ बून्द यथायोग्य आचरण के लिए भ्रमर वा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं—

जो जैसे तिहि तैसियै, करिये नोति प्रकास ।

काठ कठिम भेदे भ्रमर, मृदु अरविन्द निवास ॥⁶⁶

व्यावहारिक नीति की यह शिक्षा मानवीय अनुभव पर ही आधारित है।

धाघ और भड़की के नाम से हिन्दी में बहुत सी लोकोक्तिया प्रचलित हैं। इनमें कृपि के लिए ऋतु सम्बन्धी उपयोगी बातें कही गयी हैं। इसमें सन्देह नहीं कि धाघ और भड़की ने अपनी पैरी निरीक्षण शक्ति के बल पर ऋतु सम्बन्धी तथ्यों का अनुसंधान करके ही इन लोकोक्तियों का निर्माण किया होगा। जब विज्ञान की इतनी उन्नति नहीं हुई थी—ऋतु सम्बन्धी तथ्यों को जानने के लिए वेधशालाएं नहीं बनी थीं, उस समय लोग अपने चिर सचित अनुभव और निरीक्षण-शक्ति के द्वारा आगामी दिनों में ऋतु-परिवर्तन की धीयणा किया करते थे। यह परम्परा सभवत बहुत प्राचीन है। आकाश में चमकने वाली चतुला के रण को देखकर निरीक्षण शक्ति-सम्बन्ध व्यक्ति प्रभजन आने से अकाल पढ़ने की सूचना देते हैं—

वाताय कपिला विद्युत्, आतपायाति लोहिनी ।

कृष्णा भवति सस्याप, दुभिक्षाप सिता भवेत् ॥

प्राचीन काल के ये ऋतु-विशेषज्ञ किसी यन्त्र की सहायता से नहीं, अपितु अपनी निरीक्षण-शक्ति के द्वारा ही ऋतुओं के परिवर्तन को उद्घोषित करते थे।⁶⁷ लोकोक्ति में चिर-कालीन मानवीय अनुभव सचित रहता है, किन्तु इसकी सत्यता के विषय से देश-विदेश के विद्वानों में मत्तैवय नहीं है। स्टीवेन्सन ने तो यहाँ तक कह दिया था कि निरपेक्ष सत्य जैसी कोई चस्तु नहीं, हमारे सब सत्य अद्दं सत्य मात्र हैं। इसीलिए लोकोक्तियों का सत्य यदि सार्वदेशिक और सार्वकालिक न हो, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। मार्ग-दर्शन के लिए लोकोक्तिया श्रेष्ठ साधन का काम देती है, किन्तु कोई उन्हें चरम सत्य का पर्याय समझने को मूल न करे। इनमें वैज्ञानिक निष्कर्ष का सा सत्य नहीं होता। वे सत्य के लिए सबैत मात्र उपस्थित बरतते हैं। ठी० ठी० मुगर के शब्दों में लोकोक्तिया अद्दं सत्य मात्र

होती है।⁶⁹ इनके विपरीत इमसंन लोकोक्ति में निहित मानवीय अनुभव को सर्वथा सत्य स्वीकार करते हैं। उनके विचारानुसार जो जाति जिन लोकोक्तियों वा प्रयोग करती है, उस जाति के लोग अपनी लोकोक्तियों को निरपेक्ष सत्य के रूप में ही ग्रहण करते हैं।⁷⁰ इमसंन दे निरपेक्ष सत्य वा जिन्होंने स्वीकार नहीं किया, वे सत्य की सापेक्षता स्वीकार करते हैं। कुछ लोगों के अनुसार सत्य व्यक्ति सापेक्ष, समय सापेक्ष तथा परिस्थिति सापेक्ष होने के कारण निरपेक्ष सत्य वा अस्तित्व स्वीकार्य नहीं है। यथा महाभारत की एक लोकोक्ति है—‘अश्वत्थामा हत नरो या कुजरो वा।’ यहा सत्य असत्य पर आधारित होकर भी युधिष्ठिर वीं झूठी अनभिज्ञता को प्रचलन कर सत्यवादी की सत्यता की कोटि में जा गया। इसी वस्तुत निरपेक्षतारहित सापेक्षता ही प्राय मान्य रही है। जीवन के सत्य को विविध रूप हैं, जिनको अपने-अपने अनुभवों के आधार पर लोकोक्ति में स्थान मिला है, अतएव परस्पर विरोधी भावों को प्रकट करते वाली उक्तिया भी प्राप्त हो जाती हैं। यथा तीन व्यक्तियों का एवं साथ चलना कुछ व्यक्तियों के लिए अपशकुन होता है। उनके अनुसार ‘तीन काणे माने गए हैं।’ किन्तु इसके विपरीत शकुन की भी परिकल्पना की गई है—यद्या, विष्णु तथा महेश अर्थात् विदेव की कल्पना के रूप में ये शुभ के प्रतीक बन गए हैं। इस भिन्नता का कारण जीवन में अनुमूलि एवं निरीक्षण का वैविध्य है। आत्मानुभूति और निरीक्षण का जीवन में विशेष स्थान है। सार्वजनीन अनुभूति और निरीक्षण सामान्य सिद्धान्तों को जन्म देते हैं। लोकोक्तियों में हमें इस भूमि पर आधारित निश्चित सिद्धान्तों के दर्शन होते हैं।⁷¹ इन सिद्धान्तों की सीमा देश काल आदि से परिवर्द्ध होती है। श्री दयाम परमार के अनुसार लोकोक्तियों में सत्य स्पष्ट है, फिर कहावतें पूर्ण सत्य तो नहीं कही जा सकती। उसका सकेत भर कहावतें प्रस्तुत करती हैं। एक स्थान-विशेष का सत्य व दूसरे स्थान-विशेष का सत्य पूर्णत नहीं होगा। अपने स्थान की सीमा और तत्कालीन प्रभाव उसमें होगा।⁷² यदि लोकोक्तियों में निहित पूर्ण या अपूर्ण, वैज्ञानिक अथवा विज्ञान-रहित सत्यता का प्रश्न छोड़ दिया जाय, तो भी विद्वानों ने इनमें आशिक-प्राक्षिक रूप से अथवा अद्वस्त्य को तो स्वीकार किया ही है। यथार्थत लोकोक्ति के लोक-प्रचलन का हेतु इसमें निहित मानवीय अनुभव एवं उनकी सत्यता है, जिनके अभाव में सारहीन एवं प्रभावशून्य होकर उक्ति मात्र ही रह जाती है। अत कहा जा सकता है कि लोकोक्ति किसी गहन अनुभूति एवं महत्वपूर्ण तथ्य की चिन्तनापूर्ण अभिव्यक्ति है। इनमें मानव जीवन के सुख-दुःख, हृषि-विषाद, रुचि-अरुचि, ईर्ष्या-लोभ आदि सभी की सूत्र रूप में व्याख्या होती है। जातियों के आचार विचार, रीति-रिवाज, भनन चिन्तन, आर्थिक, पार्मिक, राजनीतिक, सास्कृति जीवन—सभी की अभिव्यजना इनमें होती है। सासारिक व्यवहार पटुता का जैसा निदर्शन इनमें मिलता है वैसा अन्यथा हुर्लंभ है। इनमें जीवन के सत्य बड़ी सूबों के साथ प्रकट होते हैं।⁷³

लोकोक्ति को कुछ अन्य विशेषताएँ एवं परिभाषाएँ—लोकोक्ति की एक विशेषता है प्रसागानुकूल उपयुक्तता अथवा इसका यथादसर प्रयोग। लोकोक्ति की यह विशेषता इसके प्रयोग पर आधारित है। प्रसाग के अनुरूप प्रयुक्त होकर लोकोक्ति प्रभावशाली बन

जाती है। डॉ० चासुदेवशरण अग्रवाल लोकोक्ति को परिभाषित करते हुए लिखते हैं—
लोकोक्तिया मानवीय ज्ञान के चोके और चुभते हुए सूत्र हैं। वे मानवीय ज्ञान के धनीभूत रूप हैं, जिन्हें बुद्धि और अनुभव की किरणों से सदा फूटने वाली ज्योति प्राप्त होती है।⁷³
डॉ० अग्रवाल ने यहा लोकोक्ति की आर-पार कर जाने वाली चुभन अथवा उसको प्रभावोत्पादकना प्रतिपादित करने के लिए अन्य गुणों के साथ इन्हें ‘चुभते हुए सूत्र’ कहकर प्रसगानुकूलता एवं लोकोक्ति की प्रभावात्मकता का सकेत विद्या है। श्री विक्रमादित्य मिथ्र भी लोकोक्ति के यथावसर प्रयोग पर बल देते हुए लिखते हैं—चूकि ये सूत्र-बाक्य (कहावत) जीवन के सावंभीम सत्य—मुख दुःख, जीवन-मरण आचार-विचार, रीति-नीति, खान-पान, शकुन-अपशकुन, सेती-बारी, आहार-विहार, पशु-पशी, जीव-जन्म, आदि सभी से सम्बद्ध हैं, इसलिए ये सामान्य अथवा सर्वमान्य उकितयों के रूप में प्रचलित ही गए और चूकि ये उकितया यथावसर परस्पर कही सुनी जाती रही, इसलिए इन्हे लोक-जीवन में ‘कहावत’ नाम से अभिहित किया गया।⁷⁴

लोकोक्ति का प्रयोग यथाप्रसाद किसी तथ्य, मान्यता और स्थिति में से किसी एक के पोषण आदि के लिए होता है। डॉ० झन्हैयालाल सहल प्रयोग की दृष्टि से लोकोक्ति की परिभाषा करते हुए लिखते हैं—अपने कथन की पुष्टि में किसी शिक्षा या चेतावनी देने के उद्देश्य से किसी बात को किसी आड़ में बहने के अभिप्राय से अथवा किसी के उपालम्भ देने व किसी पर व्यग्र करने वादि के लिए अपने में स्वतन्त्र व्यर्थ रखने वाली जिस लोक प्रचलित तथा सामान्यत सारगमित सक्षिप्त एवं चटपटी उकित का प्रयोग करते हैं, उसे लोकोक्ति अथवा कहावत का नाम दिया जा सकता है।⁷⁵ डॉ० सहल ने लोकोक्ति का प्रयोग अपने कथन की पुष्टि के रूप में माना है, वहा डॉ० भोलानाथ तिवारी ने इसका प्रयोग किसी बात की पुष्टि अथवा विरोध के लिए माना है। डॉ० तिवारी ने लोकोक्ति की परिभाषा इस प्रकार प्रस्तुत की है—लोकोक्ति अनुभव, ऐतिहासिक या पौराणिक कथाओं या प्राकृतिक नियमों पर आधारित ऐसी सक्षिप्त और सारगमित लोक प्रचलित उकित या कथन है, जिसका कि उपदेश किसी बात की पुष्टि या विरोध आदि के लिए होता है।⁷⁶ प्रस्तुत परिभाषा में परिभाषाकार ने निम्न तथ्यों को प्रस्तुत किया है—

(क) लोकोक्ति के आधार मानवीय अनुभव, प्राचीन कथाएँ व प्राकृतिक नियम हैं।

(ख) यह सक्षिप्त एवं सारगमित उकित है।

(ग) लोक प्रचलित होने पर कोई उकित लोकोक्ति का रूप धारण करती है।

(घ) इसका प्रयोग किसी बात की पुष्टि या विरोध आदि के लिए होता है। इनमें प्रथम एवं अन्तिम तत्त्व जो कि लोकोक्ति वे आधार एवं प्रयोग हेतु हैं, पर विशेष बल दिया है। प्राचीन कथाओं को ही लीजिए। अनेक लोकोक्तिया प्राचीन कथाओं पर आधारित होती हैं, उदाहरणार्थ दुर्योधन द्वारा कथित महाभारतवालीन लोकोक्ति है—‘सूर्यपद्मपि नैव दास्यामि यिना युद्धेन केशव।’ यह उकित सुप्रसिद्ध है, इसे ऐतिहासिक

महत्व की उकित कहा जा सकता है। इसी प्रकार श्रीकृष्ण की दुर्योधन के प्रति उकित सूरदास के शब्दों में है—‘द्वे विध भोजन कीजे राजा। विषयि परे के प्रोत।’ कुभनदास की सुप्रसिद्ध उकित—‘भक्त को (भक्तनि को) कहा सोकरो काम’ भी ऐतिहासिक महत्व की लोकोवित है। इसमें जहा भक्त प्रवर कुभनदास की निस्पृहता एवं निर्भयता व्यजित है, वहा ऐतिहासिक घटना पर आधारित होने के कारण यह उकित बहुत महत्वपूर्ण बन गई है।

डॉ० तिवारी ने लोकोवित का अन्य आधार प्राकृतिक नियम स्वीकार किया है। अनेक लोकोवितया प्राकृतिक नियमों पर आधारित होती हैं, यथा समय एवं परिस्थिति के अनुसार कार्य करने की प्रेरणा देने वाली एक लोकोवित है—‘जैसी चले बयार, तब तैसी दीजे ओट।’ कवि वृद्ध ने इसका प्रयोग इस प्रकार किया है—

बनती देख बनाइए, पूरन न दीजे खोट।

जैसी चले बयार तब, तैसी दीजे ओट॥⁷⁷

‘बयार’ शब्द वायु का वाचक है। वात या वायु प्रकृति का महत्वपूर्ण उपादान है। ‘जल’ को लीजिए। पचतत्त्वात्मक सूचित में ‘जल’ का स्थान महत्वपूर्ण है। वर्षा पर आधारित अनेक लोकोवितयाँ हैं। सावन-भादो मास पर आधारित एक लोकोवित है—‘जैसा सूखा सावन, वैसे भरा भादो।’⁷⁸ जब किसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सुख प्राप्त होने के स्थान पर बराबर दुख ही भोगना पड़ता है, तब इस प्राकृतिक लोकोवित का प्रयोग होता है। अनेक लोकोवितया प्राकृतिक नियमों पर आधारित होती हैं। डॉ० तिवारी का यह कथन कि लोकोवित अनुभव, ऐतिहासिक-पौराणिक कथाओं या प्राकृतिक नियमों पर आधारित है, पूर्णतः स्वीकार्य इसलिए नहीं कि व्योक्ति इसमें अव्याप्ति दोष है। लोकोवित अनुभव पर आधारित है, इसमें सन्देह नहीं, किन्तु यह मानवीय अनुभव अनेक विधि है, जिसका एक रूप प्रकृति भी है, अतः उनका यह आधार-निर्धारण दोष-पूर्ण हो जाता है। प्रकृति के अतिरिक्त लोकोवित लोक एवं शास्त्र पर भी आधारित होती है। कुछ लोकोवितयों का आधार जहा लोक-न्याय है, वहा अनेक शास्त्रीय कथन लोकोवित के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। अनुभवों का वैविध्य लोकोवित को व्यापक रूप प्रदान करता है। डॉ० तिवारी का यह कथन कि इसका उपदेश किसी बात की पुष्टि या विरोध आदि के लिए होता है, चिन्तन की अपेक्षा रखता है। उपदेश के अतिरिक्त लोकोवित में आलोचना का रूप भी प्राप्त होता है। विशेषत जहा पुष्टि न होकर विरोध का स्वर मुखर होता है, लोकोवित में उपदेशात्मकता लुप्त हो जाती है। डॉ० तिवारी ने इसके प्रयोग के दो हेतु पुष्टि एवं विरोध स्वीकार किए हैं। कुछ लोकोवितयों में दोनों के एकत्र दर्शन होते हैं। इनमें एक की पुष्टि तथा दूसरे वा विरोध होता है। उदाहरणार्थं संस्कृत की एक लोकोवित है—‘एक तु नभति जिप्त्वा धेष्टु पतति मूर्धनि।’ अर्थात् आकाश पर कीचड़ फेंकने वाले व्यक्ति पर ही कीचड़ गिरता है। इसका भाव है यदि कोई व्यक्ति सज्जन व्यक्ति की निन्दा करे तो सज्जन निन्दनीय नहीं होता, प्रत्युत निन्दक स्वयं धूणा का पात्र बन जाता है। इसी भाव को स्पष्ट करने वाली एक लोकोवित है—‘धूत आत्म से सूरज

नहीं छिपता।⁷⁹ इसमें जहाँ मञ्जन की सज्जनता की पुष्टि है, वहाँ दुर्जन की दुर्जनता के प्रति विरोध प्रकट किया गया है। एक लोकोक्ति है—“कुत्ते भूइते रहते हैं और कारबां (हाथो) चलता रहता है।”⁸⁰ तुच्छ लोगों की आलोचना वीचिन्ता न करते हुए बड़े लोग अपना काम करते रहते हैं। यहाँ भी बड़े व्यक्तियों की कार्य पद्धति की पुष्टि एवं तुच्छ व्यक्तियों की आलोचना के प्रति विरोध प्रकट किया गया है।

लोकोक्तियों का प्रयोग पुष्टि-विरोध आदि भिन्न-भिन्न दृष्टियों से भी होता है। पुष्टि को ही लीजिए। इसमें किसी बात का पोषण अथवा मण्डन होता है। दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति प्राणपण से अपनी प्रतिज्ञा निभाते हैं, उसे भग नहीं करते। उनकी दृढ़ता की पुष्टि में एक लोकोक्ति है—

सिह गमन सुपुरुष घचन, कदलो फिरे इक बार।

तिरिया तेल हमीर हठ, चड़े न दूजो बार॥⁸¹

कवि नन्ददास ने भ्रमर के माध्यम से अधिकारी के महत्व की चर्चा भी है—

अधिकारी धो भलौ रस जाने। अलि दिन यमर्लाहि को पहचाने॥⁸²

विरोध पुष्टि का प्रतिरूप है। इसका स्वर खण्डनात्मक होता है। यथा परछिद्वान्वेषण को ही लीजिए। इस प्रवृत्ति को धृणाहं एवं हेय माना गया है। इलाचन्द्र जोशी ने परछिद्वान्वेषी व्यक्ति के प्रति लोकोक्ति के माध्यम से अपना विरोध प्रकट किया है—‘काती पतीली अपनी ही तरह काली बलटोहो को ‘काला’ कहती है।’ एक दोषी व्यक्ति का दूसरे दोषी व्यक्ति की आलोचना करने पर इसका प्रयोग होता है।

उपयोग की दृष्टि से ढाँ० तिवारी की दो दृष्टियाँ—पुष्टि एवं विरोध के द्वारा सभी प्रकार की लोकोक्तियों को इनके अन्तर्गत समाहित नहीं किया जा सकता। ढाँ० सत्येन्द्र द्वारा विवेचित लोकोक्तियों के उपयोग की चार दृष्टियाँ साधारणतः मान्य रही हैं। ये हैं—पोषण, शिक्षण, आलोचन एवं सूचन। लोकोक्तियों के प्रयोग की दृष्टि से ढाँ० रमेशचन्द्र का यह कथन अपेक्षाकृत सम्यक् प्रतीत होता है—लोकोक्तियों के विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि इनमें संक्षिप्तता, सारगम्भितता, सप्राणता, लोकानुभव, लोकप्रिमता, परम्परित ज्ञान, हास्य, व्यग्रात्मकता, आलकारिकता, सूत्रात्मकता, चमत्कार, प्रभावोत्पादकता, सत्यता, नीति, आलोचन, सूचन, निर्देश एवं पोषण आदि तत्त्व मिलते हैं।⁸³ ढाँ० सत्येन्द्र द्वारा प्रतिपादित पोषण, शिक्षण, आलोचन एवं सूचन चार दृष्टियों में शिक्षण के स्थान पर ढाँ० रमेश चन्द्र ने नीति का तथा ‘सूचन’ के साथ ‘निर्देश’ का प्रयोग किया है, वह सूचन के ही निकट है। उपयोग सम्बन्धी चार दृष्टियाँ ही विचारकों ने प्रकारान्तर से स्वीकार की हैं। ढाँ० रमेशचन्द्र ने लोकोक्ति में निहित हास्य, व्यग्रात्मकता, आलकारिकता आदि की चर्चा के साथ अन्य तत्त्व चमत्कार स्वीकार किया है। चमत्कार अथवा रमणीयता की सूचिटि करने वाली लोकोक्ति में कही अलकार के माध्यम से सौन्दर्य के दर्शन होते हैं, तो कही हास्य-व्यग्र आदि के द्वारा अद्भुत चमत्कार उत्पन्न होता है। लोकोक्ति में निहित इस सौन्दर्य का उद्घाटन ही हमारे शोध-प्रबन्ध का विषय है। ढाँ० रमेशचन्द्र ने जिन तत्त्वों को छोड़ दिया है, मुख्यतः वे हैं—

शब्द शक्ति, रस, ध्वनि, वक्त्रोक्ति आदि। लोकोक्ति मे जहा रसात्मकता होती है वहा उक्ति वंचित्र्य के भी दर्शन होते हैं। ध्वन्यात्मकता लोकोक्ति की एक विशेषता है। लक्षणा व्यजना शब्द शक्ति के माध्यम से लोकोक्ति अपने अर्थ गाम्भीर्य को प्रकट करती है। यही नहीं विम्ब-विधान के सफल सयोजन के द्वारा लोकोक्ति एक चित्र उपस्थित करती है जिससे जहा इसके अर्थ का स्पष्टीकरण होता है, वहा इसका भाव भी हृदयगम हो जाता है तात्पर्य यह है कि लोकोक्ति मे निहित सौन्दर्य तत्त्व का दर्शन विभिन्न दृष्टियों द्वाराकिया जा सकता है। शब्द शक्ति की दृष्टि से विचार करते हुए डॉ० रमेशचंद्र लिखते हैं—लोकोक्तिया वाक्यात्मक, लक्षणात्मक एव व्यग्रात्मक तीनों ही प्रकार की होती हैं, तुलनात्मक दृष्टि से व्यग्रात्मक लोकोक्तियाँ सल्या मे सबसे अधिक होती हैं।⁸⁴ पादचात्य विचारको ने भी लोकोक्तियों मे शब्द शक्ति या अभिप्राय की अनिवायता स्वीकार की है।⁸⁵

लोकोक्ति के अन्य तत्त्वों मे डॉ० मदन लाल शर्मा ने अपने शोध प्रबन्ध में उपर्युक्त तत्त्वों के अतिरिक्त तीन अन्य तत्त्वों को अनिवार्य माना है। ये हैं—। सरलता, 2 उपयोगिता, और 3 पूर्ण वाक्य या वाक्य समूह का प्रयोग।⁸⁶ २० मुरलीधर व्यास ने अपनी परिभाषा मे लोकोक्ति को घरेलू भाषा कहकर इसकी 'सरलता' को और सकेत किया है।⁸⁷ २०० कृष्णदेव उपाध्याय के मतानुसार लोकोक्तियाँ वडी सरल भाषा मे निबद्ध होती हैं जिससे सुनते ही इनका अथ हृदयगम हो जाता है। इनकी यही सरलता इनके अतिशय प्रभाव उत्पन्न करने का कारण है। जो वस्तु अथ काठिन्य के बारण समझ म नहीं आती उसका प्रभाव हृदय पर नहीं पड़ता। परंतु लोकोक्तिया अपनी सरसता और सरलता के कारण हृदय पर सीधे चोट करती है। जैसे—

नसकट पनही, बतकट जोय
जो पहिलोठी विटिया होय।
पातर कृप्यो बौरहा भाय,
घाघ कहे दुख कहा समाय।

यह बात किसी से छिपी नहीं है कि पेर का काटने वाला जूता और (पति की) बात काटने वाली स्त्री कितनी दुखायी होती है। इसके साथ ही कमजोर कसल और शत्रु रखने वाला भाई भी व्यक्ति के कष्ट के कारण हुआ करते हैं। घाघ ने इही बातों का वडी सीधी सादी भाषा मे कहा है जिसका प्रभाव ग्रामीण जनों के हृदय पर अत्यधित सहजता से होता है।⁸⁸ अत सरलता को लोकोक्ति की लोकप्रियता का यदि सहायक गुण स्वीकार किया जाए, तो आपत्ति न होपी।

उपयोगिता लोकोक्ति का एक अनिवाय तत्त्व है। प्राय देखा जाता है कि लोकोक्ति की उपयोगिता समाप्त हो जाने पर इसका प्रचलन भी अवश्य हो जाता है। डॉ० शर्मा ने लोकोक्तियों मे यह उपयोगिता दो प्रकार की मानी है—

(1) शाश्वत उपयोगिता जो सावदेशिक और सावकालिक होती है।

(2) अशाश्वत उपयोगिता जो समय और स्थानानुमार परिवर्तित होती रहती

है। शाश्वत उपयोगिता में एक 'सार्वभौम सत्य' निहित रहता है। जैसे—'एक हाथ से ताली नहीं बजती।' अतः उसका कभी लोप नहीं होता। अशाश्वत सोकोक्ति का उपयोग समय के व्यतीत होने के साथ ही साथ समाप्त भी हो जाता है। जैसे—'डफिनेच्छा बलीयसी' आदि।⁸⁹ उपयोगी न रहने के कारण ऐसी सोकोक्तिया काल कवलित हो जाती हैं।

डॉ० शर्मा ने सोकोक्ति का अन्तिम तत्त्व पूर्ण वाक्य या वाक्य समूह का प्रयोग माना है। 'पूर्ण वाक्य' या 'पूर्ण कथन' के बिना सोकोक्ति मुहावरे की कोटि में चली जाएगी यद्योकि 'मुहावरा' एक 'वाक्याश' मात्र ही होता है। सोकोक्ति और मुहावरे में प्रायः अनेक गुण तो समान ही होते हैं, परन्तु केवल 'वाक्य' और 'वाक्याश' का नी अन्तर रहता है।⁹⁰ मुहावरे के साथ सोकोक्ति का अन्तर स्पष्ट करते हुए इस विषय पर विस्तार पूर्वक आगे विचार किया गया है।

सोकोक्ति की अन्य विशेषताओं में एक विशेषता है—सुक साम्य। तुकान्त होने पर सोकोक्ति शीघ्र ही याद हो जाती है। मुख-मुख सोकोक्ति को तुकान्त बनाने में सहायक होता है। तुकान्त सोकोक्ति चिरस्थायित्य प्राप्त करती है और सोक-जिह्वा पर नर्तन करके सोकप्रियता भी प्राप्त कर सेती है। सोकोक्तिया गद्यबद्ध और पद्यबद्ध दोनों प्रकार की होती हैं। गद्यबद्ध सोकोक्ति शुष्क वाक्य से भिन्न होती है। इसमें एक लय होनी है। यदि लय का संगीत न हो तो भी लयाश (रिदिम) अवश्य विद्यमान होता है। इस लय को तुक द्वारा सुविधा प्राप्त होती है, परिणामतः सोकोक्ति चमत्कारपूर्ण बन कर जन-वाणी में मुखरित हो जाती है और श्रोता अथवा पाठक को अपनी इस आकर्षण शक्ति द्वारा आकपित कर नेती है। एक सोक प्रसिद्ध उचित है—वनिया जान-य-चान वाले को और ठग अनजान को ठगता है—'वनिया मारे जान, चोर (ठग) मारे अनजान।'⁹¹ किन्तु सर्वत्र ऐसा नहीं होता। कहीं-कहीं सतुलित वर्णों की आवृत्ति से विशिष्ट शब्द-धनि निर्मित होकर लयाश उत्पन्न करती है। यदा—'सेया भए कोतवाल थव डर काहे का।'⁹²

सोकोक्ति में अप्रस्तुत प्रयोग भी होता है। इस अप्रस्तुत प्रयोग के द्वारा प्रस्तुत विषय का प्रतिपादन किया जाता है। उदाहरणार्थ—'नाघ न जाने थायरी कहै आगन टेड़ो।' यहाँ कर्म करने की कुशलता का सर्वथा अभाव है किन्तु अपनी अकुशलता या अनिपुणता को प्रचटन रखने के अभिप्राय से विसी अनुपयुक्त कारण का उल्लेख किया गया है। सामान्यतः विस्तृत होने के कारण थांगन नृत्य के उपयुक्त होता है किन्तु उम्मे दोप बनाकर नृत्य न करने की विशेषता को प्रकट किया गया है। इस प्रकार यहा प्रस्तुत है कर्म दरने की अनिपुणता के परिणामस्वरूप तत्त्वार्थ के साधन को व्याज में अनुपयुक्त बनाकर अपनी अकुशलता को प्रचटन रखना तथा अप्रस्तुत है नर्तन की अज्ञानता से आगन परों परिधा ही दोपयुक्त बनाना। ऐसी सोकोक्तियों में अप्रस्तुत वे माध्यम से प्रस्तुत विषय का प्रतिपादन किया जाता है, जिन सोकोक्ति और अप्रस्तुत विषयान एक ही शब्द में दो पर्याय नहीं, यद्योकि हर सोकोक्ति अप्रस्तुत प्रयोग नहीं है और हर अप्रस्तुत-विषयान सोकोक्ति नहीं है। कुछ ऐसी भी सोकोक्तिया होती हैं जिनमें मात्र प्रस्तुत मात्र ही प्रति-

पादन होता है, यथा—“इदं वरेच्छा वलीयसी”, ‘पराधीन सपनेहुं सुख नाहीं’⁹³ सूर की एक उक्ति भी इसी प्रकार की है—अति सर्वथा भल्लो नहीं, कहिंगे सत्त अनन्तः। रहीम ने भी कहा है—

रहिमन अति न कोजिए, गहि रहिए निज कानि ।

सहिजन अति फूले डारि पात को हानि ।⁹⁴

इसी प्रसंग में यह भी उल्लेख्य है कि लोकोक्ति का यथार्थ स्वरूप व उसमें निहित शक्तिं तभी प्रस्फुटित होती है जब उसका प्रसंगानुकूल प्रयोग किया जाए। यथा—‘गौरस वेचन हरि मिलन एक पंथ दो काज’ में मात्र ‘एक पन्थ दो काज’ लोकोक्ति का प्रसंग रद्दित प्रयोग किया जाए तो वह प्रभावोत्पादक नहीं होगी, किन्तु प्रसंगवशात् गोपिकाओं के कथन रूप में यह लोकोक्ति ‘एक पन्थ दो काज’ इसलिए सार्थक है क्योंकि एक साथ ही नवनीत-विक्रय एवं श्रीकृष्ण-दर्शन का द्विगुणित लाभ को बतलाया जाना अभिप्रैत है।

डॉ० सत्येन्द्र ने लोकोक्ति की तिम्न विशेषताएं स्वीकार की हैं—

- (क) लोकोक्ति साधारणतः लघु होती है, यथा—अगामी सो सवायो ।
- (ख) गदा के अतिरिक्त पद्यबद्ध भी होती हैं तथा सतुक होती हैं, यथा—‘स्यारी बाप ही ते न्यारी।’ कभी-कभी शब्द-व्यंगि की सुलित आवृत्ति से छन्द चरण निर्मित हो जाता है—‘धर की खाड किस किसी लागं, बाहर की गुड मीठो ।’
- (ग) अधिकाश कहावते अन्योक्तियां होती हैं। इससे अभिप्राय विस्तृत हो जाता है।—‘आगे नाथ न पीछे पगहा।’ यह बैल से सम्बन्धित है, पर अनाथ आवारा के लिए ठीक बंटेंगी। उक्ति में वर्णित ‘विशेष’ में जो ‘सामान्य’ रहता है, उसी ‘सामान्य’ के अर्थ में उसका चाहे जहा उपयोग किया जा सकता है।
- (घ) विशेष का संयोजन और उसके द्वारा वैचित्र्य का विकास—इसमें असाधारण कल्पना होती है, यथा—‘छदाम की बुढिया।’ बुढिया छदाम कैसे हो सकती है? ऐसे स्वलो पर कल्पना की सभावना-असभावना का ध्यान नहीं, वैचित्र्य का प्राधान्य होता है। ऐसी कहावतें (ब्रज में) बहुत कम, अपवाद स्वरूप ही हैं।
- (च) प्रकृति का गम्भीर निरीक्षण एवं तत्सम्बन्धी सचित अनुभव—ये ज्ञान कोश को भाँति कृपि आदि में सहायक हैं। पशु-स्वास्थ्य-शुभाशुभ आदि के सम्बन्ध में कहीं गई लोकोक्तिया ज्ञानवद्धक होती हैं।
- (छ) घटना या कहानी से सम्बन्धित—यथा—‘कायस्थ का बच्चा कभी न सच्चा, जो सच्चा तो गधे का बच्चा।’⁹⁵

उपर्युक्त विवेचन में डॉ० सत्येन्द्र ने लोकोक्ति की जिन विशेषताओं से अवगत

42 लोकोक्ति और मुहावरा स्वरूप विशेषण

कराया है, वे प्राय पूर्वोंका ही हैं। प्रथम विशेषता सक्षिप्तता है, द्वितीय सुकान्त। तृतीय और चतुर्थ विशेषता का अन्तर्भव लोकोक्ति की आलकारिकता एवं उक्ति-वैचित्र्य के अन्तर्गत हो जाता है। अन्तिम दोनों विशेषताएँ लोकोक्ति के विषयगत आधार प्रकृति एवं कथा के अन्तर्गत पूर्वत वर्णित हैं। डॉ० सत्येन्द्र का यह प्रतिपादन इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने लोकोक्ति की प्रमुख विशेषताओं का पृथक्-पृथक् सोदाहरण निष्पत्ति किया है। डॉ० गयासिंह 'तुलसी-काव्य की लोक सात्त्विक सरचना' नामक पुस्तक में लोकोक्ति की निम्न विशेषताएँ प्रदर्शित करते हैं—

लोकोक्तियाँ समाज-नीति, धर्म, अनुभव, व्यवहार, शिक्षा, उपदेश, विश्वास, रीति, ज्ञान आदि से सबलित रहती हैं। इनका स्वरूप घटनात्मक, कथात्मक, व्याख्यात्मक, वस्तुनिर्देशात्मक, सवादात्मक और उपदेशात्मक होता है। ये गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों रूपों में होती हैं और प्राय एक विचार, भाव, घटना आदि से सदभित रहकर पूर्ण वाक्य या सार्थक पद-समूहों में व्यक्त की जाती हैं। एक ही मूल की विभिन्न भाषाओं तथा बोलियों में कुछ सामान्य हेर फेर से इसका ढाँचा एक-सा रहता है। भाषा के कवि इनके माध्यम से अपने काव्यात्मक कथनों को अधिक तीव्र तथा प्रेषणीय बनाते एवं उनमें चमत्कार और मार्मिकता लाते रहे हैं।⁹⁶ कहना न होगा कि प्रस्तुत विवेचन में डॉ० गया सिंह ने लोकोक्ति के विषय-वैचित्र्य का प्रतिपादन करते हुए उसे उभयरूपा स्वीकार किया है। उनका यह कथन है कि एक ही मूल की विभिन्न भाषाओं तथा बोलियों में कुछ सामान्य हेर-फेर से इसका ढाँचा एक-सा रहता है, उपयुक्त प्रतीत होता है। इसके साथ उन्होंने जो यह कहा है कि लोकोक्ति के द्वारा काव्य भाषा में तीव्रता, प्रेषणीयता, चमत्कार एवं मार्मिकता की सूचिट होती है, काव्य भाषा में इसके प्रभाव-सामर्थ्य का प्रतिपादन है। इस सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक चर्चा की जाएगी।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर लोकोक्ति की निम्नांकित विशेषताएँ निर्धारित की जा सकती हैं—

—सक्षिप्तता, सारगमितता एवं सप्राणता इन तीनों तत्त्वों का निष्पत्ति श्री आर०सी० ट्रैंच ने और चौथे तत्त्व लोकप्रियता को हैस्टिस ने स्वीकार किया। डॉ०कन्हैयालाल 'सहल' ने सक्षिप्तता, सारगमितता एवं सप्राणता किसी उत्तराट सोकोक्ति के तो अपरिहायं गुण स्वीकार किए हैं, बिन्तु लोकोक्ति मात्र के अनिवार्यं गुण नहीं माने हैं। डॉ० सहल ने अपने मत की पुस्टि के उपयुक्त उदाहरण भी उद्धृत किए हैं, जिनका खण्डन अनेक विद्वानों ने किया है। सक्षिप्तादि लोकोक्ति के अनिवार्यं गुण हैं। यद्यपि कुछ लोकोक्तिया सक्षिप्त न होकर विस्तृत भी होती हैं; बिन्तु इस प्रकार की लोकोक्तिया अपयाद स्वरूप ही कही जाएगी, क्योंकि प्राय लोकोक्ति सक्षिप्त होती है। सारगमितता एवं सप्राणता का अभाव लोकोक्ति को स्वीकार्यं नहीं है। डॉ० सहमी नारायण धर्मी ने सजीवता को सारगमितता के अन्तर्गत माना है, जो उचित प्रतीत नहीं होता। सारगमितता एवं सप्राणता लोकोक्ति के दो भिन्न-भिन्न तत्त्व हैं।

लोकप्रियता लोकोक्ति का प्राणतत्त्व है।

—लोकोक्ति में निहित मानवीय अनुभव एवं उनकी सत्यता के विषय में विद्वानों में विवाद रहा है। कुछ विद्वानों ने लोकोक्ति के सत्य को चरम सत्य माना है तो कुछ विचारकों—टो०टी० भुगर आदि ने अद्वैतसत्य मात्र स्वीकार किया है। वस्तुत जीवन के अन्त एवं बाह्य पक्ष का, इहलोक एवं परलोक का, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त विविध अनुभवों का उद्घाटन लोकोक्ति के माध्यम से होता है। अनुभवों का वैविध्य लोकोक्ति में प्रतिपादित ज्ञान को विविधता प्रदान करता है।

—कुछ विद्वानों ने लोकोक्ति का आधार ऐतिहासिक या पौराणिक कथाओं एवं प्राकृतिक नियमों को माना है। लोकोक्ति का यह आधार अपनी सीमाओं का स्पष्ट सकेत कर देता है। मानवीय अनुभव का क्षेत्र जितना विस्तृत होगा, लोकोक्ति का विषयगत वैविध्य भी उतना ही व्यापक बन जाएगा। प्राकृतिक अनुभव भी मानवीय अनुभव का एक रूप है। इससे इतर भी लोक-शास्त्र आदि द्वारा भी अनुभवों का ग्रहण कर, उन्हें लोकोक्तियों में समाविष्ट किया गया है। ऐतिहासिक-पौराणिक घटना-कथा, प्राकृतिक अनुभव के अतिरिक्त लोक एवं शास्त्र का सारतत्त्व भी लोकोक्ति का आधार निर्मित कर इसे सारगमित बनाते हैं।

—प्रयोग की दृष्टि से डॉ० तिवारी ने पुष्टि अथवा विरोध—इन दो दृष्टियों की स्थापना की है, किन्तु उनका यह मन्तव्य सीमापूर्ण है। लोकोक्तियों का उपयोग डॉ० सत्येन्द्र द्वारा विवेचित चार दृष्टियो—पौपण, शिक्षण, आलोचन एवं सूचन द्वारा ही प्राप्य मान्य रहा है। डॉ० रमेश चन्द्र ने अपने शोध प्रबन्ध में नीति, निर्देश आदि शब्दों का प्रयोग कर नवीनता लाने का प्रयत्न किया है, किन्तु प्रकारान्तर से उपयोग सम्बन्धीये दृष्टिया डॉ० सत्येन्द्र के द्वारा विवेचित चार दृष्टियों के समानान्तर ही व्याख्यायित हुई हैं। इनके अतिरिक्त डॉ० रमेश चन्द्र ने इनमें हास्य, व्यग्रात्मक, आलकारिकता आदि विशेषताएँ स्वीकार की हैं।

—शब्दशक्ति की दृष्टि से लोकोक्तिया वाच्यात्मक, लक्ष्यात्मक एवं व्यग्रात्मक तीनों ही प्रकार की होती हैं, किन्तु तुलनात्मक दृष्टि से व्यग्रात्मक लोकोक्तियों की सहजा सर्वाधिक होती है।

—लोकोक्ति के अन्य तत्त्वों में डॉ० मदनलाल शर्मा ने तीन अन्य तत्त्व माने हैं। ये हैं—सरलता, उपयोगिता एवं पूर्ण वाक्य । १० मुरलीधर व डॉ० कृष्णदेव ने भी 'सरलता' पर विशिष्ट बल दिया है।

—'तुक साम्य' लोकोक्ति की एक अपूर्व विशेषता है। गद्यवद्ध और पद्यवद्ध दोनों ही प्रकार की लोकोक्तियों में लय अथवा लयांश अनिवार्यत होता है।

—डॉ० सत्येन्द्र के मतानुसार लोकोक्तिया प्राय अन्योक्तिया होती है। आलकारिकता लोकोक्ति वी अभिन्न विशेषता है।

—लोकोक्ति समग्रत सौन्दर्य की सृष्टिकर्त्री है। लोकोक्ति द्वारा निष्पादित सौन्दर्य का उद्घाटन रस, अलकार, ध्वनि, उक्ति-वैचित्र्य, शब्द-शक्ति, व्याघ्र एवं विम्ब-विधान आदि विभिन्न दृष्टियों के द्वारा देखा जा सकता है।

—लोकोक्ति की अन्तिम विशेषता है इसका प्रसगानुकूल प्रयोग। इससे प्रकरण में प्रभावात्मकता आती है। लोक-व्यवहार के अतिरिक्त साहित्य के क्षेत्र में लोकोक्ति के प्रयोग के द्वारा काव्य-भाषा में तीव्रता, प्रेपणीयता, चमत्कार एवं मार्मिकता की सृष्टि होती है। डॉ० गयासिंह ने अपने विवेचन में काव्य भाषा और लोकोक्ति के सम्बन्ध पर विचार किया है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर निष्कर्षत लोकोक्ति के स्वरूप को इस प्रकार स्थिर किया जा सकता है—किसी ऐनिहासिक-पौराणिक घटना अथवा कथा, प्राकृतिक नियम, लोक व्यवहार (लोक-न्यायादि) एवं शास्त्र-सम्बन्धी मानवीय अनुभव पर आधारित ज्ञान (सत्य) को उद्घाटित करने में समर्थ प्राय सक्षिप्त, सारगम्भित, सजीव, सरल, उपयोगी तथा लोकप्रिय सतुक (लय-लमांसायुक्त) गदा या पद्यमय पूर्ण वाक्य अथवा वाक्य-समूह का जब प्रसगानुकूल किसी पुष्टि, शिक्षा, आलोचना अथवा सूचना-निर्देश आदि के लिए प्रयोग होता है, तो उसे लोकोक्ति की सज्जा से अभिहित किया जाता है। इसके प्रयोग से प्रकरण में जीवन्तता-प्रभावोत्पादकता तथा काव्य-भाषा में तीव्रता-प्रेपणीयता आदि की सृष्टि होती है। समग्रत लोकोक्ति एक चमत्कार अथवा सौन्दर्य की सृष्टिकर्त्री है। साहित्य में लोकोक्ति द्वारा निष्पन्न इस सौन्दर्य का दर्शन रस, अलकार, ध्वनि, उक्ति-वैचित्र्य, शब्दशक्ति एवं व्याघ्र आदि विभिन्न दृष्टियों के परिषेष्य में किया जा सकता है। इनके सभी काव्यागों के आलोक में लोकोक्ति में निहित सौन्दर्य का अन्वेषण इन पक्षियों के लेखन की शोध कृति का मूल उद्देश्य है।

लोकोक्ति के समानान्तर कुछ अन्य शब्द भी प्रचलित हैं, जिनकी लोकोक्ति के साथ तुलना करते हुए भेदभेद स्थापित करना आवश्यक है। ये हैं—लोकिक न्याय, वहावत, प्रहेलिका और सूक्ति अथवा प्राज्ञोक्ति आदि।

लोकोक्ति और लोकिक न्याय—सन् 1877 में डॉ० बीलर की काइमीर-रिपोर्ट में न्याय शब्द का प्रयोग 'परिचित उदाहरणों से निकाले हुए अनुमान' के अर्थ में किया गया था। कर्नल जैनव ने लोकिक न्याय के पर्याय रूप में Maxim शब्द प्रहण किया था, मिन्तु इस पर्याय से वे स्वयं सन्तुष्ट नहीं थे। उन्होंने तो केवल बड़े-बड़े विद्वानों द्वारा न्याय के अर्थ में गृहीत Maxim शब्द को देखकर ही अपनाया था, अन्यथा उनकी मान्यता थी कि अप्रेजी भाषा में न्याय के अन्तर्गत दृष्टान्त, नियम और अधिवरण तीनों वा सम्बन्धित किया गया है। अप्रेजी का Maxim शब्द इतना व्यापक नहीं है कि वह उक्त तीनों प्रकार के अयों वा वाचन बन सके। इसलिए जैनव वे मतानुसार तो न्याय

शब्द कर अप्रेजी अनुवाद न करके अप्रेजी भाषा में भी इसे ज्योंका-त्यो प्रहण करु सेना चाहिए।⁹⁷

'लोकोक्ति' एवं 'लोकिक न्याय' में प्राय विद्वानों ने लोकोक्ति स्वीकार की है। प० रामनरेश निपाठी के अनुसार तो 'सस्कृत में लोकिक न्याय के अन्तर्गत बहुसंख्यक सूत्र उस समय की था जिससे पहले की लोक विश्रुत कहावतें ही हैं। उसमें जो युक्ति-मूलक दृष्टान्त हैं, वे किसी एक समय के नहीं हैं, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में पठवारे बुद्धिमानों को जो सच्चे अनुभव हुए, उन्हीं को उन्होंने सूनबद्ध करके जनता को सौंप दिया। जनता ने उनको उपयोगी समझकर अपना लिया। इस प्रकार मुक्तभोगियों के कितने ही सच्चे हृदयोदगार लोकोक्तियों के रूप में प्रचलित हो गए।⁹⁷ यहां निपाठी जी ने घंटी विशेष बात कहा है कि सस्कृत साहित्य में लोकिक न्याय लोकोक्तियों से भिन्न नहीं है तथा लोकिक न्याय के अन्तर्गत बहुसंख्यक सूत्र अथवा युक्ति मूलक दृष्टान्त से लोकोक्ति भिन्न नहीं है। लोक-विश्रुत कहावतों को जहां लोकिक न्याय के रूप में स्थान मिला, वहां अनेक सूत्रबद्ध युक्ति-मूलक दृष्टान्त लोकोक्ति के रूप में लोक प्रचलित हो गए।

इस सम्बन्ध में हॉ० कन्हैयालाल सहल ने जो भतव्य प्रक्रिया है, वह इस प्रकार है—

- (1) अनेक न्याय ऐसे हैं जो एक पदार्थक है। मत्स्य न्याय, टिट्टभन्याय आदि उदाहरण स्वरूप रखे जा सकते हैं। विश्व में शायद ही कोई ऐसी लोकोक्ति हो जो केवल एक पद में समाप्त हो जाती हो। छोटी-से-छोटी लोकोक्ति के लिए भी कम से-कम दो पद आवश्यक है। ट्रैक के मतानुसार voll, toll जमेन-लोकोक्ति दुनिया की सबसे छोटी कहावत है।
- (2) प्राय न्याय द्विशब्दार्थक हैं, जिनका सम्पूर्ण वाक्य की भाँति प्रयोग नहीं होता, यथा—अजाकृपाणीन्याय, अन्धगज, कूपमण्डूक न्यायादि। इनके मूल में कोई न-कोई कथा मिलती है, जिसको जाने विना स्पष्टीकरण नहीं हो पाता। अनेक लोकोक्तियां भी ऐसी हैं, जिनके पीछे कोई न-कोई कथा पाई जाती है, किन्तु लोकोक्ति सम्पूर्ण वाक्य की तरह प्रयुक्त होती है, दो दो शब्दों में पद्धाति की तरह नहीं। कहावती रूप में किया का कभी-कभी अभाव होने पर भी किया सदा गम्य रहती है।
- (3) कुछ न्यायों वो लोक प्रसिद्ध उपमाओं दा नाम दिया जा सकता है, यथा घरधरण न्याय, अरण्यरोदन न्यायादि। लोकोक्तियों में भी यद्यपि ऐसे उदाहरण प्राप्त हैं, किन्तु लोकिक न्यायों में इस प्रकार की उपमाओं का प्राचुर्य दृष्टिगत होता है।
- (4) कतिपय न्याय ऐसे भी हैं, जिनमें लोकोक्ति के लक्षण प्राप्त होते हैं, जैसे (क) भक्षितेऽपि लशुने न शान्तो व्याधि लहसन खाकर भी रोग शान्त न हुआ। जैकब इस प्रकार के न्याय के लिए 'प्रोवर्व' शब्द का ही प्रयोग करते हैं।

(ख) यरमद्य कपोतः इवो मयूरात्—कल के मयूर से आज का कपोत अच्छा ।

(ग) सर्वं पद हस्तिपदे निमग्नम्—हाथी के पैर में सब पैर आ जाते हैं ।

(5) ऐसे न्याय जो कहावत के रूप में उपलब्ध हैं, जैसे 'गो महियो न्याय' अथवा राजस्थानी लोकोक्ति—'न्याय की भेंस के लागे और भेंस की न्याय के लागे ?' अर्थात् न्याय और भेंस का परस्पर क्या सम्बन्ध ?

(6) जैकब द्वारा सगृहीत और सम्पादित लोकिक न्यायाजलि में कही-कही न्याय के स्थान में निदर्शन और नियम शब्द का प्रयोग हुआ है। यथा
(क) 'तम प्रकाश निदर्शनम्'। अर्थात् अन्धकार और प्रकाश की युगपत् स्थिति का दृष्टान्त । (ख) 'तेल कुलपित शालिदीजादं कुरानुदय नियम.'। अर्थात् तेल से कलुपित बीज के अकुरित न होने का नियम ।

(7) प्रश्नोत्तर के रूप में न्याय, यथा—

प्रश्न : जागर्ति लोको ज्वलति प्रदीप. सखी जनः पश्यति कौतुक मे ।

क्षणेक मात्रं कुरु कान्तधैर्यं बुभुक्षितः कि द्विकरेण भुक्ते ॥

उत्तर : जागर्ति लोको ज्वलतु प्रदीप. सखी जनः पश्यति कौतुक मे ।

क्षणेक मात्र न करोमि धैर्यं बुभुक्षितं न प्रतिभाति किञ्चित् ॥

(8) आभाणक न्याय को न्याय का एक भेद माना गया है। 'बराटकान्वेषण प्रवृत्तशिंचतामणि लद्घवान्' इसे आभाणक न्याय स्वीकार किया गया है।

(9) कुछ कवियों की उवित को न्यायान्तर्गत स्वीकार किया गया। यथा—
(क) छिद्रेष्वनर्था बहुली भवन्ति (विष्णुशर्मा) अर्थात् विघ्न पर विघ्न आया करते हैं । (ख) सर्वारम्भा हि दोषेण घमेनाग्निरिवावृता. (गीता) अर्थात् जैसे अग्नि धूम से आवृत होती है, उसी प्रकार सब समारम्भ दोष से युक्त होते हैं ।¹⁹⁹

डॉ० सहूल का लोकिक न्याय एव लोकोक्ति विषयक यह प्रतिपादन यद्यपि उनकी सूखम विचारशीलता का परिचायक है, तथापि उपर्युक्त वर्गीकरण में कुछ संशोधन वी अपेक्षा है। उदाहरण के सिए चतुर्थ वर्ग को उन्होने न्याय का एक ऐसा रूप माना है, जिसमें लोकोक्ति के लक्षण प्राप्त होते हैं। ऐसे विनाश मत में वस्तु स्थिति सर्वं भा प्रतिकूल है, क्योंकि इस वर्ग में निर्दिष्ट उदाहरण लोकोक्तियों के ही उदाहरण हैं। इनका प्रयोग भी साकृत में लोकोक्तियों के ही रूप में हुआ है। हाँ, न्याय का लक्षण यदि इस प्रकार की लोकोक्ति में स्वीकार दिया जाए तो आपत्ति न होगी, बिन्दु इन लोकोक्तियों को न्याय स्वीकार करना युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता। इसी प्रकार जहाँ पर उन्होने पचम वर्ग के न्याय को कहावत के रूप में माना है और उदाहरण 'गोमहियो न्याय' को उद्धृत दिया है, उसके सम्बन्ध में मेरा विचार है कि यह उदाहरण सोकौक्ति का उदाहरण न होकर न्याय या उदाहरण ही है। इस प्रकार के ऐसे अनेक न्याय हैं जो आज लोकोक्तियों के रूप में प्रचलित हो गए हैं, अन्वेषण करने से प्रायः सभी वर्गों के लोकिक न्याय के रूप लोकोक्तियों

में प्राप्त हो सकते हैं। इसका भाव एक ही आधार है, जहाँ है लोक-प्रचलित दृष्टिकोण महत के अनुसार न्याय के अन्तर्गत लोक-प्रचलित पदाश, प्रसिद्ध उपमाएँ, विश्वेतदृष्टव्यवहार, सूत्रित्या तथा आमाणक अथवा लोकोक्तिया—सभी को स्थान मिल गया है, १०५ किन्तु ऐसी बात लोकोक्ति के विषय में भी कही जा सकती है। लोक-न्याय व उससे सम्बद्ध प्रकारों को लोकोक्ति अपने गर्भ में समाहित रखती है, किन्तु लोकप्रियता के अभाव में इन्हें मात्र सूत्र की सज्जा देना सभीचीन प्रतीत होता है। वे स्वयं लिखते हैं कि बहुत से न्याय ऐसे हैं जिन्हें पारिभाषिक दृष्टि से लोकोक्ति तो नहीं कहा जा सकता किन्तु वे सूत्र-शैली में ग्रथित ऐसे पद-सम्बुच्चय हैं जो अपने में गम्भीर अर्थ छिपाए हुए हैं।¹⁰¹

वस्तुत 'लोकोक्ति एव लोकिक न्याय' के पार्थक्य का मुख्य कारण यह भी है कि 'लोकिक न्याय' जहाँ शास्त्र का विषय होने के कारण तार्किकों से सम्बद्ध है, वहाँ 'लोकोक्ति' का प्रयोग सर्वसाधारण एव शिष्ट सभी प्रकार के व्यक्तियों द्वारा होता है। 'लोकिक न्याय' एव लोकोक्ति के परस्पर सम्बन्ध के विषय में उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 'लोकिक न्याय' के अन्तर्गत 'लोकोक्ति' तथा 'लोकोक्ति' के अन्तर्गत 'लोकिक न्याय' का भी समावेश है, किन्तु प्रत्येक 'लोकिक न्याय' में 'लोकोक्ति' और इसी प्रकार प्रत्येक 'लोकोक्ति' में 'लोकिक न्याय' का समावेश नहीं हो सकता। गूढ़, शास्त्रीय अथवा दार्शनिक लोकिक न्याय मात्र शास्त्रवद्ध ही रहते हैं, जबकि इनसे पृथक् कुछ लोकिक न्याय अपने विशिष्ट गुणों के परिणामस्वरूप लोक-प्रचलित होकर कदाचित् किञ्चित् परिवर्तन के साथ लोकोक्ति का पर्याय बन जाते हैं।

लोकोक्ति और कहावत—कुछ विद्वानों द्वारा इनमें परस्पर भेदभेद स्थापित करने का प्रयत्न हुआ है। इस समस्या का श्रीगणेश तब हुआ जब कहावत कोश के सपादक डॉ० मुवनेश्वर नाथ मिश्र 'माधव' एव श्री विक्रमादित्य मिश्र ने कहावत को श्रेष्ठसिद्ध करते हुए लोकोक्ति को सामान्य कोटि का बताया। यही नहीं उन्होंने विभिन्न विद्वानों के मतों द्वारा साप्रह अपने मत की स्थापना की। उनका मन्तव्य इस प्रकार है—किसी भी सामान्य उक्ति को लोकोक्ति कहा जा सकता है, लेकिन कहावत लोक की सामान्य उक्ति न होकर एक विशेष प्रकार की सर्वग्राह्य उक्ति होती है। इसके विपरीत लोकोक्ति सर्वग्राह्य होते हुए भी एक सर्वमान्य उक्ति होती है। लोकोक्ति के अन्तर्गत बच्चों के सेल-सम्बन्धी उक्तिया, मनोरजन विषयक उक्तिया, बुझीवल (पहेलियाँ), तिरथंक अथवा निरभिप्राय सापंक अथवा साभिप्राय उक्ति होने के कारण लोकोक्ति का ही एक प्रकार है, जिसका एक विशेष प्रयोजन होता है। उपदेश, शिक्षा, ज्ञान, सूचना, आलोचना, मनोविज्ञान, कृपि, व्यवसाय, विधि निषेध, रीति-नीति, हास्य व्यग्र आदि कहावतों के विशेष अभिप्राय होते हैं।...निष्कर्ष यह है कि कहावतों सार्थक तथा साभिप्राय होती हैं और उनमें सीधे चोट करने की ऐसी क्षमता है, जो शास्त्रीय उपदेश-वाक्यों में भी उपालम्भ सम्भव नहीं। किन्तु लोकोक्तियाँ सार्थक अथवा निरथंक दोनों ही प्रकार की होती हैं।¹⁰² उनका यह मन्तव्य कहावत की उच्चता व श्रेष्ठता बताते हुए लोकोक्ति को निरथंक एव महत्वहीन सिद्ध करता है। किन्तु यह भासक है। उन्होंने लोकोक्ति एव कहावत के विषय में की

गई घर्षा को आधार बनाते हुए अपने भत को पुष्ट कर अर्थ का अनयं कर दिया है। उदाहरण देकर आगे वे लिखते हैं—तात्त्विक दृष्टि से कहावत और लोकोक्ति में अन्तर है। कहावत व्यक्ति की उकित होती है, किन्तु लोकोक्ति व्यक्ति की उकित होकर व्यक्तित्व विहीन होती है।¹⁰³ आगे वे लिखते हैं—कहावतें लोकोक्तियों का एक अंग है। ये निश्चय ही विशेष अभिप्राय से परिचालित होती है।¹⁰⁴ उपर्युक्त विवेचन में एक भौम कहावत को लोकोक्ति से बिल्कुल भिन्न तथा दूसरे में लोकोक्ति का ही एक प्रकार माना गया है। यह ठीक है कि कहावत लोकोक्ति का ही एक प्रकार है, किन्तु विशेष प्रकार की उकित होने के कारण इसका स्वतन्त्र अस्तित्व और विशेष अभिप्राय होता है। व्यक्ति की उकितया तो कहावत और लोकोक्तिया, दोनों ही हैं, पर एक का अभिप्राय विशेष और दूसरे का सामान्य होता है। एक का सार्थक तथा साभिप्राय होना आवश्यक है, पर दूसरे के लिए ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं।... कहावत भी लोकोक्ति ही है, पर वह कहने का एक विशिष्ट ढंग है, जिसमें बुद्धि-वैभव के साथ-साथ सूक्ष्म की-सी मार्मिकता और गहरी अन्तदृष्टि तो होती है, उसमें सर्वाधिक प्रधान होता है 'लोकानुभव' जबकि लोकोक्ति का क्षेत्र इससे भिन्न और विस्तृत होता है।¹⁰⁵

श्री मुवनेश्वर नाथ मिश्र 'माधव' के उपर्युक्त मन्तव्य से लोकोक्ति एव कहावत के भेदभेद से सम्बद्ध सन्देह तो उत्पन्न हो जाता है, किन्तु ताकिकता के अभाव के कारण इनमें भेदभेद स्पष्ट नहीं हो पाता। डॉ० सत्येन्द्र के विचार इस विषय में द्रष्टव्य हैं। उनके विचारानुसार अन्य प्रकार के लोक-साहित्य से भी कहावतों का अधिक भाण्डार मिलता है। परसोकले, पटके, अनमिला सुनि, गहगड़ आदि रूप और अभिप्राय के कारण कहावत के भेद ही हैं। वे लोकोक्ति के बड़े नाम से भी पुकारे जा सकते हैं। लोकोक्तियों में मानवीय ज्ञान का सार सम्निहित रहता है। इसमें नीति तो होती ही है, मार्मीण दर्शन भी होता है। लोकोक्तिया सूत्रों की शैली पर हैं। सूत्र-शैली का विकास उपनिषदों के दाद हुआ और चाणक्य आदि के समय में 'सूत्र-प्रणाली' का अधिकाधिक विकास हुआ। इसलिए यह भी कहा जा सकता है कि सभवतः सूत्र में ही कहावतों और लोकोक्तियों का विशेष उत्कर्ष हुआ। यह वह उकित है जो लोक की उकित के साथ ही साथ साहित्य का अग और साहित्य में भी सम्मान की भागी बनी।¹⁰⁶ प्रस्तुत विवेचन से यह स्पष्ट है कि 'लोकोक्ति' 'कहावत' का समानार्थक शब्द है। लोकोक्ति का विकास उपनिषद् युग के अनन्तर सूत्र-काल में सूत्र-शैली में हुआ। अर्थात् जब अनुमूल मानवीय ज्ञान को अति-सक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया तो ये सूत्र जो सुविज्ञो द्वारा निर्मित थे, प्रचार-प्रमार पाकर लोक-विद्यात हो गए और लोक-वाणी का शृंगार बनकर लोकोक्ति के नाम से अभिहित हुए।

'कहावत' शब्द की व्युत्पत्ति अति विवादास्पद है, किन्तु इतना निश्चित है कि शास्त्रिक दृष्टि से इसमा प्रचलन 'लोकोक्ति' शब्द की अपेक्षा दाद में हुआ। 'कहावत' शब्द की द्युरात्ति के विषय में डॉ० सहस ने द्वादश मनो की विस्तृत स्थापना की है, त्रिस वा चारांश इग प्रतार है—

४० रामदहिन मिथ्र ने 'कहावत' शब्द की व्युत्पत्ति 'कथावत' शब्द से मानी है। प्राकृत व्याकरण के नियमानुसार 'थ' को 'ह' हो जाता है। प्लाट भी इसी बात के समर्थक हैं। डा० चासुदेवशरण अद्वाल के अनुसार प्राकृत धातु 'कहावत्' से भाव वाचक सज्ञा बनाने के लिए 'त्त' प्रत्यय जोड़कर 'कहावत्' 'कहावत्' रूप बन सकता है। प्राकृत में 'कहावत्' और सस्कृत में 'कथावार्ता' शब्द के साथ भी इसका निकट का सम्बन्ध है। ठन्नर के नेपाली शब्द-कोश में भी इस भाव की पुष्टि की गई है। कहावत से मिलते-जुलते अनेक शब्द हैं—'कहाउत्' 'कहावत्' (नेपाली), 'कहोत्' (पञ्जाबी), 'कहात्' (सिन्धी) आदि। मूल रूप 'कथ्' है, जिससे उत्पन्न 'कथापित्', 'कथोदात्' या 'कथावृत्' से इसकी उत्पत्ति होना सम्भव है। अपने दो में 'आभाणन्', 'अहान्' आदि शब्दों का प्रयोग तो मिलता है, किन्तु 'कहावत्' के किसी पूर्व रूप का नहीं। कुछ विद्वानों के भाव में 'कहावत्' शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में उर्द्द-फारसी शब्द-रचना—'मुसीवत्' जैसे शब्द सामने रखकर विचार करना चाहिए। स्व० आचार्य केशवप्रसाद मिथ्र का अनुमान है कि 'कह्' धातु के आगे अरवी 'आवत्' प्रत्यय लगाकर 'कहावत्' शब्द बन सकता है। इन सबसे भिन्न कुछ विद्वान् 'कथावस्तु' को इसका मूल रूप स्वीकार करते हैं।¹⁰⁷ अभिप्राय यह है कि 'कहावत्' की व्युत्पत्ति का कार्य विवाद की व्यधिकता के परिणामस्वरूप जटिल बन गया है। विभिन्न भावों के विशेषण करने से इसकी व्युत्पत्ति-विषयक दो सम्भावनाएँ प्रकट होती हैं—

(1) कहावत शब्द वी व्युत्पत्ति यदि किसी सस्कृत शब्द से हुई है तो उसके लिए सम्भावना 'कथावार्ता' शब्द से है, जिसका प्राकृत रूप 'कहावत्' अव॑ और अर्थ दोनों दृष्टियों से 'कहावत्' शब्द के सम्मिलित है। दूसरी बात यह है कि 'कथावार्ता' शब्द 'कथावत्' आदि शब्द की तरह कल्पित शब्द न होकर प्रयोग में भी आता है।

(2) यदि 'कहावत्' शब्द सादृश्य के आधार पर प्रचलित हुआ है तो 'लिखावट' 'सजावट' आदि के सादृश्य पर कहावट (कहावत) शब्द का बन सकना असम्भव नहीं है। राजस्थानी भाषा में कथन के अर्थ में 'कुहावट', 'कुदावट' आदि शब्द बोलचाल में अब भी प्रयुक्त होते हैं।¹⁰⁸ कन्नौजी में भी कहावत के लिए 'कहनोति', 'कहाउति' और 'कहाउट' शब्द मिलते हैं। ब्रज में भी इससे मिलते जुलते कई शब्द हैं, यथा सूर ने एक स्थान पर 'कहनावति' शब्द का प्रयोग किया है—'साची भई कहनावति उनकी ऊची दुकान अह भीठी पकवान'। इस तथ्य को दृष्टि में रखकर सादृश्य के आधार पर इस शब्द की व्युत्पत्ति की बात कष्ट कल्पना नहीं प्रतीत होती।¹⁰⁹

शान्तिक दृष्टि से भी 'लोकोक्ति' शुद्ध तत्सम शब्द होने के कारण इसकी परम्परागत प्रचलन की मात्रता पर सहज ही विश्वास किया जा सकता है, जबकि 'कहावत्' शब्द तद्भव शब्द है। अत यह निश्चिन्त है कि इसका प्रचलन 'लोकोक्ति' शब्द की अपेक्षा बाद में ही हुआ। निष्कर्षित कहा जा सकता है कि 'कहावत्' शब्द का उन्म 'लोकोक्ति' शब्द के पश्चात बालान्तर में हुआ और इसे हम यदि उन्म होने के स्थान पर रूपान्तर होना स्वीकार करें, तो यह कथन उपयुक्त प्रतीत होगा।

लोकोक्ति और पहेली—लोकोक्ति और पहेली का मूल एक ही है—लो-

मानस। पहेली भी लोक की उकित है। लोक-मानस इसके द्वारा किसी विशिष्ट अर्थ की अभिध्यक्ति करता है और इसको बुद्धि-परीक्षा का साधन बनाता है, किर भी लोकोक्ति और पहेली मे पर्याप्त भिन्नता है।

पहेली का शुद्ध रूप 'प्रहेलिका' है। सस्कृत-साहित्य मे इसके लिए एक और नाम ब्रह्मोदय मिलता है। ३५० धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार अश्वमेघ यज्ञ मे यह अनुष्ठान का एक भाग था। अश्व की वास्तविक बलि के पूर्व 'होता' और 'ब्राह्मण' ब्रह्मोदय पूछते थे। इसे पूछने का अधिकार केवल दो व्यक्तियो को ही था।¹¹⁰ किन्तु कुछ कर्मकाण्डी विद्वानो ने इस यज्ञ मे बलि को स्वीकार नही किया है। जहा तक ब्रह्मोदय अथवा प्रहेलिका का प्रश्न है, वैदिक साहित्य मे इसका प्रचुर प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद को उसकी रहस्यात्मक शृंचाओ के कारण 'पहेलियो का वेद' कह सकते हैं।¹¹¹ उपनिषदो मे इस प्रकार वे कितने ही रहस्यात्मक प्रश्न मिलते हैं। नचिकेता ने यम से वह रहस्यपूण तत्त्व चताने का आपह किया था जिसे प्राप्त कर लेने से मनुष्य अमर हो जाता है। गीता मे श्रीकृष्ण द्वारा सासारिक सूष्टि का वर्णन अत्यन्त गूढ़ात्मक शंखी पर है। महाभारत मे उपलब्ध यक्ष-युधिष्ठिर सवाद प्राचीन काल की पहेलियो का एक सुन्दर उदाहरण है जब युधिष्ठिर ने यक्ष द्वारा पूछे गए चार प्रश्नो का उत्तर क्रम से दिया था। सस्कृत साहित्य मे 'अन्तर्लापिका' और 'वहिलापिका' नामक पहेलिया मिलती है। सुभाषित सप्तहो मे इनकी अगणित सूखा है, जहा कोई प्रश्न करते हुए उत्तर अलग से दिए गए हैं या प्रश्नोत्तर साथ-साथ हैं। पद-मग करके प्रश्न का उत्तर समझ लिया जाता है या लोक के कुछ चरणो मे प्रश्न करके एक चरण मे सबका उत्तर दे दिया जाता है।¹¹² लोकोक्ति की भाति 'प्रहेलिका' भी सुदीर्घ काल से लोक प्रचलित रही है। हिन्दी-साहित्य कोण के अनुसार—'लोकोक्ति' केवल 'कहावत' ही नही है, प्रत्येक प्रकार की उकित लोकाविन है। इस विस्तृत अर्थ को दृष्टि मे रखकर लोकोक्ति के दो प्रकार माने जा सकते हैं—एक पहेली, दूसरी कहावतें। पहेली भी लोकोक्ति है। लोक-मानस इसके द्वारा अर्थ गौरव की रक्षा करता है और मनोरजन प्राप्त करता है। यह बुद्धि-परीक्षा का भी साधन है। यद्यपि पहेलिया स्वभाव से कहावतो की प्रवृत्ति से विपरीत प्रणाली पर रखी जाती है, वर्तोंकि पहेलियो मे एव वस्तु के लिए बहुत से शब्द प्रयोग मे आते हैं, भाव से इनका सम्बन्ध नही होता, प्रकट को गोप्य करने की जेष्टा इनमे रहती है, ये बुद्धि कोशल पर निर्भर करती है, जबकि कहावत मे सूत्र प्रणाली होती है, लघु प्रयत्न मे विस्तृत अर्थ व्यक्त करने की प्रवृत्ति रहती है, फिर भी पहेलिया उतनी ही उकितयो हैं जितनी कहावतें।¹¹³ इससे स्पष्ट है कि पहेलिया लोक म लोकोक्तियो के समान ही विस्थात हैं, इस समानता को अस्वीकार नही किया जा सकता, तथापि इनमे वैषम्य भी प्राप्त होता है जो इस प्रकार है—

(1) पहेलिया बुद्धि-परीक्षा का साधन हैं और इनका साध्य है बुद्धि-चमत्कार। ये युद्ध-वैगल पर निर्भर करती हैं जबकि इसमे विपरीत सोकोक्ति का सम्बन्ध अनुभूत मानवीय ज्ञान से है। सोकोक्ति मे निहित मानवीय अनुभव भी प्रवणता उग्हे प्रहेलिया

की कौतूहल-प्रदर्शन को प्रवृत्ति से पृथक् कर लघु प्रयत्न से अर्थ के विस्तृत आधार प्रदान करती है।

(2) पहेली में प्रवक्ट को गोप्य रखने की चेष्टा रहती है जबकि लोकोक्ति के अवण मात्र से अर्थ व्याप्त हो जाता है। अर्थ की दृष्टि से पहेलिया अपनी स्वाभाविक गुण धर्मिता के कारण विलम्ब होती है। अर्थात् इसके अर्थ बोध के लिए मस्तिष्क को भीपण श्रम करना पड़ता है, वहा लोकोक्ति एक बार पढ़कर अथवा अवण कर हृदयगम हो जाती है। लोकश्रियता की दृष्टि से परस्पर साम्य प्रतीत होने पर अन्य दृष्टियों से इनका परस्पर वंयम्य स्पष्ट हो जाता है। निष्कर्षेत 'लोकोक्ति' 'पहेली' से भिन्न विद्या है।

लोकोक्ति एव अलकार—लोकोक्ति में आलकारिकता के स्पष्ट दर्शन होते हैं, किन्तु लोकोक्ति मात्र को लोकोक्ति नामक विशिष्ट अलकार के अन्तर्गत समाहित करके कुछ अलकारशास्त्री विद्वानों ने इसके साथ अन्याय किया है। 'भारतीय साहित्य कोश' के अन्तर्गत इस विषय में लिखा गया है—लोकोक्ति एक गोण अलकार है। जब प्रसंग-प्राप्त किसी लोकोक्ति (मुहावरा) का प्रयोग किया जाए तो लोकोक्ति अलकार होगा। 'लोकोक्ति' का अर्थ लोक-कथन या कहावत है। यदि किसी प्रसंग में लोक प्रसिद्ध कहावत का प्रयोग किया जाए और उससे कथन में चमत्कार का आधार हो तो वहा यह अलकार होगा।¹²⁴

'लोकोक्ति' को अलकार का रूप देने का श्रेय अप्यदीक्षित को है। दीक्षित के इस प्रयत्न का स्रोत भोजकृत लोकोक्ति ही है। इन्होंने भोज के उदाहरण में प्रतिपादित 'लोचनेमीलयित्वा' को भी यथावत् भ्रहण किया है। उदाहरण है—'सहस्र कतिचिन्मासान् 'सीलयित्वा विलोचने'। यहा नायक के द्वारा विरहिणी के सदेश का वर्णन है। आखें मूढ़कर (मीचकर) कुछ मास और व्यतीत कर लो। दीक्षित के अनुसार जब काव्य में लोक प्रवाद या लोकोक्ति का अनुसरण किया जाय तो 'लोकोक्ति अलकार' होगा।¹²⁵ यहा उपर्युक्त लोकोक्ति का उदाहरण वस्तुत लोकोक्ति का उदाहरण न होकर मुहावरे का उदाहरण दिया गया है। 'लोचने मीलयित्वा' अर्थात् ध्यान हटाकर इसका लक्ष्यार्थ है। ध्यान की विस्मृति का द्योतक यह मुहावरा प्रथम भोज द्वारा और तदनन्तर अप्यदीक्षित द्वारा लोकोक्ति के रूप में प्रमुक्त होने के साथ-साथ 'लोकोक्ति अलकार' के लक्षण का भी अग दत गया, जो उचित प्रतीत नहीं होता। इधर भोज ने लोकोक्ति को एक शब्दालकार के अन्तर्गत माला है। छाया नामक शब्दालकार के पद् भेदो म एक भेद 'लोकोक्तिष्ठाया' किया है। काव्य में कवि के द्वारा लोकोक्ति के प्रयोग होने पर प्रस्तुत शब्दालकार का भेद होता है—

अन्योक्ति नामनुष्टिश्छायासापीहपद् विद्या।

लाक्ष्मीकार्मकोन्पत्त पोटामतोक्ति भेदत ॥¹²⁶

अग्निपुराणकार के मतानुसार छाया अन्य की उक्ति का अनुकरण है। यह चतुविद्या है—लोकोक्ति, द्वेषोक्ति, वर्मकोक्ति एव भर्तोक्ति—तत्रान्योवतेरनुकृतिरच्छाया साइति

चतुर्विधा ॥¹¹⁷

केशव मिश्र ने आभाणक को लोकोवित की संज्ञा स्वीकार कर इसका पूर्ववत् 'लोकोवितच्छाया' के रूप में वर्णन किया है—

आभाणको हि लोकोवितः । यानुधावति लोकोवितच्छायामिच्छदृन्ति ता बुधा ॥¹¹⁸

रीतिकालीन आचार्यों में जसवन्तसिंह, मतिराम तथा पद्माकर आदि ने अप्यय-दीक्षित द्वारा निर्धारित लोकोवित अलकार के लक्षण को स्व-स्व प्रयोग में अनुदित किया है—

(क) लोक उवित व छु वचन जो लीन्हे लोक प्रवाद (भाषा भूपण, 184) ।

(ख) जह कहनावति अनुकरण, लोक उवित मतिराम (लिलित ललाम, 366) ।

(ग) लोकोवित जह लोक की वहनावति ठहराउ (पद्माभरण, 257) ।

इनसे पृथक् उद्योतकार नागेश ने चमत्कार के अभाव में इसे अलकारत्व भी प्रदान नहीं किया ।¹¹⁹ प्रस्तुत विवेचन लोकोवित की आलकारिकता को एक विशिष्ट प्रकार में परिवद्ध कर देता है, जो लोकोवित के साथ न्याय नहीं वरता । लोकोवितयों में शब्दालाकारों एवं अर्थालाकारों का सुन्दर संयोजन हुआ है । कही भी ये अलकार वृत्तिम रूप में प्रयुक्त नहीं हुए हैं, प्रत्युत इनका प्रयोग स्वाभाविक रूप में ही हुआ है । अतः लोकोवित मात्र को एक विशिष्ट अलकार के अन्तर्गत सीमित करना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता । शोध-प्रबन्ध के स्वतन्त्र परिच्छेद में लोकोवितयों में निहित अलकारगत रमणीयता का विस्तृत विवेचन किया गया है ।

लोकोवित एवं प्राज्ञोवित अथवा सूक्ष्मित—प्राज्ञोवित के अन्तर्गत प्रशासूत्र (Aphorism), व्यवहार-सूत्र (Maxim), मर्मोवित (Epigram) आदि आती हैं । प्रज्ञा-सूत्र के लिए प्रयुक्त अप्रेजी शब्द Aphorism यीक के Aphorismos से निकला है, जिसका अर्थ है परिभाषा देना । Apo का अर्थ है 'से' और Horsos का अर्थ है 'सीमा' । 'Aphorism' का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ हुआ 'किसी विचार-विन्दु को सीमाबद्ध करके उसका लक्षण निर्धारित करना अर्थात् उसे निश्चयात्मक रूप देना' । प्रज्ञा-सूत्र एक प्रकार की ऐसी संक्षिप्त और सारांशित उवित है जिसमें किसी सामान्य सत्य की अभिव्यक्ति हुई है । Maxim (व्यवहार-सूत्र) लेटिन शब्द Maxima से निकला है जिसका अर्थ है सबसे बड़ा । आग्न भाषा के शब्द-कोष में 'सर्वाधिक गुणतात्पूर्ण उवित को' इसकी संज्ञा दी गई है । व्यवहार-सूत्र प्रज्ञा-सूत्र की भाँति जीवन के सत्य को मुख्यरित करता है, किन्तु प्रज्ञा सूत्र जहाँ विचार को लेकर प्रवृत्त होता है वहा व्यवहार-सूत्र का सम्बन्ध आचार-व्यवहार से है । 'मर्मोवित' के विषय में वहा गया है कि 'मर्मोवित' ऐसी निशानदार उवित को कहते हैं जो अपने पीछे एक प्रकार की घटक छोड़ जाए । सस्कृत-साहित्य में 'सूत्र, सूक्ष्मित, व्याजोवित, वक्षोवित, नमोवित, मर्मोवित, छोकोवित, मुक्तव और सुभावित आदि अनेक शब्दों का प्रयोग हुआ है, किन्तु सुभावित एक अत्यन्त व्यापक शब्द है जिसमें प्रज्ञा-सूत्र, व्यवहार-सूत्र तथा मर्मोवित आदि सभी का समावेश किया जा सकता

है।¹²⁰ सुभाषित में इन सबका समाहार हो जाता है। इस 'सुभाषित' को 'प्राज्ञोक्ति' के पर्याय के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

लोकोक्ति एवं प्राज्ञोक्ति के परस्पर भेदभेद का निरूपण अनेक विद्वानोंद्वारा किया गया है। किसी भी विद्वान् ने इनकी अभिन्नता पूर्णरूपेण स्वीकार नहीं की है। लोकोक्ति एवं प्राज्ञोक्ति के पार्थक्य का उदधारण विद्वानोंद्वारा निम्न प्रकार से किया गया है—

(1) प्राज्ञोक्ति में ज्ञानी के ज्ञान का जो निष्कर्ष हमें मिलता है, वह सुचिन्तित होता है और प्राय उपदेशमूलक नीति-वाक्य के रूप में देखा जाता है किन्तु प्रवाद या लोकोक्ति पाण्डित्य, चिन्तन तथा उपदेशात्मक वो लेकर अप्रसर नहीं होती। लोकोक्ति तो स्वत प्रसूत होती है और सरस तथा सक्षिप्त रूप में अभिव्यक्त होती है। किन्तु प्राज्ञोक्ति ज्ञान और चिन्तन के परिपक्व फल के रूप में देखी जाती है। नीति-शिक्षा, तत्त्व ज्ञान और उच्चादरण लोकोक्तियों के प्रेरक हेतु नहीं है।¹²¹

(2) प्राज्ञोक्ति नैतिक जगत् का सत्य होते हुए भी व्यावहारिक जगत् का सत्य नहीं होती और लोकोक्ति व्यावहारिक जगत् का तथ्य होते हुए भी नैतिक जगत् का सत्य होती है।¹²²

(3) व्यवहार सूत्र या सूक्तिया इकट्ठे हुए सिक्के हैं 'जबकि लोकोक्तियों को प्रचलित सिक्कों के नाम से अभिहित किया जाता है। व्यवहार-सूत्र यदि प्रचलित न हो तो केवल पुस्तकों की शोभा बढ़ाते हैं जबकि लोकोक्तिया जनता की जिह्वा पर नृत्य करती रहती हैं।¹²³

(4) व्यवहार-सूत्र कहावत तो है किन्तु भिन्नगे की अवस्था में। पर उगने पर ही भिन्नगा उड़ सकता है। जब इसको लोक हृदय ने स्वीकार कर लिया हो और यह सर्व साधारण में प्रचलित हो जाए, तभी व्यवहार-सूत्र लोकोक्ति का रूप धारण करता है।¹²⁴

(5) जनसाधारण की उकित होने के कारण लोकोक्ति को सूत्र, सूक्ति, मर्मोक्ति या सुभाषित से भिन्न समझना चाहिए, क्योंकि सूक्तिं आदि का सम्बन्ध विद्वानों, प्राज्ञों से है—वे प्राज्ञों को उकितयाँ हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं कि उन्हें लोकोक्तियों में ग्रहण नहीं किया जाता। हिन्दी तथा अन्य भाषाओं में वितनी ही लोकोक्तियाँ प्राचीन साहित्य एवं लोक-साहित्य दोनों स्रोतों में आई हैं। पारस्परिक आदान-प्रदान के कारण अनेक लोकोक्तियों को देखकर यह कहना कठिन हो जाता है कि कौन जन-साधारण की उकित थी, जिसने काव्यात्मकरूप धारण कर लिया और कवि की उकित भी जो लोकोक्ति थन गई।¹²⁵

(6) इतिहास को प्रत्यक्ष कर जब हम देखते हैं तब लोकोक्ति का विकास ही प्रकारान्तर से सूक्ति या सुभाषित बन जाता है। लोक की उकित लोकोक्ति है, वही जब चवि विशेष द्वारा उद्घरित हुई तो सूक्ति हो गयी, सुभाषित हो गयी। अत ये तीनों नाम सूक्ति सुभाषित-लोकोक्ति एक ही सज्जा के पर्याय हैं।...जैसे लोकोक्ति का अर्थ

54 · लोकोक्ति और मुहावरा : स्वरूप विश्लेषण

है—लोक (विराट् समाज) की उक्ति अर्थात् मान्यता, नीति वचन, वैसे ही सूक्ति का सामान्य अर्थ है—सु-उक्ति. सुन्दर या सौष्ठवपूर्ण वयन, शब्द अर्थ वा ललित-अन्वर्य विधान। सामान्य लोकवाणी से विचित्र, प्रभाववारी विशेष कथन वो ही आरम्भ में सूक्ति कहा गया।¹²⁶

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर निम्न निष्कर्ष प्राप्त होते हैं—

- (1) प्राज्ञोक्ति में निहित पाण्डित्य, चिन्तन, तत्त्वज्ञान एव उच्चादर्श से भिन्न लोकोक्ति सरस एव स्वतः प्रसूत होने के कारण नीति-शिक्षा, उपदेशात्मकतादि से रहित होती है।
- (2) प्राज्ञोक्ति में नैतिकता का अभाव होता है; जबकि लोकोक्ति में व्यावहारिकता एव नैतिकता दोनों का युगपत् समन्वय होता है।
- (3) प्राज्ञोक्ति अथवा व्यवहार-सूत्र ही लोक-प्रचलित होकर लोकोक्ति का रूप धारण कर लेते हैं।
- (4) लोकोक्ति जन-साधारण की युक्ति होने के अतिरिक्त प्राज्ञों की भी उक्ति है। लोकोक्ति के लोक-साहित्य एव शिष्ट-साहित्य (प्राचीन साहित्य) दोनों ही स्रोत हैं।
- (5) लोक की उक्ति जब कवि द्वारा उद्गरित होती है तो सूक्ति बन जाती है।

उपर्युक्त निष्कर्षों में प्रथम मन्तव्य पूर्णतः मान्य नहीं है। इसका कारण यह है कि लोकोक्ति में प्राज्ञोक्ति जैसा तत्त्व-चिन्तन, नीति-कथन व उपदेशात्मकता के दर्शन होते हैं, किन्तु लोक-प्रिय होकर प्राज्ञोक्ति जहा लोकोक्ति बन जाती है, वहा प्रचलन के अभाव में अनुपयोगी बनकर पुस्तकों तक सीमित रह जाती है। द्वितीय निष्कर्ष द्वारा इसकी पुष्टि होती है कि प्राज्ञोक्ति जहा सीमा पूर्ण है, उसमें व्यावहारिकता का अभाव रहता है, वहा लोकोक्ति में नैतिकता के साथ व्यावहारिकता के भी एकत्र दर्शन होते हैं। यही कारण है कि लोकोक्ति का सम्मान लोक एव शास्त्र दोनों के द्वारा होता है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि सूक्तियों (प्राज्ञोक्तियों) एव लोकोक्तियों में भिन्नता या आधार प्रचलन है। प्राज्ञोक्तिया जहा प्राज्ञो द्वारा निर्मित होकर शास्त्री अथवा विद्वासमुदाय में ही सम्मानित रहती हैं, वहा लोकोक्तिया लोकप्रिय होकर देश-देशान्तर तक भ्रमण करती हुई सार्वदेशिक सम्पत्ति बन जाती हैं।¹²⁷

मुहावरा : स्वरूप-विवेचन

मुहावरा-विमर्श

यह शब्द महाविरा, महावरा, मुहावरा, मुहाविरा, मुहव्वरा, मुहावुरा एवं महावुरा आदि के रूपों में भिन्न-भिन्न ढंग से लिखा हुआ प्राप्त होता है, इससे यह प्रश्न उपस्थित होता स्वाभाविक है कि इसका शुद्ध रूप कौन-सा है? 'लुगात किश्वरी' में इसके विषय में लिखा है कि इस शब्द के 'मीम' (३) पर 'पेश' (७) जो 'उ' की मात्रा का प्रतीक है और 'वाव' (۹) पर 'जवर' (۱)

जो 'अ' को ध्वनि देता है—लगा है।¹²⁷ इस आधार पर मुहावरा (مُحَاوِرَا) ही शुद्ध एवं उपयुक्त शब्द प्रतीत होता है। इस शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ के विषय में विवाद का प्रायः अभाव है। 'मुहावरा' शब्द अरबी भाषा का शब्द है, जिसकी व्युत्पत्ति 'हौर' (حُور)—(हे-वाव-रे) से हुई है। 'गयासुलुगात' में इसके विषय में कहा गया है—'मुहावरा विद्विजम मीम, वकतेह, वाव, वायक, दीगर कलाम करदन व पासुख दादन यक दीगर—अज्ञ से राह वक्त्वं वर्गं आ।'¹²⁸ इसका हिन्दी-अनुवाद करके 'लुगात किश्वरी' में कहा गया है—'मुहावरे का अर्थ है आपस में कलाम (बातचीत करना), एक-दूसरे को जवाब देना, गुपतगू-बातचीत (यक दीगर कलाम करदन व पासुख दादन) आदि।'¹²⁹

'फरहंग आसफिया जिल्द चहारूम' में अपेक्षाकृत विस्तृत एवं सुस्पष्ट प्रतिपादन किया गया है—'मुहावरा इस्म मुज़कर (सज्जा, पुलिंग),

(1) हम कलामी, बाहम गुपतगू, सवाल जवाब।

(2) इस्तिलाह आम, रोज़मर्रा, वह कलमा या कलाम जिसे चन्द सकात (विश्वासपात्र) ने लगवी मानी कि मुनासिबत या गंरमुनासिबत से किसी खास मानी के बास्ते मुलतस (रुढ़) कर लिया गया हो। जैसे 'हैवान' से कुल जानदार मक्सूद (अभिप्रेत) है, मगर मुहावरे में गंर जीउल-अब्ल (बुद्धिहीन) पर उसका इतलाक (प्रयोग) होता है और जीउल-अब्ल (बुद्धिमान) को इन्मान कहते हैं।

(3) आदत, चस्ता, महारत (कुशलता), मश्क (अभ्यास), रब्त-जैसे मुझे अब इस बात का मुहावरा नहीं रहा।¹³⁰

मुहम्मद मुस्तफा खा मद्दाह ने उर्दू-हिन्दी शब्दकोश में मुहावरे के प्रचलित पर्यायों में मुहरंफ, मुहरिफ, मुहावरत तथा मुहावरात आदि शब्द दिए हैं।

मुहरंफ — टेढ़ा किया हुआ, बनित, बक, फेरी हुई बात या इवारत मूल अर्थ से हटाया हुआ।

मुहरिफ — टेढ़ा करने वाला, बात को कुछ का कुछ बनाने वाला।

मुहावरा — रोजमर्रा, बोलचाल, किसी भाषा के बाक्यों का वह प्रयोग जो उस भाषा के बोलने वाले करते हैं और जिसका अर्थ अभिधेय अर्थ से पृथक् होता है।¹³¹ इन शब्दों के अतिरिक्त उर्दू में मुहावरे के लिए 'तज्ज़ कलाम' तथा 'इस्तलाह' आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। 'मुहावरा' अरबी शब्द होते हुए भी हिन्दी और उर्दू में अरबी को अपेक्षा व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होता है।¹³² 'मुहावरा' से मिलते जुलते शब्द हैं—मुहावरत और मुहावरात। मुहावरत शब्द का अर्थ है—आपस में बातचीत करना तथा मुहावरात मुहावरे का बहुवचन है।¹³³

आगल भाषा में मुहावरे के पर्याय के रूप में इडियम (Idiom) शब्द का प्रयोग होता है। अग्रेजी में यह शब्द लैटिन और फैंच में होता हुआ ग्रीक भाषा से आया है। डॉ० ओम्प्रकाश गुप्त इसके इतिवृत्त के विषय में लिखते हैं—‘सोलहवीं शताब्दी में ग्रीक शब्द ‘इडियोमा’ (Idioma) से लैटिन में (Idioma) ‘इडियोमा’ फैंच से इडियोटिस्म (Idiotisme) के रूप में वही शब्द अग्रेजी में आया। व्युत्पत्ति की दृष्टि से यह शब्द मूढ़ता की ओर सकेत करता है। ‘इडियट’ शब्द से सबोधित होने के नाते ‘इडियोसी’ की घटनि भी इससे निकलती है। अब अग्रेजी में इस शब्द का प्राय लोप हो गया और इसके स्थान पर ‘इडियम’ शब्द का प्रयोग होने लगा है।¹³⁴ सोलहवीं शताब्दी के अनन्तर कदाचित् सप्तहवीं शताब्दी के आसपास इडियोटिज्म के स्थान पर ‘इडियम’ शब्द मुहावरे के लिए प्राय सर्वमान्य हो गया होगा और वर्तमान काल में ‘इडियम’ शब्द ही इसके लिए रूढ़ हो चुका है। आगल भाषा के प्राय सभी कोशों में इसी शब्द को ग्रहण किया गया है।

डॉ० मोनियर विलियम्स ने ‘मुहावरा’ शब्द के निम्न सस्कृत पर्याय स्वीकार दिए हैं—वाग्रीति, वाग्वृत्ति, वाग्व्यापार, वाग्व्यवहार, वाग्धारा, विशेष वाक्य, विशेष वचन, सविशेष वाक्य, भाषा विशेषण, विशेष भाषा, विशिष्ट वचन, विशिष्ट वाक्य, विशिष्ट भाषा, भाषा लक्षण, भाषा वच्छेद, अवच्छेदक वाक्य तथा सप्रदाय।¹³⁵ इन पर्यायों द्वारा ‘मुहावरा’ शब्द के वास्तविक अर्थ का सम्यक् बोध नहीं हो पाता, किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि सस्कृत में मुहावरों का प्रयोग नहीं हुआ। कुछ विद्वानों ने वाक् पद्धति, भाषा सम्प्रदाय, आदि शब्दों को इसका उपयुक्त पर्याय भी स्वीकार किया है। प० रामदहिन मिश्र ने ‘भाषा सम्प्रदाय’ को तथा डॉ० कृष्णचन्द्र दर्मा ने ‘वाक् पद्धति’ शब्द को उचित पर्याय माना है। प० रामदहिन मिश्र के अनुसार—सस्कृत तथा हिन्दी में मुहावरा शब्द के यथार्थ अर्थ का बोधक तो ही शब्द नहीं है।

प्रयुक्तता, वाप्रीति, वाग्धारा और भाषा-सम्प्रदाय आदि शब्दों को इसके स्थान में रख सकते हैं। हिन्दी में मुहावरे के बदले विशेषत 'वाग्धारा' शब्द का व्यवहार देखा जाता है किन्तु मुहावरा शब्द के बदले 'भाषा सम्प्रदाय' शब्द लिखना उही अच्छा है, क्योंकि वाप्रीति, वाग्धारा और प्रयुक्तता इन तीनों शब्दों का अर्थ इससे ठीक-ठीक भलक जाता है और भाषागत अन्यान्य विषयों का आभास भी मिल जाता है।¹³⁶ ५० रामदहिन मिश्र द्वारा मान्य 'भाषा सम्प्रदाय' पर्याय प्रचलन के अभाव में स्वीकृत न हो सका। अन्य कुछ विद्वानों ने इसके लिए अन्यान्य शब्दों का प्रयोग किया, किन्तु प्राय मान्य न हो सके। ३० कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार कुछ विद्वानों ने 'वाप्रीति' या 'रमणीय प्रयोग' का व्यवहार इसके लिए किया है, परन्तु वास्तव में ये उपयुक्त नहीं जचते क्योंकि इनसे 'मुहावरे' के भाव का सम्यक प्रवाशन नहीं होता।¹³⁷ जहा तक मुहावरों का सस्कृत में प्रयोग का प्रश्न है, निस्सदैह वहा इनका प्रयोग-बाहुल्य है। सस्कृत में मुहावरों के लिए कोई उपयुक्त पर्याय चाहे न मिलता हो किन्तु मुहावरों का इस भाषा में कभी अभाव नहीं रहा। 'अगुलिदाने मुज गिलसि' (आर्या सप्तशती) तथा 'ईदश राजकुल द्वूरे बन्दयताम्' (कर्पूर मजरी) जैसे प्रयोग सस्कृत ग्रन्थों में प्राय उपलब्ध होते हैं। इतना सब कुछ होते हुए भी सस्कृत भाषा में मुहावरों का जो सेंट्रान्टिक विश्लेषण नहीं मिलता, इसका सम्भवत कारण यही है कि सस्कृत के आचार्य मुहावरों को लक्षणा के अन्तर्गत मानकर चले हैं।¹³⁸ गुजराती भाषा में मुहावरे के लिए प्रयुक्त शब्द 'रुढ़ि प्रयोग' के विषय में श्री रामचन्द्र वर्मा लिखते हैं—लक्षणा के हमारे यहा दो भेद किए गए हैं—रुढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा—इनमें से रुढ़ा लक्षणा में वे शब्द प्रयोग आते हैं जो रुढ़ या प्रचलित हो जाते हैं और प्रयोजनवती लक्षणा में किसी प्रयोजनवश शब्दों के अर्थ में विशेषता आती है। तत्त्वत मुहावरा हमारे पहा की रुढ़ा लक्षणा के अन्तर्गत आता है। अत हम मुहावरे को 'रुढ़ि' और मुहावरेदार को 'रुढ़ कह सकते हैं। हमें इसके लिए एक दूसरा शब्द 'वाक् सम्प्रदाय' भी सुझाया गया है, पर यह शब्द बहुत बड़ा है, अत पदि मुहावरे के लिए 'रुढ़ि' शब्द ही रुढ़ हो जाए तो कोई हज़ं नहीं। और फिर यदि अपने यहा कोई उपयुक्त शब्द न होने के कारण हम स्वयं 'मुहावरा' शब्द भी चलने दें तो यह कोई बलक या लज्जा की बात नहीं है।¹³⁹ 'रुढ़ि' शब्द के प्रयोग के लिए वर्मा जी स्वयं आपही नहीं हैं। उनके मतानुसार उपयुक्त शब्द के अभाव में 'मुहावरा' शब्द को यथावत् ग्रहण करना उचित है। इससे स्पष्ट है कि 'मुहावरे' के लिए 'रुढ़ि' शब्द का प्रस्ताव उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। 'मुहावरे' के विस्तृत आयाम को रुढ़ा-लक्षणा तक ही सीमित नहीं किया जा सकता। मुहावरा-मीमांसाकार ने मुहावरे के स्थान पर विभिन्न विद्वाना द्वारा प्रयुक्त-वाक् सम्प्रदाय, विशिष्ट प्रयोग, वाक् वैचित्र्य, व्ययोग तथा इष्टप्रयोग आदि बारह नामों का उल्लेख किया है। इस विषय में स्पष्ट मत है कि इन बारह शब्दों में स कोई भी शब्द मुहावरे के सही पर्यायवाची शब्द के रूप में नहीं रखा जा सकता।¹⁴⁰ यद्यपि अनेक हिन्दी विद्वानों ने 'मुहावरे' के लिए विभिन्न पर्यायवाची शब्दों के अन्वेषण का स्तुत्य प्रयत्न किया है, किन्तु अद्यावधि मुहावरे के समान लोक रुयात एवं विद्वजनों

द्वारा सर्वमान्य किसी पर्याय का निर्धारण नहीं हो सका है। ऐसी स्थिति में 'मुहावरा' शब्द को यथावत् रूप में ग्रहण करना ही युक्तिसंगत प्रतीत होता है।

मुहावरे की परिभाषा एवं रूप-संरचना

मुहावरे के विषय में विभिन्न कोशों में अपनी-अपनी दृष्टि से विचार किया गया है। आगल भाषा के विभिन्न विश्वकोशों एवं अन्यान्य कोशों में एतद्विषयक विस्तृत विवेचन किया गया है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में मुहावरे के पर्याय 'इडियम' शब्द के विषय में कहा गया है—1. किसी भाषा के लिए शब्दों, व्याकरण-सम्बन्धी रचनाओं, वाक्य-रचनाओं इत्यादि के वर्णन का विशिष्ट ढग, 2. कभी-कभी किसी विशेष भाषा की विचित्रता भी, 3. एक विभाषा (श्रीक इडियोमा) कोई विचित्र और व्यक्तिगत चीज़ 'मुहावरा' है।¹⁴¹

वेबस्टर के अन्तर्राष्ट्रीय कोश के अनुसार—1. (अ) किसी भाषा के विशेष ढाँचे में ढला वाक्य (आ) वह वाक्य जिसकी व्याकरण-सम्बन्धी रचना उसी के लिए विशिष्ट हो और जिसका अर्थ उसकी साधारण भाषा शब्द-योजना से न निकल सके, 2 किसी एक लेखक की व्यजना शैली का विषय, रूप अथवा वार्त्वचित्र्य। यथा—शारनिंग के दुर्लभ मुहावरे।¹⁴²

'डिक्षनरी आफ द इगलिश लेंगुएज' के आधार पर 'मुहावरा' अथवा 'इडियम' फॉर्म इडियोमी 1. सार्वलोकिक व्याकरण अर्थात् भाषा के प्रचलित नियमों के व्यवहार से सर्वथा बाहर और किसी एक बोली के स्वभाव से बद्धा हुआ बोलने अथवा लिखने का ढग, किसी भाषा के लिए विशिष्ट वर्णन शैली 2. किसी भाषा का विचित्र स्वभाव 3. एक विभाषा अथवा भाषा की विचित्रता है।¹⁴³

इस्पीरियल डिक्षनरी के अनुसार मुहावरा 1. किसी भाषा की विशिष्ट वाक्य-शैली, वर्णन अथवा शब्द विन्यास की विशेषता, किसी भाषा अथवा लेखक के अभिप्राय से मुद्रित, उनकी व्याकरणिक तथा तात्कालिक युक्तियों से विलक्षण वाचायाश। 2 किसी भाषा की मुख्य या विशेष रूक्षान। 3 बोली, भाषा का विशेष रूप है।¹⁴⁴

मेरे के कोश के आधार पर मुहावरा 1. किसी जाति अथवा देश का मुख्य या विशेष बोलचाल का ढंग, निजी भाषा या बोली। सकीं अर्थ में किसी भाषा का वह भेद जो किसी सीमित धोत्र अथवा जाति में प्रसिद्ध हो, बोली। 2 किसी भाषा का विशिष्ट गुण, स्वभाव या लक्षण, वर्णन का स्वाभाविक या विशिष्ट ढग। 3 किसी भाषा वा विशिष्ट शैली या व्याकरणिक रचना है।¹⁴⁵

आक्सफोर्ड डिक्षनरी के अनुसार 'मुहावरा' (1) (अ) किसी देश या जनसमूह अथवा उचित बोलने की भाषा या बोली की विशिष्टता है। (आ) किसी एक ऐसी भाषा का विशिष्ट रूप है जो किसी सीमित जनपद या सोरों के बांध अथवा बोली की मुख्य विशेषता है।

(2) किसी भाषा का विशिष्ट रूप, गुण या प्रकाश, अभिव्यक्ति वा ढग जो कि

इसके प्रति स्वाभाविक और विशिष्ट है।

(3) किसी भाषा की अभिव्यक्ति का रूप व्याकरणिक सरचना, वाक्याश या पदावली आदि। किसी भाषा के प्रयोग द्वारा पदावली की विशिष्टता की मान्यता और व्याकरणिक एवं तार्किक विशिष्टता के अतिरिक्त महत्त्व को 'मुहावरा' रखता है।

(4) विशेष रूप या गुण, विशेष प्रकृति विशेष रूप से इसमें होती है।¹⁴⁶

इसमें सन्देह नहीं कि मरे के शब्द कोश एवं आक्सफोर्ड कोश के मुहावरे विवेचन में पर्याप्त साम्य है। इनमें भाव साम्य के अतिरिक्त भाषिक समानता भी प्राप्त होती है। लोगन पीयरसल स्मिथ कृत 'वड्स एण्ड इडियम्स' में मुहावरे के बारे में लिखा है—
चूंकि इस शब्द के बहुत अर्थ हैं, इसलिए मुझे इसकी उपयोगिता बता देनी चाहिए। 1 कभी-कभी फैच की तरह ही अग्रेजी में 'इडियम शब्द का अर्थ किसी जाति अथवा राष्ट्र की विलक्षण वाक् शैली होता है। (2) फैच शब्द इडियोटिस्मी के स्थान में भी हम लोग 'इडियम' शब्द का प्रयोग करते हैं। अर्थात् व्युत्पत्तिलभ्य और युक्तिसमग्र अर्थ की दृष्टि से भिन्न अर्थ देते हुए भी जो कहने का ठग, व्याकरण सम्बन्धी रचना अथवा वाक्य रचना किसी भाषा की प्रयोग-सिद्ध विशेषता हो, मुहावरा है (3) भाषा और जातिगत स्वभाव। (4) व्याकरण अथवा तर्क के नियमों का उल्लंघन।¹⁴⁷

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं—

—मुहावरा किसी देश, जाति अथवा जनसमूह की विलक्षण वाक् शैली का नाम है।

—मुहावरा किसी भाषा का विशिष्ट रूप, गुण स्वभाव अथवा लक्षण है तथा एक व्याकरणिक रचना है।

—मुहावरा किसी भाषा का वह विशिष्ट वाक्याश या पदावली है, जिससे भाषा में विचित्रता अथवा वार्वचित्र्य की सृष्टि होती है।

—इसका अर्थ सामान्य भाषा एवं उसकी शब्द योजना से ग्राह्य नहीं होता है। यह भाषा के विशिष्ट ढाँचे में ढला हुआ होता है।

यद्यपि 'मुहावरा' शब्द अरबी भाषा का है तथा 'हिन्दी' में 'फारसी' के माध्यम से आया है, तथापि हिन्दी के मान्य विद्वानों द्वारा एवं विभिन्न शब्द कोशों में एतद्विषयक चिन्तन मनन किया गया है। हिन्दी शब्द कोशों में इसका विवेचन इस प्रकार है—

भाषा विज्ञान कोश के अनुसार—मुहावरा भाषा-विशेष म प्रचलित प्रयोग, वाक्याश या कुछ पदों या शब्दों का समूह, जिसका लक्ष्यार्थ या ध्यायार्थ लिया जाता हो, मुहावरा कहलाता है। इसका अर्थ अभिधार्थ से भिन्न है।¹⁴⁸

हिन्दी शब्द-सांग्रह के आधार पर—मुहावरा लक्षण या व्यजना द्वारा सिद्ध वाक्य या प्रयोग जो किसी एक ही शैली अथवा लिखी जाने वाली भाषा में प्रचलित हो और जिसका अर्थ प्रत्यक्ष (अभिधेय) अर्थ से विलक्षण हो। किसी एक भाषा में दिखाई पड़ने वाली असाधारण शब्द-योजना अथवा शब्द प्रयोग। जैसे—'लाठी खाना' मुहावरा

है, क्योंकि इसमें 'खाना' शब्द अपने साधारण अर्थ में नहीं आया है, लाक्षणिक अर्थ में आया है। लाठी खाने की चीज़ नहीं है पर बोलचाल में लाठी खाने का अर्थ लाठी का प्रहार सहना किया जाता है। इसी प्रकार 'गुल खिलाना', 'धर करना', 'धमदा स्थिरना' 'चिकनी चूपड़ी बातें करना' आदि मुहावरे के अन्तर्गत हैं। कुछ लोग इसे रोजमर्रा या बोलचाल कहते हैं। अभ्यास, आदत जैसे आजकल मेरा लिखने का मुहावरा छूट गया।¹⁴⁹

फारसी एवं अंग्रेजी विद्वानों द्वारा मुहावरे के लिए प्रयुक्त असाधारण अथवा विशिष्ट शब्द-शब्दियों के स्थान पर हिन्दौ-कोशकारों ने अर्थ-तत्त्व के लिए लक्षणा एवं व्यजना शब्द-शब्दियों का व्यवहार इसलिए किया है, क्योंकि भारतीय काव्य शास्त्र में शब्द शब्दियों—अभिधा, लक्षणा एवं व्यजना का विस्तारश प्रतिपादन किया गया है, मिन्तु फारसी व अंग्रेजी काव्य शास्त्र में यह विवेचन अप्राप्त या, अतः हिन्दी कोशकारों ने शब्दशब्दितमूलक प्रयोगों के बाधार पर इस समस्या का समाधान किया।

हिन्दी कोशकारों के अतिरिक्त अन्य विद्वानों द्वारा भी मुहावरे की परिभाषा एवं स्वरूप पर प्रकाश ढाला गया है। श्री ब्रह्मस्वरूप शर्मा 'दिनकर' मुहावरे वा परिचयात्मक वोध करते हुए लिखते हैं—'मुहाविरा'—(1) अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बातचीत करना अथवा प्रश्न का उत्तर देना परन्तु परिभाषित हो जाने के कारण विलक्षण अर्थ में मुहाविरों का प्रयोग किया जाता है। जैसे—लजिजत होना। (ii) मुहाविरे का निर्माण किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं होता, अनेक व्यक्तियों के द्वारा बहुत दिनों तक एक वाक्याश विलक्षण अर्थ में प्रयुक्त होने के कारण 'मुहाविरा' बन जाता है। (iii) वाक्याश होने के कारण मुहावरे में उद्देश्य और विधेय का अभाव होता है।¹⁵⁰

श्री रामचन्द्र वर्मा 'अच्छी हिन्दी' में 'कियाए और मुहावरे' के अन्तर्गत मुहावरे का विवेचन करते हुए लिखते हैं—(1) शब्द और क्रिया-प्रयोगों के योग से कुछ विशिष्ट पद वना लिए जाते हैं जो मुहावरा कहलाते हैं। अर्थात् मुहावरा उस गठे हुए वाक्याश को कहते हैं जिससे कुछ लाक्षणिक अर्थ निकलता है और जिसकी गठन में किसी प्रकार का अन्तर होने पर लाक्षणिक अर्थ नहीं निकल सकता।¹⁵¹

डॉ० उदय नारायण तिवारी ने भोजपुरी मुहावरों का विवेचन करते हुए मुहावरे के निम्न दो लक्षण निर्धारित किए हैं—(1) हिन्दी-उर्दू में लक्षणा अथवा व्यजना द्वारा सिद्ध वाक्य को ही 'मुहावरा' कहते हैं। (2) मुहावरे के अर्थ में अभिधेयार्थ से विलक्षणा रहती है।¹⁵²

श्री राम नरेश त्रिपाठी ने अनुसार मुहावरे की दो विशेषताएँ हैं—मुहावरा वाक्य के बाहर कभी नहीं जाता और 'मुहावरा' अपना असली रूप नहीं बदलता।¹⁵³ प० रामदहिन मिथ्र ने मुहावरे का समीचीन विवेचन प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक 'हिन्दी मुहावरे' में तत्सम्बन्धी विभिन्न कोशकारों एवं समीक्षकों के मतों पर सार हृप में एकत्र कर इसकी द्वादश मान्यताएँ वर्णित की हैं—(1) कितने ठीक-ठीक सेव, दोस्री व थोसने के दण को मुहावरा मानते हैं। जैसे जडाऊ के तरह-तरह के गहन।

यहा तरह-तरह के जड़ाक गहने लिखना मुहावरा है। (2) कोई-कोई व्याकरण-विरुद्ध होने पर भी सुलेखक के लिखे होने का कारण किसी-किसी शब्द और वाक्य को मुहावरा बतलाते हैं। जैसे—उपरोक्त (उपर्युक्त) सराहनीय (श्लाघनीय) (3) कोई-कोई कहावत को ही मुहावरा कहते हैं—नौ नकद न तेरह उधार (4) कोई-कोई विलक्षण अर्थं प्रकाशित करने वाले वाक्य को ही मुहावरा कहते हैं। जैसे—बात की खाल निकालना। (5) कितने मगी-पूर्वक अर्थं-प्रकाशन के ढग को ही मुहावरा कहते हैं। जैसे—फारसी भाषा के कवियों ने इस नई भाषा को शाहजहानी बाजार में अनवस्था में इधर-उधर फिरते देखा। उन्हें इसकी भोली भूरत पसद आई, वह इसे अपने घर ले गए। (6) बहुतों ने शब्द या वाक्य को भिन्नार्थं बोधक होने से ही मुहावरा माना है। जैसे—आख, यह अन्याय कब तक चलेगा। (7) कोई-कोई आलकारिक भाषा को ही मुहावरा कहते हैं। यथा—वसन्त वरसो पेरे, नेत्रों के सामने सब नाचने लगते हैं। (8) बहुत लोग विचित्र रूप से अर्थं प्रकट करने वाले वाक्य को मुहावरा कहते हैं। यथा—अप्रेजों के राज्य में बाध-बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। (9) कोई-कोई एक खास अर्थ के बोधक वाक्य को मुहावरा कहते हैं। यथा—लघु शका करते जाओ। (10) कोई-कोई एकार्थं में वह क्रिया आदि को मुहावरा कहते हैं जैसे—हाथी चिंचाड़ता है, घोड़ा हिनहिनाता है। (11) कोई-कोई प्रचलित शब्द प्रयोग को ही मुहावरा बतलाते हैं—जैसे नेहर की जगह 'मैके' आदि। (12) कोई-कोई किसी विधय पर प्रायं प्रयुक्त होने वाले शब्द या वाक्य लाने को ही मुहावरा कहते हैं। जैसे—किसी के राज्य वर्णन में राम-राज्य कह देना।¹⁵⁴ यहा प० रामदहिन मिथ्र ने मुहावरे सम्बन्धी लोगों के भ्रम का निवारण किया है। कहावत और मुहावरे में पर्याप्त भिन्नता है, जिसका अन्यत्र वर्णन किया गया है। प्रत्येक मगिमापूर्ण वाक्याश मुहावरा नहीं बन सकता, यद्यपि मुहावरों में वैद्यन्य के दर्शन होते हैं। इसी प्रकार आलकारिकता आदि मुहावरे की महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं, तथापि प्रत्येक आलकारिक कथन मुहावरा नहीं हो सकता। मुहावरे के निर्धारित स्वरूप से अपरिचित होने के कारण ही कुछ लोग भ्रमवश होकर किसी-किसी क्रियापद आदि को ही मुहावरा समझने की मूल करते हैं। हिन्दी के अनेक विद्वानों ने मुहावरे का स्पष्टत स्वरूप-निर्धारित करने का साधु प्रयत्न किया है। डॉ० रमेशचन्द्र ने अपने शोधप्रबन्ध में मुहावरे के निम्नलिखित पद्भूतकार किए हैं—(1) मुहावरा वाक्याश होता है। (2) मुहावरा भाषा विशेष की विलक्षणता है जो भाव के किसी विशेष पहलू को व्यक्त करता है। एक भाषा के मुहावरों का दूसरी भाषा में अनुवाद नहीं किया जा सकता। (3) मुहावरा शब्द का अर्थ है अभ्यास, स्वभाव या बातचीत। इसी अर्थ का प्रयोग भाषा में भी होता है और इसी के कारण मुहावरा रूढिगत प्रयोग कहलाता है। (4) मुहावरे की उत्पत्ति विभिन्न शारीरिक चेष्टाओं, अस्पष्ट व्यनियों के अनुकरण, कहानी, कहावतों, विभिन्न अलबारों तथा लक्षणा-व्यजना शब्द-शक्तियों आदि के आधार पर होती है। (5) मुहावरा ऐसा शब्दवद्ध रूप का नाम है जो व्याकरण के नियमों से विरपेश होता है तथा प्रयुक्त शब्दों के मूल अर्थ से भिन्न अर्थ की व्यजना करता है। (6) मुहावरा भिन्न-भिन्न देश, जाति

62 लोकोवित और मुहावरा : स्वरूप विद्येयण

अथवा समाज के भिन्न-भिन्न वगों की सूचक सज्ञा है।¹⁵⁵ इन लक्षणों के आधार पर डॉ० रमेशचन्द्र ने मुहावरे का स्वरूप स्थिर किया है। इसे परिभासित करते हुए वे लिखते हैं—मुहावरा किसी लिखित अथवा कथ्य भाषा में प्रचलित वह वाक्याश है जिसका अर्थ प्रत्यक्ष (अभिधेय) अर्थ से विलक्षण होने के कारण लक्षण अथवा व्यज्ञन द्वारा सिद्ध हो। उदाहरणार्थ 'मार खाइबो' वाक्याश एक मुहावरा है, वयोवि इसमें 'खाइबो' अपने साधारण अर्थ में न आकर लालाणिक अर्थ 'सहन करना' में प्रयुक्त हुआ है, किन्तु 'नदी के बिनारे पे' वाक्याश कोई भी विलक्षण अर्थ में प्रस्तुत करने के कारण मुहावरा नहीं है। अत. यह कथन कि 'मब मुहावरे वाक्याश होते हैं परन्तु सब वाक्याश मुहावरे नहीं होते', सर्वथा युक्ति-युक्त एव समीचीन है।¹⁵⁶

डॉ० ओम्प्रकाश गुप्त ने मुहावरा-मीमांसा में मुहावरे की परिभाषा इस प्रकार प्रस्तुत की है—प्राय. शारीरिक चेटाओ, अस्पष्ट घटनियो, बहानी और कहावतो अथवा भाषा के कठिपथ विलक्षण प्रयोग के अनुकरण या आधार पर निर्मित और अभिधेयार्थ से भिन्न कोई विशेष अर्थ देने वाले किसी भाषा के गठे हुए रूढ़ वाक्य, वाक्याश अथवा शब्द इत्यादि को मुहावरा कहते हैं। जैसे—हाथ-पेर मारना, सिर घुनना, अगारो पर लोटना, आग से खेलना आदि।¹⁵⁷ डॉ० ओम्प्रकाश गुप्त ने इस परिभाषा में तीन तथ्यों पर विशेष चल दिया है, ये हैं—(क) मुहावरों का निर्माण भाषा आदि कुछ विलक्षण प्रयोग के अनुकरण अथवा आधार पर होता है। (ख) मुहावरे अभिधेयार्थ से भिन्न अथवा शब्द होते हैं।

डॉ० प्रतिमा अग्रवाल अपने शोध-प्रबन्ध 'हिन्दी मुहावरे' में इसकी लाक्षणिकता पर विचार करती हुई लिखती है—मुहावरा लालाणिक प्रयोग है और इसके द्वारा भाषा को बक्षता एवं चुटीलापन प्राप्त होता है। 'लाक्षणिक प्रयोग' वहने का तात्पर्य यह नहीं समझना चाहिए कि लाक्षणिक प्रयोग और मुहावरा समानार्थी हैं एवं हर लाक्षणिक प्रयोग मुहावरा है। लाक्षणिकता के साथ ही साथ दूसरा अनिवार्य गुण अपेक्षित है—रूढ़ होना अर्थात् उस विशेष अर्थ में वह लाक्षणिक प्रयोग रूढ़ एवं जनप्रचलित हो। इस गुण अभाव में मुहावरा मुहावरा हो ही नहीं सकता। लाक्षणिक प्रयोग एवं मुहावरों के बीच सीमा रेखा खींचना सरल नहीं। कहा कौन-सा लाक्षणिक प्रयोग, अपनी विशुद्ध आलकारिकता छोड़कर मुहावरे की सीमा स्पर्श करता है, और कहा अपनी सीमा में ही बद्द आलकारिक प्रयोग मात्र है, यह कहना कठिन है।¹⁵⁸ प्रस्तुत विवेचन में डॉ० अग्रवाल ने मुहावरे एवं लक्षणा शब्द-शक्ति के सम्बन्ध-स्थापन में जिस बात पर विशेष चल दिया है, वह यह है कि मुहावरा लाक्षणिक प्रयोग का पर्याय न होकर अपना स्वनन्त्र अस्तित्व रखता है। डॉ० अग्रवाल मुहावरे को परिभासित करती हुई लिखती हैं—मुहावरा वह विशिष्ट पद-रचना है जो अभिधेयार्थ से भिन्न कोई विशेष लालाणिक अर्थ को सम्मुख रखती है या किसी अभिधेयार्थ को गोल बनाकर कोई विशेष अर्थ की घटना देती है।¹⁵⁹

उपर्युक्त मन्तव्यों के आधार पर निष्पत्ति कहा जा सकता है कि 'मुहावरा' एक पारिभाषिक शब्द है, जिसका प्रयोग विलक्षण अर्थ में किया जाता है। अभिधेयार्थ से नितान्त भिन्न मुहावरा वह वाक्याश है जो किसी भाषा के लाक्षणिक एवं व्यजनामूलक अर्थ में सोक-विश्रृत होकर रूढ़ हो गया हो।

'मुहावरा' एवं रोजमर्रा (बोलचाल) — हिन्दी शब्द-सागर में मुहावरे की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि कुछ लोग इसे 'रोजमर्रा' या 'बोलचाल' भी कहते हैं।¹⁶⁰ इसलिए 'रोजमर्रा' एवं 'मुहावरे' के साम्य वंशमय पर विचार करना भी आवश्यक हो जाता है।

रोजमर्रा का प्रयोग सर्वप्रथम 'फरहग आसफिया' में प्राप्त होता है। इसके आधार पर श्री गया प्रसाद शुक्ल, ५० रामदहिन मिश्र प्रमृति चिन्तको ने मुहावरे के निष्पत्ति के साथ ही इसका भी विवेचन किया है। मौलाना 'हाली' अपनी कृति मुकदमा-दोरो शायरी में लिखते हैं कि मुहावरे के जो मानी हमें अब्बल (पहले) बघान किए हैं, वह आम यानी दूसरे माइनो (अर्थों) में भी शामिल हैं, लेकिन दूसरे मानी पहले मानी से खास हैं। पर जिस तरकीब की लिहाज से भी मुहावरा कहा जायेगा, उसको दूसरे मानो के लिहाज से भी मुहावरा कहा जा सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जिस तरकीब (व्यापार) को पहले मानी के लिहाज से मुहावरा कहा जावे। उसको दूसरे माइनो (अर्थों) के लिहाज से भी मुहावरा कहा जावे। मसलन, 'तीन पाच करना' (झगड़ा टटा करना)। उसको दो मानों के लिहाज से मुहावरा कह सकते हैं क्योंकि यह तरकीब अहले-जबान की बोलचाल के भी मुआफिक है, और चीज उसमें 'तीन पाच' का सप्त अपने हकीकी मानों में नहीं, बल्कि मजाजी (साकेतिक) माने में बोला गया है। लेकिन रोटी खाना या मेवा खाना या पाच-सात या दस-बारह वर्गेर सिँफ पहले मानों के लिहाज से नहीं, क्योंकि यह तभाम तरकीबें अहले जबान के मुआफिक तो जरूर हैं, मगर उनमें कोई सप्त अपने मजाजी मानों में इस्तेमाल नहीं हुआ।¹⁶¹

मौलाना 'हाली' के इस वक्तव्य के आधार पर 'मुहावरा' सज्जा से उसे अभिहित किया जा सकता है जो मजाजी मानो अर्थात् साकेतिक अर्थ में प्रयुक्त हुआ हो, जबकि 'रोजमर्रा' के लिए इस प्रकार का कोई भी प्रतिबन्ध नहीं है अत साकेतिक अर्थ एक ऐसी विभाजक रेखा है जो रोजमर्रा को मुहावरे से पृथक् बरती है।

मौलाना 'हाली' के मन्तव्य को स्पष्ट करते हुए श्री रामचन्द्र वर्मा लिखते हैं—कुछ लोग बोलचाल के प्रचलित और शिष्ट सम्मत प्रयोगों को ही मुहावरा समझते हैं, पर वास्तव में वह 'मुहावरे' का दूसरा और गोण अर्थ है। यह वह तत्त्व है जिसे उद्दू बाले रोजमर्रा कहते हैं। यह 'रोजमर्रा' भी होता ता है—प्राय कुछ गढ़े हुए मा निरिचित शब्दों में ही, पर उन शब्दों से सामान्य अथ निकलता है। उस प्रकार का कोई विशेष अर्थ नहीं निकलता, जिस प्रकार का मुहावरे से निकलता है। जैसे—हम यह तो कहेंगे कि 'यह पाच सात दिन पहले की बात है', पर यह नहीं कहेंगे कि यह पाच-आठ दिन पहले की बात है या छह नौ दिन पहले की बात है। बोलचाल का बधा हुआ रूप

६४ . लोकोक्ति और मुहावरा . स्वरूप विश्लेषण

‘दिन दूना और रात चौगुना’ ही है। इसे हम रात दूना और दिन चौगुना नहीं कर सकते। कुछ सज्जाओं के साथ जो कुछ विशिष्ट या निश्चित कियाएं आती हैं, वे इसी बोलचाल पर तत्त्व की सूचक हैं।¹⁶²

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर निम्न तथ्य उपस्थित होते हैं—

(व) बोलचाल का प्रचलित एवं शिष्ट-सम्मत प्रयोग वस्तुतः मुहावरा न होकर उसका दूसरा और गोण अर्थ है।

(ख) यह गोण अर्थ उद्दू मेरोजमर्रा के नाम से प्रचलित है।

(ग) ‘रोजमर्रा’ का प्रयोग भी कुछ गढ़े हुए या निश्चित शब्दों मे ही होता है। पर उन शब्दों से सामान्य अर्थ ही छोतित होता है।

(घ) मुहावरे के द्वारा कोई विशेष अर्थ अभिव्यजित होता है।

वर्मा जी ने मौलाना ‘हाली’ के विचारों को स्पष्टता प्रदान की है, इसमे सन्देह नहीं। वर्मा जी का सामान्य अर्थ मौलाना ‘हाली’ के हकीकी अर्थ के समानान्तर प्रमुक्त हुआ है और विशेष अर्थ मजाजी मानों के रूप मे आया है, अत मुहावरा हकीकी अर्थवा सामान्य अर्थ या अभिधेयार्थ से नितान्त भिन्न विशेष अर्थ अर्थवा मजाजी मानों मे प्रयुक्त होता है।

श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय ने ‘बोलचाल’ नामक अपनी पुस्तक मे ‘मुहावरे’ व ‘रोजमर्रा’ के पारस्परिक सम्बन्ध का विस्तृत निरूपण किया है। वे लिखते हैं—“मुहावरे और रोजमर्रा या बोलचाल पर हमें दो दृष्टियों से विचार करना है—पहले भाषा की दृष्टि से उनकी अलग-अलग उपयोगिता और आवश्यकता पर, और दूसरे उन दोनों के पारस्परिक सम्बन्ध पर। जैसे मौलाना साहब ने कहा है—उपयोगी तो दोनों हैं, परन्तु आवश्यक जितना रोजमर्रा है, मुहावरा उतना नहीं। भाषा को यदि एक स्त्री मानें तो रोजमर्रा उसके शरीर की सावधानता और गठन तथा मुहावरे (उसके) किसी बग विशेष का सौन्दर्य है। रोजमर्रा का सम्बन्ध भावों के बाह्य परिधान, शब्दों के क्रम सानिध्य और इष्ट प्रयोग तक ही विशेष रूप से सीमित रहता है। आशय, तात्पर्य, अर्थवा व्यजना वा उस पर कोई नियन्त्रण नहीं रहता, जबकि मुहावरे के लिए भावों के बाह्य परिधान, शब्द-क्रम इत्यादि के साथ ही उनसे अभिव्यजित तात्पर्यार्थ की रूढ़ियों वा पालन करना भी अनिवार्य है।¹⁶³ उदाहरण के द्वारा आगे अपनी बात स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैं—‘कुत्ते भौंकना’ एक बावधान है। रोजमर्रा की दृष्टि से चूंकि कुत्ते के साथ ‘भौंकना’ किया ही आनी चाहिए, इसलिए ‘कुत्ते भौंकना’ इसका अर्थ कोई झाड़ी की बात थेंडना, किसी भी अर्थ मे ले, रोजमर्रा के पद से अनुत नहीं हो सकता; किन्तु यह बावधान मुहावरा के बल अपने अर्थ मे ही हो सकता है, दोनों अर्थों में नहीं। संक्षेप मे हम कह सकते हैं कि बोलचाल या रोजमर्रा और मुहावरे मे वही सम्बन्ध है, जो दारीर और दारीरी मे होता है। जिस प्रकार दारीर वे बिना दारीरी अति सुन्दर और प्रिय होते पर भी मूत्र और पिण्ठाच ही समझा जाता है, कोई उसकी ओर आइष्ट नहीं होता, उसी प्रकार रोजमर्रा (इष्ट प्रयोग) वे बिना ‘मुहावरा’ संबंध अप्रिय और वर्ण कट्ट ही

लगता है।¹⁶⁵ इस प्रकार उपर्युक्त जी के अनुसार—

- (क) मुहावरे एवं रोजमर्रा की तुलना में आवश्यकता की दृष्टि से रोजमर्रा अपेक्षाकृत अधिक आवश्यक है, तथापि दोनों की उपर्योगिता, असदिग्धि है।
- (ख) रोजमर्रा भाष्यिक शरीर की सावधता या गठन है तो विशेष का सौन्दर्य है।
- (ग) रोजमर्रा भाषों के बाह्य परिवान-शब्दों में क्रम, सान्निध्य और इष्ट प्रयोग तक सीमित है वहाँ मुहावरे में इनके साथ ही अभिव्यजित तात्पर्यार्थ की रुद्धियों का पालन भी अनिवार्य है।
- (घ) इन दोनों में परस्पर शरीर-शरीरी का सम्बन्ध होने के कारण भाषा में दोनों की ही महत्वपूर्ण उपर्योगिता एवं आवश्यकता है।

इस आधार पर कहा जा सकता है कि गठन तथा वाक्य-विन्यास की दृष्टि से दोनों में समानता है तथा भाषा में दोनों की महत्वपूर्ण उपर्योगिता एवं अनिवार्यता है, किन्तु फिर भी सापेक्षता की दृष्टि से यदि रोजमर्रा शरीर है तो मुहावरा शरीरी। प्रथम यदि साधन है तो द्वितीय साध्य। प्रथम यदि भाष्यिक स्त्री की सावधता है तो द्वितीय उसका लाभण्य। अर्थं तत्त्व की दृष्टि से भी दोनों में पर्याप्त भिन्नता है, क्योंकि प्रथम में अभिव्येषार्थ की विद्यमानता है तो द्वितीय में साकेतिक अर्थ की, तथापि भाषा में दोनों का ही महत्व है।

मुहावरे के साथ तुलना करते हुए विद्वानों ने पहेलिया, रोजमर्रा, सुभाषित, लोकिक न्याय, दृष्टिकूट, प्रतीक, सयुक्त क्रियाएं तथा व्याकरण-तर्क आदि के साथ मुहावरे का साम्य-वैयम्य प्रदर्शित किया है¹⁶⁶, किन्तु विस्तार-भय से इसकी चर्चा सभव नहीं है। हा। कई बार कुछ चलते क्रियापदों को मुहावरा समझने का भ्रम हो जाता है, अत मुग्मक क्रियापद अथवा सयुक्त क्रियाएं एवं मुहावरे की तुलना आवश्यक हो जाती है। डॉ० अश्रवाल के शब्दों में—हिन्दी साहित्य-भाषा में सयुक्त कुछ सयुक्त क्रियाएं ऐसी हैं जिनमें एक ही अर्थ में दो क्रियाएं आती हैं, जैसे मारपीट कर, बिना कहे-सुने आदि। ये मुग्मक क्रियापद मुहावरेदानी के आस-पास पहुँच जाते हैं, लेकिन वास्तव में मुहावरे नहीं हैं। 'मारपीट करना', 'कहा सुनी करना', 'ना' प्रत्यान्त होने पर ही वे मुहावरे होते हैं।¹⁶⁷

मुहावरे एवं सयुक्त क्रियाएं—जब किसी क्रिया को कुछ विशिष्ट कृदन्तों के आगे जोड़ कर क्रिया बनती है, सयुक्त क्रिया कहलाती है, यथा—भरने/मारने लगना, खा/पी सकना, करने/मरने देना आदि में कृदन्तों के आगे क्रमशः लगना, सकना, देना क्रियाएं जोड़कर सयुक्त क्रिया बन गई है। सयुक्त क्रियाओं में मुख्य क्रिया का कोई न कोई कृदन्त-रूप होता है और सहकारी क्रिया जो कृदन्त की विसेपता चीतित करती है, काल के रूप में रहती है। उठना, आना, करना, चाहना, चुकना, जाना, लगना, सकना, होना आदि क्रियाएं इसी प्रकार की हैं, जो सयुक्त क्रियाओं में आती हैं। इन सहकारी

क्रियाओं का मुख्य क्रियाओं के साथ मेल होने से समुक्त क्रियाओं में एक नवीन अर्थ उत्पन्न होता है, जिससे समुक्त क्रिया और मुहावरे को एक मानने का भ्रम उत्पन्न हो जाता है, किन्तु इस प्रकार की समुक्त क्रियाएँ लक्षण-व्यजना-सिद्ध न होने के बारण मुहावरे की श्रेणी में नहीं आती हैं। यथा—‘माला टूट गई और मोती बिल्लर गए’ वाक्य में ‘गई’ और ‘गए’ सहजारी क्रियाएँ हैं। ‘टूट गई’ और ‘बिल्लर गए’ समुक्त क्रियाएँ हैं। ‘टूट गई’ समुक्त क्रिया से सुन्ताव सूत्र के सम्बन्ध-विच्छेद का बोध होता है। इससे मिलता-जुलता एवं मुहावरा है ‘टूट पड़ना’ जिसका अर्थ सदाचारा होता है—पूरी चकित वे साथ आश्रमण करना। इसके विपरीत अन्य मुहावरा है ‘टूटी जुड़ना’। इसका अभिप्राय है—पुन सम्बन्ध स्थापित हो जाना। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण है—‘पिता जो आते देखकर लड़का उठ चैठा’। इस वाक्य में प्रमुक्त ‘चैठा’ सहायक क्रिया के हारा अविलम्बन्त्वरित उठने की क्रिया की व्यजना हुई, किन्तु धातुगत अर्थ में इसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। इसके विपरीत ‘उस लड़के का अपने साथियों के घरों में उठना चैठना है’ इस वाक्य में व्यवहृत रेखांकित मुहावरे में धात्वर्थ का परिवर्तन हुआ है। इससे भी प्रकट है कि समुक्त क्रिया एवं मुहावरे में पर्याप्त पार्थक्य है।

समुक्त क्रियापद एवं मुहावरे में पारस्परिक भेद का एवं अन्य बाधार यह भी है कि समुक्त क्रियापद में उच्चारण करते समय बलाधात-प्रधान क्रियापद रहता है और सहायक क्रियापद अल्पतर प्रयत्न से बोला जाता है, यथा—‘वह चला गया होगा’। वाक्य में प्रमुख ‘चला’ प्रमुख क्रियापद और ‘गया होगा’ सहायक क्रियापद है। वाक्य बोलते समय बलाधात प्रथम क्रियापद ‘चला’ पर ही सुनाई देता है। इसके विपरीत मुहावरों का उच्चारण करते समय मुहावरे के दोनों पद समान होते हैं अर्थात् किसी एक पद पर बलाधात प्रमुख या गौण नहीं होता।¹⁶⁸ यथा—‘राम आता है—सीता आती है’। यहाँ क्रियाएँ कूदन्त तिडन्त (समुक्त) हैं। ‘आता-आती’ कूदन्त मुख्य क्रियाएँ हैं और ‘हैं’ तिडन्त, सहायक क्रिया।¹⁶⁹ किन्तु ‘राम का श्याम के घर आना जाना है’। या “सीता श्यामा के पास आती जाती है”। इन वाक्यों में दोनों पद समान हैं। ‘आते’ की क्रिया से सम्बन्धित अनेक मुहावरे हैं, यथा ‘आइ जुरी’, ‘आइ जुरे’ या ‘आइ परे’¹⁷⁰ आदि। इनका अभिप्राय है एकत्रित हो गई तथा एकाएक (विपत्ति आदि) उपस्थित हो गई। स्पष्ट है कि यहाँ मुहावरों में कोई एक पद प्रमुख या गौण न होकर दोनों पद समान रूप में प्रमुक्त हुए हैं।

लोकोक्ति एवं मुहावरे में साम्य-वैषम्य

लोकोक्ति एवं मुहावरे में पर्याप्त साम्य होने पर भी वस्तुत भिन्नता है। यद्यपि कुछ विद्वानों ने इनमें परस्पर अभेद स्थापित करने की चेष्टा की है। डॉ० स्मिथ एक स्थान पर लिखते हैं—कुछ लोकोक्तिया तथा लोकोक्तिपरबंध वाक्यादा भी हमारी बोलचाल की भाषा में धुल-मिल गए हैं, इन्ह भी शायद मुहावरा मान सकते हैं, यथा—

एवं सिर से दो सिर अच्छे हैं (Two heads are better than one)

पुराने मूँखों की तरह फोई मूँख नहीं है (No fool like an old fool)¹⁷¹

डॉ० स्मिथ ने अपने कथन की पुस्टि में जो उदाहरण दिए हैं, वे लोकोक्तियों के ही उदाहरण हैं, मुहावरों के लक्षणों का इनमें अनाव है। डॉ० स्मिथ की भाति प० राम दहिन मिथ्र भी 'हिन्दी मुहावरे' नामक अपनी पुस्तक में मुहावरे के द्वादश लक्षणों में एक लक्षण के अन्तर्गत इन दोनों के पारस्परिक भेद को समाप्त कर देते हैं—“कोई-कोई कहावत को भी मुहावरा कहते हैं—जैसे, नी नकद न तेरह उधार, नी की सकड़ी नब्बे खचं, आदि।¹⁷² डॉ० रमेशचन्द्र के अनुसार इन दोनों को अभिन्न समझने का प्रमुख कारण यह भी हो सकता है कि ये दोनों ही विलक्षण (असामान्य) अर्थ देते हैं, परन्तु इस एक समानता के अतिरिक्त इन दोनों में रूपात्मक, अर्थपरक तथा अन्य दृष्टियों से भी भेद होता है।¹⁷³ वस्तुत डॉ० रमेशचन्द्र द्वारा कवित इन दोनों की समानता का आधार असामान्य अर्थ मात्र ही नहीं है, कुछ अन्य भी आधार हैं—यथा लोकाक्षिण एवं मुहावरे दोनों ही समान रूप से लोकप्रिय एवं लोक-प्रचलित हैं, इनके उद्भव एवं विवास का इतिहास भी एक समान है, दोनों ही कथन को रोचक एवं प्रभावपूर्ण बनाते हैं तथा दोनों ही लक्षण-व्यञ्जना शब्दित से युक्त होते हैं, भाषा में आलकारिकता, वार्तेदार्य आदि विशिष्टताओं के कारण चमत्कार की सूष्टि करते हैं आदि आदि।

डॉ० नरेश्वर वर्मा के अनुसार लोकोक्ति एवं मुहावरे को अभिन्न समझे जाने का एक कारण यह भी है कि तनिक से परिवर्तन के साथ अनेक मुहावरे लोकोक्ति में परिणत किए जा सकते हैं।¹⁷⁴ बहुत से मुहावरेदार वाक्यांश का प्रयोग कहावतों की भाति होता है और बहुत सी कहावतों के कलेवर में मुहावरों का समावेश पाया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि तनिक से परिवर्तन से मुहावरे कहावतों का और कहावतें मुहावरों का रूप धारण कर लेती हैं।¹⁷⁵ उदाहरण के लिए एक मुहावरा है—‘उगली पकड़ते पहुचा पकड़ना’, जिसका अर्थ है—अल्पाश्रय ग्रहण कर फिर पूर्णाधिकार जमाना। इस मुहावरे का प्रयोग अनेक कवियों द्वारा किया गया है, यथा—

—छवे छिगुली पहुचौ गिलत अति दीनता दिलाइ।

बलि वावन की ब्यांतु सुनि को, बलि तुम्हे पत्याइ।

—वहा एती चतुराइ पढ़ी आप जदुराई,

बल्मुरि पकड़ि पहुचा को पररत हो।

—प्रथम देवरानी फिर सौत ‘कहते हैं इसको ही

अगुली पकड़ प्रकोष्ठ पकड़ लेना।¹⁷⁶

विहारी ने इस मुहावरे का प्रयोग करते हुए ‘उगली पकड़ने’ के स्थान पर ‘छवे छिगुली’ तथा गुप्त जो ने ‘पहुचा’ की जगह ‘प्रकोष्ठ’ शब्द का प्रयोग किया है, किन्तु इससे मुहावरे का अर्थ परिवर्तित नहीं हुआ, अपितु कवि की नवोन्मेषशालिनी प्रक्षा वा परिचय प्राप्त होता है। मुहावरे का स्वरूप नष्ट नहीं हुआ। इधर सूरदास ने एक स्थान पर इस मुहावर का लोकोक्ति परक प्रयोग किया है, जिसका भाव है—वह व्यक्ति जो अल्पाश्रय ग्रहण कर तदनन्तर पूर्णाधिकार जमाने का प्रयत्न वरता है, अपने इस कार्य-

पत्ताप पो मुप्त नहीं रह सकता, उमशी अपिहृत यस्तु आदि पा भेद सोह को प्राप्त हो जाता है—

अगुरि गहत गहो जिहि पहुचो छंते दुरति दुराए।¹⁷⁷

गूरदास पा मुहावरे का सोरोजिनापरम यह प्रयोग उनके "ओ-जान" का परिचायक है। इसमें यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इनका परस्पर सम्बन्ध भी ऐसा नहीं है। मुहावरों की परतन्त्रता से लाभ उठाकर अनेक सोरोजिनयों का निर्माण मुहावरों पे आधार पर ही होता है। डॉ० मुकेशवर तियारी अपने अपने शोप-प्रबन्ध—भोजपुरी सोरोजिनयों एवं 'मुहावरे' के अन्तर्गत इसी तथ्य की गुट्ठियाँ में निर्मोक्ष उदाहरण प्रस्तुत कर विषय स्पष्ट परते हैं—

(क) 'पर मे युमा याहर गहतन—मुह सूति को छोचा भइतन।'

(ल) 'परजू नघनिया अपनी तेसे नाचत चरे।'

(ग) 'वाठ गड़से घोकन होता, यात गड़से रतार होता।'

(घ) 'कोटि लातिर गहती, मांगो मंवाइ के भइती।'

(इ) 'जे दोसरा लातिर कुआ रोनेता, भगवान् थोकेरा के भगाड लोने लत।'

इनमें पहली बहावत का तात्पर्य है कि "पर से यातक परदेश गया" उसका मुख सूखकर सूख कर चुयत हो गया। इस बहावत में दो मुहावरे हैं 'याहर गहतन' और 'मुह सूख कर चोचा भइतन' दूसरी बहावत का तात्पर्य है, 'मजबूरी से अपना ही राचं करके किसी का वायं करना।' इसमें 'अपने तेसे नाचत' मुहावरा है, जिसका अर्थ होगा अपना ही खचं बरवे नाचना। तीसरी कहावत का मतलब होगा कि लकड़ी गढ़ने से चिकनी होती है, किन्तु बात गढ़ने से कटूता बढ़ती है। इस बहावत में 'चाति गढ़न' मुहावरा है, जिसका तात्पर्य है 'वात बढ़ाना'। चोथी कहावत का मतलब है पुश कामना के लिए गई, किन्तु पति भी गया बैठी। इसमें 'कोख खातिर गहते' (पुश के लिए जाना) तथा माग गया के आइल (पति गवाकर आना) ये दो मुहावरे हैं। इसी प्रकार पाचवी कहावत का अर्थ होगा—जो दूसरों का अहित चाहते हैं, भगवान् स्वयं उसको बच्च देते हैं। इस कहावत में भी 'कुआ खोनल' (अनिष्ट चाहता) और 'भगाड खोनल' (बच्च देना) ये दो मुहावरे हैं।¹⁷⁸ इससे जात होता है कि लोकोक्तियों के निर्माण में मुहावरे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि कही-कही इनका पारस्परिक भेद इतना सूक्ष्म होता है कि इनका पृथक्करण दुष्कर प्रतीत होता है। डॉ० सरोज अग्रवाल का कथन उपयुक्त ही प्रतीत होता है कि कहावतों और मुहावरों का यह भेद इतना सूक्ष्म होता है कि प्राय कहावतों को मुहावरे और मुहावरों को कहावतें समझ लिया जाता है। विभिन्न कहावत-कोशों में कहावतों के साथ मुहावरे और 'मुहावरा-कोशों' में मुहावरों के साथ कहावतें भी सम्मिलित कर दी गई हैं।¹⁷⁹ किन्तु मूलत लोकोक्तिया और मुहावरे अपना पृथक्-पृथक् अस्तित्व रखते हैं। पर्याप्त साम्य होने पर भी वस्तुत इनमें पारस्परिक अन्तर होता है। इनकी पारस्परिक भिन्नता के अनेक ऐसे आधार हैं, जिनके द्वारा इनमें अभेद-स्थापन के भ्रम की निवृत्ति हो जाती है। विषय के स्पष्टीकरण के लिए कुछ मान्य

विद्वानों के मत प्रस्तुत हैं—डॉ० ओमप्रकाश गुप्त की दार्शनिक ^{विद्वावली} से मुहावरे वाक्य के सूक्ष्म शरीर हैं और स्थूल शरीर के बिना उनकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है। परन्तु लोकोक्तिया वाक्य-समाज (भाषा) के प्रामाणिक व्यक्ति हैं जिनको व्यक्तित्व-ही उनकी प्रामाणिकता का प्रमाण होता है, जहाँ-कहीं और जिस किसी के पास बैठे, उनकी तृतीय वौलने से लगे।¹⁸⁰ बादू मुलावराय के मत में लोकोक्ति का स्वतन्त्र प्रयोग होता है, जबकि मुहावरा परतन्त्र है—‘कहावत में एक पूर्ण सत्य या विचार को पूरी अभिव्यक्ति हो जाती है। वह पूरे वाक्य का अश नहीं बनता बरन् एक स्वतन्त्र वाक्य होता है। मुहावरा स्वतन्त्र नहीं होता, वह किसी वाक्य में रखे जाने का मुहताज रहता है। तेते पांच पत्तारिए, जेतो साबी सौर’, ‘ठडा लोहा गरम लोहे को काटता है’, ये कहावतें हैं, लेकिन ‘टेहो खीर’, ‘पापड बेतना’, ‘दांतों तले उगली बेना’, ‘दांत खट्टे करना’, ये मुहावरे हैं।¹⁸¹

श्री ब्रह्म स्वरूप शर्मा ‘दिनकर’ इस सम्बन्ध में कहते हैं कि दोनों में बड़ा अन्तर है, दोनों को एक समझना भूल है। (अ) ‘हाथ पाव मारना’। (ब) ‘देनो पड़े बुनाई, घटा बताए सूत’। (अ) एक मुहावरा है, अतएव वाक्यात्मा है। (ब) एक लोकोक्ति है और वाक्य है। मुहावरा एक वाक्याश होता है और लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य। मुहावरे का प्रयोग वाक्य में होता है और लोकोक्ति का स्वतन्त्र रूप से। मुहावरा वाक्य के अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करता है और लोकोक्ति किसी बात के समर्थन के लिए प्रयुक्त होती है।¹⁸² श्री ‘दिनकर’ के प्रस्तुत विवेचन का अन्तिम अश कि मात्र मुहावरा ही वाक्य में चमत्कार उत्पन्न करता है तथा लोकोक्ति का प्रयोग किसी बात के समर्थन के लिए होता है, आपत्तिजनक है। वस्तुत दोनों ही भगिनापूर्ण विधान कर वैचित्र्य की सृष्टि करते हैं। लोकोक्ति के द्वारा भी अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त जहाँ तक उसके प्रयोग का प्रश्न है, उन्होंने मात्र समर्थन के रूप में ही लोकोक्ति का प्रयोग स्वीकार किया है, जबकि लोकोक्ति का प्रयोग किसी बात के विरोध आदि के लिए भी होता है। लोकोक्ति के प्रयोग की पोषण, शिक्षण, आलोचन आदि दृष्टिरूप पूर्वं विवेचित हैं। यहा मात्र इतना कहना आवश्यक है कि लोकोक्ति मात्र को प्रयोग की दृष्टि से ‘किसी बात के समर्थन के रूप में’ मानना अव्याप्ति दोष से युक्त होगा।

श्री रामस्वरूप त्रिपाठी का मन्तव्य श्री ब्रह्म स्वरूप शर्मा ‘दिनकर’ के कथन से मिलता-जुलता है। उनके अनुसार—मुहावरा वाक्य का अश होता है। वह स्वतन्त्र रूप से व्यवहार में नहीं लिया जा सकता। पर कहावत एक स्वतन्त्र वाक्य होती है और अपना स्वतन्त्र अर्थ रखती है। किसी कथन को पुष्ट करने के लिए उदाहरण के तौर पर अलग से उसका प्रयोग किया जाता है।¹⁸³ यहा यह कहना अनुचित न होगा कि इस विवेचन में नवीनता का अभाव है, पूर्व विवेचित मन्तव्य से इस विवेचन की भिन्नता नहीं है।

कहावत-कोशकार ने लोकोक्ति एवं मुहावरे के पार्थक्य को इस प्रकार स्पष्ट किया है—मुहावरा एवं वाक्य-खण्ड अथवा वाक्याश होता है, जबकि कहावत एक सम्पूर्ण तथा स्वतन्त्र सामाजिक सूत्र वाक्य। कहावत में एक पूर्ण सत्य अथवा विचार की अभिव्यक्ति

70 . लोकोक्ति और मुहावरा : स्थान परिवेचन

होती है, पर मुहावरे में ऐसा नहीं होता। मुहावरा किसी भाषा में एक साक्षणिक प्रयोग होता है। कोई भी मुहावरा जब तक किसी वाक्य में स्थान नहीं पाता, तब तक यह लगभग निरर्थक होता है। मुहावरे की सबसे बड़ी पहचान है—उसका प्रायः ‘ना’ प्रत्ययान्त होते हैं और इनसे किसी कार्य या व्यापार का बोध होता है।¹⁸⁴ अपने विवेचन को विस्तार प्रदान करते हुए आगे वे लिखते हैं—कुछ मुहावरेदार वाक्य भी ऐसे होते हैं जिनमा प्रयोग कहावतों की तरह होता है। इनके विषय में जल्द निर्णय कर पाना कठिन होता है कि ये सचमुच कहावतें हैं या मुहावरेदार वाक्य। यथा, ‘भले घर में धन देलउ (मुज० 2) एक मुहावरेदार वाक्य है, जिसमें ‘भले घर में धन देहन।’ (भले घर में धायन देना) एक मुहावरा है, जिसका मानी है— किसी जबरदस्त व्यक्ति से उलझना। गो० तुलसीदास ने भी इसका प्रयोग मुहावरे के रूप में किया है—‘भले भवन अब धायन दोग्हा।’ इस मुहावरे वाक्य का प्रयोग अक्सर कहावत के रूप में भी होता है।¹⁸⁵ वस्तुतः मुहावरा होने के कारण कहावत के रूप में इसका प्रयोग करना उचित नहीं होता। कहावत-कोशकार का यह कथन कि मुहावरा लाक्षणिक प्रयोगमात्र है, इसलिए अपूर्ण प्रतीत होता है क्योंकि मुहावरों में व्याघ्रात्मकना का भी प्राधान्य होता है। इसके अतिरिक्त लोकोक्तियों में भी व्याघ्रात्मकता के साथ-साथ निरुद्धा लक्षणा भी कार्य करती है, अतः मुहावरे को लाक्षणिक प्रयोग मात्र स्वीकार करके इनका भेद-स्थापन नहीं हो पाता।

डॉ० प्रेम नारायण शुक्ल के दृष्टिकोण के अनुसार मुहावरों की भाँति लोकोक्तिया भी भाषा और भाव-सौन्दर्य की सूचित करती हैं। इन दोनों में अन्तर यह है कि मुहावरों में लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है और लोकोक्ति के पीछे कोई घटना होती है, जिसके द्वारा प्रस्तुत विषय का समर्थन किया जाता है।¹⁸⁶ कहना न होगा कि उपर कथन में डॉ० शुक्ल लोकोक्ति एवं मुहावरे के भेद को स्पष्ट करने में असमर्थ रहे हैं। इसका पुष्ट प्रमाण यह है कि इन्होंने मुहावरों की सूची में—‘बालू माहि तेल नहिं निकसत दाहू विधि’ तथा ‘गगा उलटि फरि फरि जमुना माहें आणि’ जैसे कहावतों के उदाहरणों को भी उसमें सम्मिलित कर दिया है। अतः शुक्ल जी का प्रस्तुत विवेचन इस दृष्टि से अपूर्ण ही कहा जा सकता है।

डॉ० कृष्ण चन्द्र शर्मा द्वारा लोकोक्ति एवं मुहावरे के साम्य-वैपर्य-निरूपण में अधोलिखित तथ्य प्राप्त होते हैं—

वाक् पद्धतियां (मुहावरे)

- (1) व्यजना व्यक्ति है। ये अभिव्यक्ति को बल प्रदान करती है। इनका प्रयोगान्तरंगत रूप-परिवर्तन सम्भव है।
- (2) खण्ड वाक्य अपूर्ण विचार की बाहिका।

लोकोक्तिया

चिरकाल से अनुभवों और गहन विचारों की निष्कर्षात्मक अभिव्यक्तिया है। ये अपरिवर्तनीय हैं।

सक्षिप्त वाक्य तथा सम्पूर्ण विचार-बाहिका।

- (3) भाव को हृदयगम करने में सहायक
अप्रस्तुत विधान के समान
- (4) भाषा की शृंगार-मजूपा
- (5) वाणी को चित्र तथा चित्र को सजी-
वता देने वाली
- (6) गद्य गरिमा से युक्त

- तकं को प्रमाण प्रदान कर अन्तिम
व्यवस्था
- एव निर्णय की उद्धोषिका
- लोक-मनीषा की समाहिका
- सतत उद्धत उद्धरण काव्य बीज-
मण्डित

इनके अतिरिक्त इनमें कुछ साम्य भी है, यथा—सक्षिप्ति, सुस्पष्टता, कुशाग्रता, विदर्घता आदि जो वाक् पद्धतियों और लोकोवित में समान रूप से पाई जाने वाली विशेषताएँ हैं।¹⁸⁷ डॉ० शर्मा ने अपने इस विवेचन में लोकोवित एवं मुहावरे की पृथक्ता के कुछ आधार प्रस्तुत किए हैं, किन्तु यदि इन आधारों को वैज्ञानिक रीति से प्रस्तुत किया जाता, तो उनका यह प्रतिपादन स्थिर एवं मान्य हो सकता था, जबकि इस विवेचन में भी अपूर्णता के दर्शन हो जाते हैं, यथा—अतिम आधार ही लीजिए—मुहावरे जहां गद्य-गरिमा से युक्त होते हैं, वहां, लोकोवितयों गद्य एवं पद्यबद्ध दोनों ही रूपों में प्राप्त होती हैं। किंवर भी डॉ० शर्मा का यह विवेचन इस दृष्टि से महत्वपूर्ण बन जाता है कि इन्होंने लोकोवित एवं मुहावरे में परस्पर भेद-स्थापित करने के लिए कुछ नियम निर्धारित करने का प्रयत्न किया है।

डॉ० भीलानाथ तिवारी इन दोनों के परस्पर विषय को उद्धारित करते हुए कहते हैं—मुहावरा वाक्य में विल्कुल मिल जाता है, किन्तु लोकोवित की अलग सत्ता रहती है। इसका कारण यह है कि अर्थ की दृष्टि से लोकोवित अपने आप में—सूत्र रूप में ही सही—पूर्ण होती है, किन्तु मुहावरे में यह बात नहीं होती। उसे अन्य शब्दों की भी आवश्यकता होती है। साथ ही मुहावरा हमारा अभिव्यक्ति का अग होता है, किन्तु लोकोवित उस रूप में अग नहीं होती। उससे प्राय किसी बात का समर्थन या स्थापन आदि ही किया जाता है। इन अन्तरों के बावजूद कभी कभी दोनों एक दूसरे के पर्याप्त निष्ठ होते हैं और कभी-कभी तो लोकोवितयों का क्रिया आदि जोड़कर मुहावरे के रूप में प्रयोग होता है। जैसे ‘तो दिन चले बढ़ाई कोस’ करना या ‘आँखें कहों और दिल कहों और होना’ आदि।¹⁸⁸

अलकार एवं शब्दशब्दित के आधार पर श्री अयोध्यासिंह उपाध्याय ने दोनों में पार्थक्य इस प्रवार स्थापित किया है—‘सम्पूर्ण कहावतों का अन्तर्भाव लोकोवित अलकार में हा जाता है। किन्तु मुहावरों के पक्ष में यह नियम सागू नहीं होता। मुहावरे लक्षण और व्यजना पर आधित हैं, अतएव अलकार मुहावरों में आ जाते हैं। शब्दालकार भी मुहावरों में मिलते हैं किन्तु कहावतों में उनका आधिक्य पाया जाता है। स्वभावोवित, समित तथा गृहोवित आदि अलकारों पर प्राचूर्य देखने को मिलता है।¹⁸⁹ अलकारों की प्रचूरता लोकोवितयों में अन्तर्गत प्राप्त होती है, अत लोकोवितमात्र यों ‘लोकोवित अलकार’ में अन्तर्भूत करना न्यायोचित नहीं है। लोकोवितयों एवं मुहावरों में अलकार-

72 . लोकोक्ति और मुहावरा : स्वरूप विश्लेषण

प्राचुर्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। उपाध्याय जो ने मुहावरों को लक्षणा व्यज्ञना पर आधित माना है, किन्तु मुहावरों की भाति लोकोक्तियों में भी उभय शब्दशब्दिनयों का कार्य-व्यापार अमन्द गति से चलता है।

थी कन्हैयालाल सहल इस सम्बन्ध में थपने मत की स्थापना करते हुए लिखते हैं— कहावत और मुहावरे में एक अन्य प्रमुख अन्तर है। कहावतों को 'अनुभव की दुहिता' कहा गया और अनुभव की समानता दुनिया के प्रत्येक देश में देखने को मिलती। यही कारण है कि एक देश की अनेक कहावतें दूसरे देश की कहावतों से बहुत कुछ मिल जाती हैं। कभी-कभी तो बहुत सी कहावतें परस्पर अनूदित सी जान पड़ती हैं, किन्तु मुहावरों के सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता।¹⁹⁰

उपर्युक्त मन्तव्यों का सार इस प्रकार है—

- (क) लोकोक्ति पूर्ण वाक्य का अश न बनकर स्वतन्त्र वाक्य के रूप में प्रयुक्त होती है, जबकि मुहावरा वाक्याशमान होता है तथा स्वतन्त्र रूप से प्रयुक्त न होकर वह परतन्त्र होता है।
- (ख) लोकोक्ति का स्वरूप प्रयोग-काल में प्राग अपरिवर्तनीय होता है, जबकि मुहावरे के लिए ऐसा कुछ नहीं है।
- (ग) लोकोक्ति का प्रयोग खण्डन-मण्डन-शिक्षण आदि के रूप में होता है, जबकि मुहावरे के प्रयोग का प्रयोजन मान वाक्य के अर्थ में चमत्कार उत्पन्न कर उसे सार्थकता प्रदान करता है। मुहावरे का स्वतन्त्र प्रयोजन लोकोक्ति की भाति नहीं होता।
- (घ) अनेक लोकोक्तियों के अन्तर्गत मुहावरे समाविष्ट होते हैं, जबकि किसी मुहावरे में लोकोक्तियों का अन्तर्भाव नहीं होता।
- (ङ) कुछ लोकोक्तिया और मुहावरे उभयनिष्ठ होते हैं, थत उनको परस्पर पूर्यक करना दुष्कर हो जाता है।
- (च) लोकोक्ति में किसी पूर्ण विचार, सत्य अथवा मानवीय अनुभव की सशक्त अभिव्यक्ति होती है, जबकि मुहावरे में किसी भाव, दशा, क्रिया, चेष्टा आदि का ही प्रदर्शन अभीष्ट होता है।
- (छ) मुहावरे का लाक्षणिक एवं ध्वन्यात्मक अर्थ प्रहृण किया जाना आवश्यक होता है, जबकि उपदेशप्रधान, नीति-शिक्षा आदि से सम्बन्धित अभिधाप्रधान लोकोक्ति के लिए ऐसा बोई प्रतिक्रिया नहीं है।
- (ज) कुछ विद्वानों ने लोकोक्ति का अन्तर्भाव 'लोकोक्ति अलकार' के अन्तर्गत किया है, जबकि मुहावरे को किसी अलकार विशेष में परिवर्द्ध नहीं किया गया, यद्यपि लोकोक्तियों एवं मुहावरों में अनेक शब्दालकारों एवं अर्थालकारों के सुष्ठु प्रयोग प्राप्त होते हैं।
- (झ) लोकोक्तियों अनुभव की दुहिता होने के कारण यत्क्वित् भेद से विभिन्न देशों की विभिन्न भाषाओं में प्रचलित हैं, थत इनका एवं भाषा से द्रवरी

भाषा मे सुगमतापूर्वक अनुवाद किया जा सकता है, परन्तु मुहावरों के सम्बन्ध मे यह नहीं कहा जा सकता।

(ब) इन दोनों मे एक प्रमुख अन्तर यह भी है कि 'मुहावरा' प्राय 'ना' प्रत्ययान्त होता है और लोकोक्ति मे किया का पूर्ण स्वरूप विद्यमान रहता है।

लोकोक्ति एव मुहावरे के विवेच्य वैषम्य को स्पष्टता एव स्थिरता प्रदान करने सिए लोकोक्ति एव मुहावरे से सम्बन्धित विषय पर शोध-कार्य करने वाले अन्य शोध-तर्जों के तत्सम्बन्धी प्रतिपादन का अवलोकन आवश्यक है। प्राय, इन समस्त शोध-तर्जों ने विभिन्न नियमों के आधार पर इनमे परस्पर भेद स्थापित करने का प्रयत्न पाया है। इन्होंने रूपात्मकता, अर्थप्रकृता, उपयोगिता, प्रयोगात्मकता तथा शैली आदि दृष्टि से लोकोक्ति एव मुहावरे के परस्पर भेद को स्पष्ट किया है। डॉ० मुकतेश्वर रारी 'बेसुध' ने 'भोजपुरी लोकोक्तिया तथा मुहावरे' नामक शोध-प्रबन्ध मे तीन नियमों प्राधार पर, डॉ० लक्ष्मीनारायण शर्मा ने 'सूर साहित्य मे प्रयुक्त लोकोक्तियों का अन्यन' मे चार, डॉ० छोटे नाल द्विवेदी ने 'हिन्दी (अवधी) लोकोक्तियों का सास्कृतिक अन्यन' मे पाँच, डॉ० रमेश चन्द्र ने 'कथ्य व्रजभाषा मे प्रचलित कहावती और मुहावरों प्रध्ययन' मे दस तथा डॉ० सरोज अग्रवाल ने 'भक्तिकालीन व्रज साहित्य मे मुहावरे' क अपने शोध-प्रबन्ध मे घोड़शा नियमों के आधार पर यह भेद स्थापित किया है। सरोज अग्रवाल के ये आधार हैं—रूप, सरचना, प्रत्यय, शब्द-योजना, समावेश रूप; अर्थ, उद्देश्य-विधेय, शब्द-व्यक्ति, शैली, अलकार, निर्माण, क्षेत्र (देश), अनुवाद, उपयोग तथा नीति तत्त्व। इनमे कुछ आधार ऐसे हैं, जिनका कुछ प्रमुख आधारों मे भर्ता हो सकता है, यथा—प्रथम आधार रूपात्मकता अथवा सरचना को लिया जा सकता है। अनेक प्रारम्भिक आधार इसमे अन्तर्भूत हो सकते हैं, अत कुछ प्रमुख आधारों रा इनका वैषम्य प्रदर्शित सुगमतापूर्वक सम्भव है।

रूपात्मकता अथवा शान्तिक कलेवर की दृष्टि से लोकोक्ति एव मुहावरे मे मूल-द मह है कि कहावतें मुहावरे की तुलना मे बृहत्तर होती हैं डॉ० ओमप्रकाश के शद्दो लोकित और मुहावरे मे सबसे बढ़ा अन्तर तो उनके शान्तिक कलेवर का है। अन्नेजी हृदी मे प्राय सर्वत्र लोकोक्ति को वाक्य और मुहावरा के खण्ड वाक्य अथवा पद पाया है।¹⁹¹ उदाहरणार्थ 'अधिक मिठाई मा कीरा परत है' लोकोक्ति मे वाक्य की स्पष्ट है, किन्तु 'नो दुई ग्यारह होव' या 'भार खाव' मुहावरो मे केवल वाक्य ही हो प्रयोग किया गया है। इससे प्रकट है कि मुहावरा एक वाक्यादा होता है लोकोक्ति एक सम्पूर्ण स्वतन्त्र या सूत्र वाक्य होती है। मुहावरे की सरचना मे कम दो या अधिक पदों का होना अनिवार्य है। अधिकाशत मुहावरे सज्जा, सबनाम, 1, किया विशेषण, कृदल्त, अव्यय आदि पदों के साथ क्रियापद के योग से बनते हैं, हावतों की सरचना मे अनेक पद होते हैं। वे समास शैली मे पूर्ण वाक्य हैं। अनेक तो मे एक से अधिक वाक्य भी पाए जाते हैं।¹⁹²

लोकोक्ति एवं मुहावरे की रूपात्मकता के परिवर्तन के विषय में हरिहोष जी का वचन है कि कहावतों का रूप निश्चित है और उनके शब्द प्रायं निश्चित रूप में ही बोले जाते हैं।¹⁹³ इधर डॉ० सरोज अग्रवाल लिखती हैं कि मुहावरों की शब्द योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अवाक्षीय है। शब्द न्यूनाधिक्य या शब्द परिवर्तन से उनका स्वरूप नष्ट हो जाता है। कहावतों के शब्दों के हेरफेर से उनका रूप नष्ट नहीं होता।¹⁹⁴ इसके विपरीत डॉ० रमेश चन्द्र का मत है कि कहावत का वाक्य प्रायं ज्यों का त्यों रहता है, अधिक से अधिक कभी-कभी कोई भले ही आगे-पीछे रख दिया जाय या कम-बढ़ती कर दिया जाय, किन्तु सदैव अपने उसी रूप में बोली जाती है, किन्तु मुहावरों में ऐसी बात नहीं पाई जाती। वे बाल, पुरुष, वचन और व्याकरण के अपेक्षित नियमों के साथ सायं बदलते रहते हैं, यथा—घरे में पासरी गाड़ियों—के स्थान पर—घूरे में पासरो गड़ियों, घूरे में पासरि गड़ि दिगे, घूरे में पासरो गाड़ि दूगो। आदि कहावतों में इस प्रकार का रूप परिवर्तन य रने से उनकी अर्थ बोधगम्यता नष्ट हो जायगी। इसलिए कहावतों में ह्य परिवर्तन नहीं होता।¹⁹⁵ परस्पर विगेधी मन्तव्यों को पढ़कर सन्देह उत्पन्न होता है कि इनमें ऐसी दृष्टि से परिवर्तन होता है अथवा नहीं? बस्तुत उपर्युक्त कथन में मुहावरों का जो परिवर्तन बताया गया है उससे मुहावरे के मूल स्वरूप को दाति नहीं पहुंचती, मात्र त्रिया ही अशत् परिवर्तन हुई है। जैसे एवं मुहावरा है—‘पेट में चूहे दोड़ना’। इस मुहावरे को वाक्य में वर्तमानकालिक में रूप में प्रयोग करते हुए इस प्रकार भी प्रयोग में भा सकते हैं कि ‘पेट में चूहे दोड़ रहे हैं’, बिन्तु इससे मूल स्वरूप नष्ट नहीं होगा, बिन्तु यदि दोड़ने की त्रिया के स्थान पर घनने या भागने की त्रिया का भी प्रयोग करेंगे, तो मुहावरा नष्ट हो जाएगा। जहाँ तब लोकोक्तियों के स्वरूप-परिवर्तन का प्रश्न है निस्मैहे मुग्रमिद्ध लोकोक्तियों का प्रयोग करते हुए मामान्यत, उसका यथायत् ही प्रयोग करते हैं यथा—‘अहन दे अपे गाठ के पूरे’, ‘अप जल गगरी छबकत जाय’, ‘मिया की दोड़ महिल तह’, ‘लाए चना रहे यना’ आदि लोकोक्तियों का प्रयोग करते हुए यकता दाढ़ा अपरियन्त्रित रूप में ही प्रयोग करता है, बिन्तु जब योई गाहित्यकार अपने साहित्य में इन्हें स्थान देना है तो उन्नद-रचना आदि की दृष्टि ग म्यूनाधिक्य परिवर्तन हो जाता है, बिन्तु भोजीपा का दांपा यथाया मूल ह्य नष्ट न हो कर ये भी हो बना रहता है। उदादृसार्थ एवं मोरोक्ति है—‘विष दा बूझ भी तगाकर महीं काटा जाता’, जिसका अभिप्राय है—‘गाढ़ा-गाढ़ा में बाद दुष्ट में दुष्ट मुख्य को भी हानि नहीं पहुंचाई जानी। दुमगों ने इस दा द्रव्ये इस प्रकार दिया है—

पागि के बूपासु घ्याय-खान को न मारिए,

धोर लाइए न माय। विष हू दो कर लाइए।¹⁹⁶

इसी तरह दा गूर में बदले दाढ़ों में इस प्रकार ग घटन हिया है—

‘योते ही दिया तागाढ़े लाटन माहि बहोरी।’¹⁹⁷

‘दृष्ट है इस द्वादित्त दरिवर्ता हाँर भी मूल भाव में योई लालर नहीं आया है।

‘दौरदा चाढ़ के दाढ़ों में मुहावरों में दियी प्रकार का परिवर्तन नहीं हिया है।

सकता। मुहावरों के पदों और उसकी योजना में किया हुआ किसी प्रकार का परिवर्तन मुहावरों के अभिप्रेत वर्थं को नष्ट कर देता है। जैसे 'फाठ की उल्लू', 'दिना धीऊ के फुलका', 'गोबर गणेश हैबी' के स्थान पर 'काठ उल्लू', 'धीऊ के फुलका चुपरियी', 'गोबर यो गणेश हैबी' प्रयोग करें तो शब्दों न्यूनाधिक्य हो जाएगा। इससे मुहावरों की मुहावरेदानी और वर्थं-सामर्थ्य नष्ट हो जाएगा। किन्तु कहावतों में पद-क्रम-विषयों, पद-परिवर्तन, पद-क्रम-भग एवं शब्दों का न्यूनाधिक्य हो सकता है। जैसे, 'नौ दिन घले अडाई कोस' यहाँ 'अडाई कोस' क्रिया विशेषण 'चले' क्रिया के बाद प्रयुक्त हुआ है। 'नाच कूदे बादरा टूक जोगना खाई' इस कहावत में 'बादरा' कर्त्ता नाचे कूदे त्रिया के बाद और 'टूक' कर्म 'जोगना' कर्त्ता के पूर्व प्रयुक्त हुआ है। 'होंग की कोथरी में बासु ई बासु' इस कहावत में 'होति ए' क्रिया का लोप है।¹⁹⁸

लोकोक्ति और मुहावरे में एक प्रमुख अन्तर यह है कि 'मुहावरा' प्राय 'ना' प्रत्ययान्त होता है और लोकोक्ति में क्रिया का पूर्ण स्वरूप विद्यमान होता है। डॉ० छोटे लाल द्वियेदी लिखते हैं—हिन्दी में प्राय नान्त पद वाले वाक्पत्र-खण्ड मुहावरे होते हैं, पर्या—'आख आना, आख उठाना, यात बनाना' आदि। इस आधार पर भी मुहावरों और लोकोक्तियों वा अन्तर स्पष्ट है, यद्यपि दो-चार नान्त पद वाली लोकोक्तिया भी मिल जाती हैं, जैसे 'कम खाना, गमखाना'।¹⁹⁹ अन्वेषण से 'ना' प्रत्ययान्त अन्य लोकोक्तिया भी उपलब्ध हो सकती हैं, जैसे—

(क) ऊधो का न लेना न माधो का देना।

(ख) कम खा लेणा पण कम कायदे न रखना।²⁰⁰

लोकोक्तियों में उद्देश्य और विधेय वा पूर्ण विधान होता है, इसलिए वर्थं समझने के लिए प्रसग आदि किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं होती, किन्तु मुहावरों में उद्देश्य-विधेय का विधान स्पष्ट नहीं होता, यही कारण है कि इनका वर्थं समझने के लिए परिस्थिति, प्रसग और प्रयोजन को समझना नितान्त आवश्यक है।²⁰¹ किसी भी वाक्य में वर्थं को स्पष्ट बरने के लिए उद्देश्य एवं विधेय का होना आवश्यक है। परिवेश के आधार पर कहावत एक वाक्य के रूप में अपने वर्थं गोरव को प्रस्फुटित करती है जबकि मुहावरा वाक्य में प्रयुक्त होकर अपनी वर्थं गरिमा वो निर्भरित करता है।²⁰² लोकोक्तियों में वर्थं का अध्याहार भी विद्यमान होता है। इस विषय में डॉ० सहल लिखते हैं—स्वरूपाक्षरता श्रेष्ठ कहावत का गुण है। इसलिए जिन कहावतों में न्यूनतम शब्दों के प्रयोग के द्वारा अधिवर्तम वर्थं की अभिव्यक्ति होती है, वे कहावतें श्रेष्ठ समझी जाती हैं। अनेक कहावतें ऐसी होती हैं जिनमें वर्थं का अध्याहार करना पड़ता है। यह वर्थं का अध्याहार राजस्थानी लोकोक्ति में अनेक रूपों में उपलब्ध होता है। अध्याहार के विविध रूप—

(क) उद्देश्य (Subject) का अध्याहार

(ख) 'दस्यो घाटी, हृयो माटी'

वर्थात् जब भोजन कठ की पाटी को पार कर गया, तो मिट्टी हो गया,

वयोकि स्वाद तो जिव्हा में ही है। इसमें भोजन का अध्याहार है।

(प) विधेय (Predicate) का अध्याहार

(अ) 'राजा को दान, प्रजा को स्नान'।

अर्थात् राजा दान करके और प्रजा स्नान करके ही पुण्य साम करती है, वयोकि दान देने की शक्ति सामान्य प्रजा जन में नहीं होती।²⁰³

यहा लोकोक्ति के बाद मे 'पुण्यार्जित करती है' का अनुवर्तन अथवा अध्याहार करने से इसका अर्थ स्पष्ट होता है। इससे स्पष्ट है कि लोकोक्तियों में कहीं उद्देश्य का और कहीं विधेय का अध्याहार रहता है, जबकि मुहावरे मे उद्देश्य-विधान के स्पष्टतः अभाव के कारण उसके प्रसंगादि का ज्ञान आवश्यक है। मुहावरे मे उद्देश्य (कर्ता) का तो प्रायः अभाव ही रहता है, किन्तु कहीं-कहीं कर्ता के रूप मे प्रयुक्त होने पर भी उसके प्रयोग के लिए तदनुकूल वाक्य-रचना आदि अपेक्षित होती है, यथा—

(क) तुम अघे को यट्टि हमारी। बनो न हा गान्धारी। (मैथिलीशारण गुप्त)

(ख) अघों में काना राजा।²⁰⁴

यहा प्रथम मुहावरे 'अघे को यट्टि' के प्रयोग के लिए 'अंघे' शब्द से पूर्व उद्देश्य 'तुम' शब्द का तथा बाद मे 'न बनो' विवेय का अनुवर्तन आवश्यक है। इसी प्रकार द्वितीय सज्जार्थक मुहावरे 'अघों में काना राजा' के साथ वाक्य-रचना का प्रयोग नितांत आवश्यक है, तभी वह भाव-भगिमा लाने मे समर्थ हो सकता है।

अर्थ प्रकाशन की दृष्टि से कहावतें प्रायः किसी तथ्य या ज्ञान के पौराण, शिष्यण, नीति, आलोचना तथा सूचन को स्पष्ट करती हैं, परन्तु मुहावरो का प्रयोग वाक्य के अर्थ मे चमत्कार उत्पन्न करके उसे साधारण वाक्य से अधिक समृद्ध, उत्कृष्ट, प्रभावशाली, मर्मस्पर्शी एवं ओजपूर्ण बनाने के लिए होता है, जैसे—आजु तो राधा चाद को टकु लगि रई ऐ।²⁰⁵ डॉ० छोटे लाल द्विवेदी भी इस मत का समर्थन करते हुए लिखते हैं—उपयोगिता की दृष्टि से मुहावरे का प्रयोग अर्थ मे चमत्कार उत्पन्न करके उसे साधारण वाक्य से अधिक रोचक, सुन्दर एवं प्रभावपूर्ण बना देता है, किन्तु लोकोक्ति का प्रयोग किसी बात के समर्थन, पुष्टीकरण, आलोचना, विरोध, खण्डन जैसे उद्देश्यो के लिए होता है। 'राम नाम जपना, पराया माल अपना' लोकोक्ति छोगियो के आचरण की आलोचना ही करती है परन्तु 'जले पै नमक छिड़कना' मुहावरा वाक्य मे जमकर उसे रोचक और प्रभावपूर्ण बना देता है।²⁰⁶

डॉ० सरोज अग्रवाल ने लोकोक्ति एवं मुहावरे मे भेद-स्थापनार्थ अपने विवेचन मे दो अन्य स्थापनाए की हैं, वे हैं—

(क) मुहावरों का प्रायः निर्माण आवेदापूर्ण मन स्थिति मे होता है, वयोकि उन का सम्बन्ध मानव-प्रकृति से है; जबकि कहावतों का निर्माण जन मानस के सामान्य अनुभवो से होता है।

(ख) अधिकारातः कहावतो के मूल मे कोई न कोई कथा छिपी रहती है, किन्तु मुहावरो के मूल मे यह अनिवार्य नहीं, यद्यपि कुछ मुहावरे प्राचीन कथाओं के आधार

पर बने हैं।²⁰⁷ इनमें प्रथम वा यर्णव अप्रत्यक्षता पूर्व विवेचन में हो गया है कि प्रयोजन की दृष्टि से मुहावरे अर्थ-चमत्कार उत्पन्न बरते हैं, यत् इनका प्रयोग सामान्य मन-स्थिति से हट कर होता है, इधर लोकोक्ति रामान्य अनुभवों पर आधारित होने के कारण समर्थन-सूचन आदि उद्देश्यों के सिए प्रयुक्ति होती है। दूर्दृष्टि अद्वाल की यह स्थापना कि वहावतों में मूल में प्रथा छिपी रहती है, भी महत्वपूर्ण है। मुजराती की एक लोकोक्ति 'अप्रे-अप्रे विप्र जटातो ते जोगी, अन्ने यज्ञे नो जे कन्द ते आरोगे आनन्द' के पीछे रोचक बाधा है—एक गाव में एक ब्राह्मण और एक जोगी भीष मागते-मागते एक घर के सामने आए। घरवाली ने दोनों नो मिलाकर एक जड़मूल के साथ पूरा ईत दा ढांडा दिया और वहाँ कि आपस में बाट लो। ईत लेकर दोनों चल दिए, पर बाटते समय दोनों में झगड़ा हुआ। ऊपर वा पन्ने वाला भाग और जड़मूल विसको मिलना चाहिए और यीच वाला रसदार भाग किसको? वोई निर्णय नहीं हो पाता था। इतने में वहाँ से एक बनिया जा रहा था। उसको दोनों ने बुलाया और उसको पच बनाकर झगड़ा मुलझाने को बहाँ। बनिये ने इटु दण्ड हाथ में लिया और वहाँ—“देखिए, शास्त्र में लिखा है कि अप्रे-अप्रे विप्र होता है। तब यह ईस का चोटी वाला भाग ब्राह्मण होगा तो ब्राह्मण को देता हूँ। जोगी के जटाए होती हैं, तो नीचे वा मूलियो वाला भाग जटिल समझना चाहिए। वह में जटा वाले जोगी को देता हूँ। अब जो यीच वाला कन्दयुक्त भाग है वह मेरे पल्ले का गया, वह मैं से जाता हूँ।²⁰⁸ इसी प्रकार हमारी कामनाएँ हमेशा पूरी नहीं होती। विषयसे सम्बन्धित अप्रेजी की कहावत—There's many a slip twixt the cup and the lip के पीछे एक कथा है—अरब देश में पुराने जमाने में गुलामी की प्रथा थी। एक मालिक अपने गुलामों के साथ बड़ी निर्दयता का व्यवहार करता था। उसने उनको अपने अगूरी वाग में काम में लगा दिया। वह जुल्म-जबरदस्ती तथा मारपीट से उनसे काम करवा लेता था। पीड़ितों के मुह से शापवाणी निकली—“इतनी जोरों जबरदस्ती से तुम यह अगूर वाग हमसे बनवा ले रहे हो, लेकिन इन अगूरों से बनी शराब तुम्हारे मुह में नहीं पड़ेगी।” यह सुनकर मालिक बौखला उठा। आगे चल कर जब पहली भट्ठी की शराब तैयार हुई तब उसने उसी गुलाम से पहला प्याला भरवाया और व्यथा से कहा, ‘देखो बच्चा, अब तो मैं शराब पीने वाला हूँ। तेरा शाप विफल होगा। “तिस पर गुलाम ने कहा, ‘साहब, प्याला होठों तक जाने में काफी अड़चनें हैं।’ इतने में वहाँ ऐसी खबर आ थमकी कि उस बगीचे में जगली सूजर धूस गए हैं। बगीचा पूरा चोपट न हो इसलिए मालिक ने भाला उठाया और वह फूर्ती से बगीचे की ओर चल पड़ा। पहला प्याला वैसा ही भरा पड़ा रहा। सूजर से लडते-लडते वह मारा गया और गुलाम की शापवाणी सही साबित हुई।²⁰⁹

लोकोक्ति एवं मुहावरे में पार्थक्य का एक प्रमुख आधार यह भी है कि अनुभव की दुहिता होने के कारण लोकोक्ति की अनुभव जन्म समानता सावंदेशिक एवं सावंभाषिक होती है, जबकि एक देश या भाषा के मुहावरे दूसरे देश या भाषा में नहीं मिलते। प्रत्येक देश, जाति, समाज एवं भाषा के मुहावरे भिन्न होते हैं तथा वे अपने-अपने क्षेत्र की

सूचना देते हैं, इसलिए विभिन्न भाषाओं के मुहावरों में पर्याप्त नेद पाया जाता है। डा० सहल का यह कथन सर्वथा उपयुक्त प्रतीत होता है—अनुभव की समानता के कारण एक भाषा की कहावतों का दूसरी भाषा में अपेक्षातया सरलता से अनुवाद हो सकता है, किन्तु एक भाषा के मुहावरों का दूसरी भाषा में अनुवाद करना टेढ़ी खीर है।²¹⁰ इसकी पुष्टि के लिए बुछ लोकोक्तियां प्रस्तुत हैं—चचल स्त्री से सम्बन्धित लोकोक्तियां देखिए—चचल स्त्री की चाचल्यतृणं अस्थिर मनोवृति के परिणामस्वरूप उस पर अविश्वास प्रकट करते हुए उसके चरित्र के प्रति भी सन्देह किया गया है। शेक्सपीयर एक नाटक में विशय सदर्म में लिखते हैं—चचलता। तेरा नाम स्त्री है—Frailty! thy name is women! एक पजाबी की उक्ति है—“रन्ना चचल हारीआ, चचल कम्म करे। दिन डरन परछविधा, राती नदी तरे।” यहा ‘रन्ना’ सम्बोधन दुश्चरित्र स्त्री के लिए प्रयुक्त हुआ है। बाड़ा लोकोक्ति भी चेतावनी देती है—“नदी, मारी, शृगारारी, इद तिने ना विश्वास करो।” अर्थात् नदी, बंल और स्त्री के चाचल्य से विश्वास करना बुद्धिमत्ता नहीं है। एक क०नड की कहावत है कि चचल स्त्री का पाव अपने विस्तर पर नहीं ठहरता —‘हादर गितिग कानु हासिगेप मेले निलंडु।’ स्त्री की अविश्वसनीयता पर विदेशी भाषाओं की कहावतों में भी व्याप्त कहा गया है। अप्रेजी कहावत देखिए—‘A whistling woman and crowing hen, neither fit for God, nor for men’ यह लोकोक्तिकार के अतिवादी दृष्टिकोण का ही परिणाम है। एक अन्य कहावत म स्त्री को हवा और भाग्य की भाँति चचल बताकर परिवर्तनशील कहा है—‘Women, wind and fortune are ever changing’ जर्मन की एक कहावत के अनुसार स्त्रियों का स्थिरता के अनुसार अप्रेल मास की हवा की भाँति चचल एवं घोसा देने वाली होती है—‘Weiber sind veränderlich wie April wether’ पुरुषाली भी स्त्रियों का विश्वास करना नहीं चाहत—‘Da mal mother le guardaeda boa nao fies nada’ अर्थात् बुरी स्त्री से बचकर रह और अच्छी ओरत का विश्वास न करें। फ्रेनिश की एक उक्ति पा भाव भी यहो है। स्पैनिश की एक लोकोक्ति में अनुसार स्त्री और सरदूजे को ऊपर से पहचानना बढ़िन है—‘El melon la muger malos son de concer’ डचो न स्त्रियों पर सस्त निगरानी रखने की आदर्शता पर बल दिया है—‘Wepenen, vrouwen, en boeken behoeven dagelijc sche be handeling’ अर्थात् हृषि-पारो, स्त्रियों तथा पुस्तकों पर प्रतिदिन नजर रखनी चाहिए। एक भोजपुरी उक्ति है—‘अरेसना गहत मंसान किरे, सोग रहिन रि हेराप गेसे।’ अर्थात् योई स्त्री बाहर दौख रखने गई, तो सोगा ने सोबा कि भाग गई। स्त्री के विषय में इतनी आशका, ऐसा सदह द्वा साझेकिया भी है कि गहमा थोना या पाठ्य आदर्शयंचकित हो जाता है। यह स्त्री स्त्री न रखने बढ़ायुद्धों बन गई है—भाग टमारी इत तुम्हारी, देसो सोगो क्षेरांकी (हेराकेरो)।’ पोंग की एक सोशीकित म भी यही आशय प्रकट किया गया है—‘Varium et mutabile est famina’ एक और व्याप्त भाषण दिलाए—‘तिरिया अस्ति न जाने दोष, जातम मारने जाती होइ।’ एक्स भी भी उक्ति है—‘स्त्रियः वर्त्तिर्व-

पुरपत्ति भाग्य, देखो न जानाति कुतोः मनुष्यः।' एक इतालियन लोकोक्ति देखिए—
 'Donna si lagaa si doule, donna, S'ammala quando la vuole.' अर्थात् स्त्री इतनी दोसी होती है कि जब चाहती है, उसे दुख होता है, उसे दर्द होता है और वह बीमार भी हो जाती है, चाहे जिस समय वह अपना रंग बदल सकती है। अपना काम निकालने के लिए वह बहुरूपिया बनकर पुरुषों को आसानी से ठग लेती है।²¹¹ इहना अनुचित न होगा स्त्री मात्र के विषय में उनकी यह धारणा अनिवार्यी और एकाग्री दृष्टि की परिचायक है, मध्ययुगीन कल्पना से समृद्ध है। उपर्युक्त वर्णन के द्वारा यहा मात्र यह बताना अभीष्ट था कि अनुभव की समानता होने के कारण एक ही विषय से सवधित लोकोक्तिया विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध हो जाती है, किन्तु मुहावरों पर यह नियम लागू नहीं होता।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वहा जा सकता है कि लोकोक्ति और मुहावरे में पर्याप्त साम्य होने पर भी अत्यधिक वैयाक्ति है और दोनों में मूलता, स्पष्ट अन्तर है। मात्र कुछ व्यवादों को, जो उभयनिष्ठ उकितयों के अन्तर्गत हैं, छोड़ दिया जाए तो लोकोक्ति एवं मुहावरे स्पष्ट ही भिन्न-भिन्न रूप में दृष्टिगत होते हैं। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उभयनिष्ठ उकितयों का लोकोक्ति एवं मुहावरे—दोनों रूपों में प्रयोग यत्किञ्चित् परिवर्तन के साथ ही किया जा सकता है, न कि अपने मूल रूप में। उदाहरणार्थं कुछ मुहावरेदार प्रयोग देखिए—1. 'अल छोड़कर आग चिचोरना', 2. 'एक पंथ दो काज होना', 3. 'एक प्रान दो शरीर होना', 4. 'कुत्ते की पूछ का सीधी न होना' आदि,²¹² इनका लोकोक्ति के रूप में प्रयोग दृष्टव्य है—

- (1) (क) 'सूरदास प्रभु ऊँझ छाड़िकै चतुर चचोरत आग'
- (ख) 'सूरदास प्रभु आक चचोरत, छाड़ि ऊँझ कौ मूढ़।'²¹³
- (2) (क) पीपल पूजन में चली, निगम बोध के घाट।

पीपल पूजत पी मिले, एक पंथ दो काज;²¹⁴

- (ख) ज्ञान बुझाइ खबर दे आवहु, एक पंथ हूँ दो काज;²¹⁵
- (3) (क) 'एक प्रान चपु दोइ।' (ख) 'एक प्रान हूँ देह' आदि;²¹⁶
- (4) (क) 'स्वान पूँछ कोऊ कोटिक लागे, सूखी कहूँ न करो।'²¹⁷
- (ख) 'सूधे होत न स्वान पूँछ ज्यों, पचि-पचि बद मरे।'²¹⁸

इससे स्पष्ट है कि इस प्रकार को उभयनिष्ठ उकितयों का लोकोक्तियों एवं मुहावरों के रूप में किवित् परिवर्तन के साथ ही प्रयोग होता है। मुहावरे जहा अपूर्ण वाक्य के रूप में प्रयुक्त हुए हैं, वहा लोकोक्तियों का प्रयोग स्वतन्त्र एवं पूर्ण वाक्य के रूप में ही हुआ है।

निष्कर्षः स्वपत्ति, अर्थ-विधान, प्रयोजन और प्रयोग आदि निकपों के आधार पर सिद्ध करने के अनन्तर कहा जा सकता है कि लोकोक्ति एवं मुहावरे में इतना वैयाक्ति है कि वे एकरूप नहीं हो सकते। सुविधा की दृष्टि से इन्हें तीन बगौं में वर्गीकृत किया जा सकता है—

- (व) विशुद्ध लोकोक्ति—जो लोकोक्ति ये निकप पर खरी उत्तरती है।
 (ख) विशुद्ध मुहावरे—जो मुहावरे ये निकप पर खरी उत्तरते हैं।
 (ग) उभयनिष्ठ उक्तिया—जो अन्यथा ये आधार पर लोकोक्ति भी हो सकती हैं और मुहावरा भी।

लोकोक्ति एव मुहावरे का क्षेत्र

लोकोक्तियों एव मुहावरों का प्रयोग दो क्षेत्रों में स्वीकृत है—(क) जनसाधारण, (ख) साहित्य। मानव जीवन की कोई ऐसी गतिविधि नहीं, जिसे इनके क्षेत्र से बाहर कहा जा सके। इनम मानव जीवन के सुख दुःख, हृष्ट-विपाद, ईर्ष्या नोभ, रुचि-अरुचि, प्रेम-विद्वोह, रीति-रिवाज, मनन-चिन्तन, आचार-विचार, आधिक, धार्मिक राजनीतिक, सामाजिक, सास्कृतिक जीवन—सभी की अभिव्यजना होती है। यही कारण है कि जहा इन्हें एक ओर लोक रुद्याति प्राप्त होती है, वहा साहित्य में भी पर्याप्त प्रतिष्ठा मिलती है। डॉ० रवीन्द्र भ्रमर ये अनुसार इनके व्यवहार से साहित्य को दुहरा लाभ होता है। एक तो उसमे लोकभाषा की मिठास आ जाती है, दूसरे लोकाभिव्यक्ति का सीधा पन।²¹⁹ डॉ० गया सिंह के शब्दों में लोक प्रचलित उक्तियो—लोकोक्तियो, मुहावरो आदि के प्रयोग से अभिजात साहित्य की लोक तात्त्विक विशेषता में वृद्धि होती है, साथ ही बोलचाल की अभिव्यक्ति विधि से सयोग होने से उसकी अभिव्यजना को लोकप्रियता सहजता और सम्प्रेषणीयता प्राप्त होती है।

लोकोक्तियों एव मुहावरों का क्षेत्र अतिविस्तृत है। लोकरूपात् लोकोक्तियों एव मुहावरो को जहा लोक-साहित्य की विधा-विशेष के रूप में प्रतिष्ठित स्थान मिला है, वहा शिष्ट अथवा अभिजातसाहित्य में भी इन्हे गोरखपूर्ण पद से अलगृहत किया गया है, विन्तु अभिजात-साहित्य में अभिनन्दित होकर भी लोकोक्तिया एव मुहावरे मूलत लोक साहित्य के ही अग हैं। इनके क्षेत्र का सम्पर्कान करने के लिए लोक-साहित्य का ज्ञान आवश्यक है।

‘लोक साहित्य’, ‘लोक वार्ता’ (Folk lore) का अग है। ‘लोकवार्ता’ शब्द अग्रेजी के ‘फोक लोर’ पर्यायवाची पद के रूप में प्रचलित है। हिन्दी में इसके प्रयोग का श्रेय श्रीकृष्ण गुप्त एव डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल को है। डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल ने हिन्दी में वैष्णवों के वार्ता-सम्बन्धी ग्रन्थों के अनुरूप फोक लोर का पर्याय ‘दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता’, ‘चोरासी वैष्णव की वार्ता’ आदि के आधार पर ‘लोक-वार्ता’ स्वीकार किया है। डॉ० सत्येन्द्र भी इस विचार से अपनी सहमति प्रकट करते हैं।²²⁰

लोक वार्ता विषयक वाटकिन के विचार से द्रष्टव्य हैं—लोकवार्ता बहुत दूर की या कोई बहुत प्राचीन वस्तु नहीं है, बल्कि वह हम लोगों के बीच का ही एक गति-शील एव जीवित सत्य है। कारण, यहा अतीत वर्तमान से और अशिक्षित समाज, उस समाज से बुझ बहुना चाहता है, जो अपने मौलिक मौखिक एव लोकान्त्रिक स्वरूप वे

मूल और प्रारम्भिक रूपों के मान से अपनी कलाओं की जड़ तक पहुंचता जाहता है और जिससे उसकी कलाओं के ऐतिहासिक विकास पर प्रकाश पड़ता है।²²¹

लोकवार्ता के सम्बन्ध में विचार करने वाले पाठ्यात्मक विचारकों में प्रमुख मेरेट गोमे, फेर, लैविस स्पैन्स आदि हैं। इन विद्वानों ने लोकवार्ता के क्षेत्र में स्वरूप पर विचार करते हुए उसके अन्तर्गत उन समस्त अभिव्यक्तियों को स्थान दिया है, जिसमें आदिम मानव के अवशेषों के दर्शन अद्यावधि होते हैं।²²²

आधुनिक युग की एक मान्यता के अनुसार सासार की प्रत्येक जाति ने अपनी यात्रा का आरम्भ आदिम अवस्था या बबंरावस्था से ही किया है। इनके अनुसार मनुष्य की दैवी उद्भावना या दिव्य महत्त्वायुक्त आरम्भ के विषय में अविश्वास करना मूल्यता का घोतक है।²²³ इस मत के पक्षधरों का विश्वास है कि आधुनिक मानव की इस चिर यात्रा के उपराग्नि उपाजित सम्यता के विकास के साथ ही कुछ तद्युगीन अवशेष भी अवशिष्ट हैं, जिसके द्वारा उस आदिम लोक-प्रवृत्ति का अध्ययन भी 'लोक वार्ता' के अध्येता करते हैं, किन्तु उपर्युक्त मन्तव्य आप्त कथन या स्थिर मत नहीं बन सका है, इसके विपक्ष में भी अनेक विचारकों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। एक प्रतिपक्षीय मान्यता के आधार पर लोक वार्ता जिन अवशेषों का अध्ययन करती है वे (अवशेष) मूल आदिम मनुष्य के हैं, इस बात को निश्चय पूर्वक आज किसी भी शास्त्र अथवा विज्ञान को कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आरम्भिक आदिम मनुष्य इतना प्रारंगतिहासिक है और मनुष्य के अनुमान के भी इतने परे है कि उसके सम्बन्ध में भी कुछ भी कहना अवैज्ञानिक समझा जाएगा।²²⁴

प्रत्येक वार्ता में स्पष्टत, दो बातें मिलती हैं—(1) कोई न कोई आधारभूत तथ्य तथा (2) इसका स्वरूप।²²⁵ तथ्य तो तथ्य है यथा सविता को ही लीजिए— सविता तो सविता ही है, किन्तु उसके स्वरूप-निर्धारणार्थ प्राकृतिक विज्ञान-वेत्ता के लिए जहा वह एक अग्नि पिण्ड है, क्योंकि उसको सविता का भौतिक स्वरूप ही अभिन्न है, वहा लोकवार्ताकार के लिए सविता इससे भिन्न भी चहतुर कुछ है। यह सूर्य पुरुषवत् आचरणों को करता हुआ मोहासक्त भी हो जाता है। सूर्य प्रिय है और उसकी प्रियतमा उपा है। वह उस अपूर्व सुन्दरी तथा अनिय पौवना उपा के सौन्दर्य-जाल में आवद्ध होकर उसकी आकर्षण शक्ति से आकर्षित होकर उसका पीछा करता है।²²⁶

लोकवार्ता का प्रतिपादन करते हुए शालंट सोफिया बर्न ने अत्यन्त वैज्ञानिक ढग से प्रकाश डाला है। उनके आधार पर डॉ० सत्येन्द्र ने भी इस पर विचार प्रकट किए हैं। उनके अनुसार 'लोकवार्ता' शब्द विशद अर्थ रखता है। इसके अन्तर्गत वह समस्त आचार-विचार की सम्पत्ति आ जाती है, जिसमें मानव का परम्परित रूप प्रत्यक्ष हो उठता है और जिसके स्रोत लोक-मानस होते हैं, वे लोक-मानस जिनमें परिमाजन अथवा संस्कार की चेतना काम नहीं करती होती। लौकिक धार्मिक विद्वास, धर्म गायाएं तथा कथाएं, चहावतें, पहेलियाँ आदि सभी लोकवार्ता के अग हैं।²²⁷ स्पष्ट है कि डॉ० सत्येन्द्र ने लोकवार्ता के अन्तर्गत मानव-जीवन के समस्त आचार-विचार, जो लोकोवितयों आदि

82 : लोकोक्ति और मुहावरा : स्वरूप विश्लेषण

के द्वारा अभिव्यक्त होते हैं, सनिविष्ट किया है। 'लोकवार्ता' का ऐत्र बहुत विस्तृत है। डॉ० वामुदेव शरण अप्रवाल लिखते हैं—लोक मे बराने थाला जन, जन की मूमि और भौतिक जीवन तथा तीसरे स्थान मे उस जन की सक्षमता—इन तीनों को तीन पूरे ज्ञान का अन्तर्भुवि होता है और लोकवार्ता का सम्बन्ध भी उन्होंके साथ है।²²³ 'लोकवार्ता' के अन्तर्गत समस्त विषयों के विभाजन का कार्य अनेक विद्वानोंने किया है इस दृष्टि से सोफिया यन्म का प्रथम महत्वपूर्ण है। उन्होंने लोकवार्ता के विषयों को तीन श्रेणियों मे विभाजित किया है। उनके इस वर्गीकरण को डॉ० सत्येन्द्र ने निम्नांकित रूप से प्रस्तुत किया है—

(1) लोक विश्वास एवं अन्ध परम्पराएं, जो निम्नांकित विषयों से सम्बन्धित हैं—(क) पृथ्वी और आकाश से; (ख) वनस्पति जगत् से; (ग) पद्म-जगत् से; (घ) मानव से; (द) मनुष्य-निर्मित वस्तुओं से; (ज) भूत्मा तथा इसके जीवन से; (छ) परा-मानवी व्यक्तियों से; (झ) शकुनों-अपशकुनों, भविष्यवाणियों से; (झ) जादू-टोनों से; (ण) रोगों तथा स्थानों की कला से;

(2) रीति-रिवाज तथा प्रथाएं—

(क) सामाजिक एवं राजनीतिक; (ख) व्यक्तिगत जीवन के अधिकार, व्यवसाय, धर्म तथा उद्योग; (ग) तिथिया, व्रत तथा त्योहार; (घ) देव कद तथा मनोरजन।

(3) लोक-साहित्य—

(क) कहानिया—(अ) जो सच्ची मानकर कही जाती है,
(आ) जो मनोरजन के लिए होती है,
(ख) गीत सभी प्रकार के
(ग) कहावतें तथा पहेलिया

(घ) पद्यबद्ध कहावतें तथा स्थानीय कहावतें।²²⁴

(1) लोक वार्ता साहित्य—(क) धर्म गाया साहित्य
(ख) साधारण लोक वार्ता साहित्य


(2) लोक-साहित्य—(ग) प्राम साहित्य
(घ) नागरिक साहित्य²³⁰

मानव ईश्वर की सबसे सुन्दर सूष्टि है। स्वभावत मानव सामाजिक प्राणी है। उसके सम्बन्ध का पहला रूप कोटुम्बिक है। पुरुष>स्त्री>यौन>आकर्यण पति-पत्नीत्व>यौन>सभोग>सहवास>सहकार>सन्तान जन्म>मातृत्व>पितृत्व>पोपण—रक्षण =कुटुम्ब। इस कुटुम्ब मे प्रत्येक प्रक्रिया और स्थिति के लिए कुछ विशेष आत्मानिक प्रक्रियाए होते लगते हैं। कुटुम्ब-कुटुम्ब मिलते अथवा मानव-समूह मिलकर विविध सामाजिक सम्बन्ध स्पष्टित करते हैं तो सामाजिक सक्षमता का जन्म होता है।

इस सामूहिक स्थिति की अपनी एक विशेष प्रकार की जीवन-यात्रा होती है, जिसे परिस्थितियों से, प्रकृति से, अपने ही कोटुम्बिक धर्वयवों से बाहरी दलों से संघर्ष करना पड़ता है। इन सबके साथ एक लोकवार्ता और अनुष्ठान प्रस्तुत हो जाता है।²³¹ मानव इस 'लोकवार्ता' का नियन्ता है। समस्त मानव समुदाय के मानवीय स्वरूप को तीन भागों में बाट सकते हैं। प्रथम लोक-मानस, द्वितीय जन-मानस, तृतीय मुनि-मानस। लोक-मानस वह मानसिक स्थिति है जो आज आदिम मानव की परम्परा में है, उसी का अवशेष है। आज के सभ्य समाज के मानसिक स्वरूप में इसे सबसे नीचे का घरातल माना जा सकता है। मुनि-मानस वह मानसिक स्थिति है जो मानव-समाज ने सम्भवता के विकास के साथ-साथ उपराजित की है। यह आज के समाज के मानसिक स्वरूप का सबसे ऊचा घरातल माना जा सकता है। सभ्य की स्थिति जन-मानस की है। लोक-मानस से लोक-वार्ता का जन्म होता है। मुनि-मानस से दर्शन, शास्त्र, विज्ञान और उच्च कलाओं का। जन-मानस साधारण व्यवसायात्मक बुद्धि से ही सम्बन्ध रखता है।²³²

लोकवार्ताकार मानव ने इसका द्विविध निर्माण किया है— (क) लोककला-विलास तथा (ख) लोक वाणी-विलास के रूप में लोक कला-विलास के अन्तर्गत उत्पादन सम्बन्धी, सग्रह सम्बन्धी आदि वस्तु-पदार्थ आते हैं। डॉ० सत्येन्द्र ने शरीर विलास में उन आनुष्ठानिक कलाओं का जन्म स्वीकार किया है जो चित्र, मूर्ति, नाट्य आदि से सम्बन्धित होती हैं। वाणी-विलास में उन अनुष्ठानों का समावेश होता है जिनका सम्बन्ध वाणी-सम्बन्धी अभिव्यक्तियों से होता है। शरीर-विलास की आनुष्ठानिक कलाओं का विभाजन²³³ इस प्रकार किया गया है—

अनुष्ठान



वाणी-विलास भी जीवन से धनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है और उत्पादन व उपयोग तथा कुटुम्ब और समाज से निरन्तर लिपटा रहता है। फिर भी इसके कई रूप मिलते हैं, वे इस प्रकार हैं —

लोक-वाणी-विलास


धर्मगाथा	परी	लोक	अवदान	तन्त्राख्यान	लोक	मन्त्र	लोकोक्ति
	कथा	कहानी		ख्यान	गीत		
(Myth)	(Fairy tale)	(Folk tale)	(Anecdote)	(Fable)	(Ballet)	(Incantation)	(Proverb)

लोक-वाणीविलास के इन रूपों को पहले तीन प्रकार मान सकते हैं—बात, कथात्मक और गेय। कला के आदिम विकास में विविध अन्य तत्त्वों के समावेश से वाणी विलास में कई विशिष्ट प्रकारों का जन्म हुआ। कथात्मक वाणी विलास का जन्म अलग-अलग प्रेरणाओं से पूर्यक रूप में हुआ। वातलाप तथा कथात्मक प्रकार सामाजिक मूल से सम्बन्धित हैं। गेय का सम्बन्ध वैथकिक एवं सामाजिक द्विविध प्रवृत्ति से है। इस प्रवृत्ति के अन्तर्गत 'अद्वं गेय' अथवा 'पाठ्य' रूप का विकास भी होता है।²³⁴ इनका वर्गीकरण करते हुए डॉ० सत्येन्द्र ने लोकोक्तियों को 'बात' तथा 'अद्वं गेय लोक-साहित्य' के अंतर्गत रखा है। उनका विभाजन इस प्रकार है—


बात				
मन्त्र	लोकोक्ति	प्रहेलिका	नाट्य-	चुटकले


कथात्मक

धर्मगाथा	परीकथा	अवदान	लोककहानी	तन्त्राख्यान	लोकगाया
(Myth)	(Fairy tale)	(Legend)	(Folk tale)	(Fable)	(Ballet)



इसमें सन्देह नहीं कि डॉ० सत्येन्द्र ने अपनी भूमिका-लेखन में लोकवार्ता को अधिकाधिक विस्तृत रूप में वर्णित करके उसका व्यवस्थित प्रतिपादन किया है, किन्तु इस विवेचन की एक सीमा तो यह है कि इसमें मुहावरों को सम्मिलित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त लोकोक्तिया डॉ० सत्येन्द्र के उपर्युक्त तीन प्रकारों—बात, कथात्मक एवं गेय के अन्तर्गत प्रथम एवं अंतिम में ही ग्रहण की गई हैं, जबकि द्वितीय प्रकार 'कथात्मकता' से लोकोक्ति का महत्वपूर्ण सम्बन्ध है, क्योंकि इनके मूल में प्रायः कथा भी होती है। उन्होंने 'लोकोक्ति' को उसके लोक-प्रचलित अर्थ कहावत के रूप में ग्रहण न करके लोक की उकित्यों-कहावत-मुहावरा तथा प्रहेलिका को लोकोक्ति-साहित्य में समाविष्ट कर उसका अर्थ-विस्तार कर दिया है। लोक-साहित्य के एक प्रमुख भाग के रूप में स्वीकार करके उन्होंने लोकोक्ति-साहित्य का वर्गीकरण इस प्रकार है²³⁵—





वस्तुतः लोकोक्ति-साहित्य के अन्तर्गत प्रहेलिका एवं मुहावरे आदि का समाहार इसलिए उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि इनका स्वतन्त्र अस्तित्व है। डॉ० सत्येन्द्र का यह वर्गीकरण यद्यपि बुछ सौमा तक व्यवस्थित बन पड़ा है, तथापि सर्वथा दोषमुक्त नहीं कहा जा सकता। इसमें लोकोक्ति अथवा कहावत का वर्गीकरण जितने अच्छे ढंग से किया है, मुहावरे का नहीं किया। इसके अतिरिक्त कहावत के सामाजिक वर्ग के अन्तर्गत धार्मिक-राजनीतिक कहावतों का समावेश अनुचित प्रतीत होता है। इसी प्रकार ऐतिहासिक कहावतों के समानान्तर पौराणिक या कल्पित कथाओं पर आधारित कहावतों को भी अलग से लिया जा सकता था। जीवन-दर्शन का क्षेत्र भी अत्यन्त विस्तृत है, इसे मात्र दो भागों में विभक्त करना युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता। इसमें विभिन्न मानवीय स्वभाव के अतिरिक्त लोक-विश्वास—शकुन-अपब्रुशन आदि से सम्बन्धित लोकोक्तियों को भी समाविष्ट किया जा सकता है तथा नीति-उपदेश-हास्य-व्याघ्र प्रधान लोकोक्तियों को भी उपखण्डों में विभक्त करके विस्तृत एवं व्यवस्थित विवेचन हो सकता है। इन सौमाओं के बावजूद डॉ० सत्येन्द्र का यह वर्गीकरण इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण सिद्ध होता है, कि सम्बद्ध विषय पर कार्यं करने वाले अध्येताओं ने इससे दिशा-प्रहण कर अपना मार्गं प्रशस्ति किया है।

लोकोक्ति एवं मुहावरे का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है। लोकोक्ति की भाँति मुहावरे का लोक-माहित्य के साथ इसलिए अटूट सम्बन्ध है, क्योंकि इन दोनों के जीवन की प्रायः एक ही राम-कहानी है। इनकी उत्पत्ति एवं विकास की अवस्थाएँ भी प्रायः समान हैं। डॉ० लहमी नारायण शर्मा का यह विचार कि मुहावरे की उत्पत्ति भी मानव-जीवन की किसी घटना या कार्यं-कारण परस्परा से होती है²³⁶, उचित प्रतीत होता है। लोकोक्तियों की भाँति मुहावरों में भी प्रायः मानव जीवन के साधारण व्यापारों के चित्र रहते हैं। मुहावरे जीवन की सफलता-असफलता, उन्नति-अवनति, उत्थान-पतन, हार-जीत और मनुष्य के विद्वत्तापूर्ण एवं मूर्खतापूर्ण व्यापारों का भी परिचय देते हैं।²³⁷ यही कारण है कि ये ज्ञाहवत् सर्वत्र व्याप्त हो गए और वाणी के शृंगार बनकर जहा लोक-साहित्य में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सफल हुए हैं, वहा अभिजात-साहित्य में भी साहित्य-कारो द्वारा सम्पूर्जित हुए हैं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मुहावरों और कहावतों का क्षेत्र विस्तृत है। मानव-जीवन में सम्बन्ध रखने वाला कौन-सा ऐसा विभाग है, जो उनके दायरे के भीतर न आया हो।²³⁸

लोकोक्तियों और मुहावरों का महत्त्व

लोकोक्तियों एवं मुहावरों के क्षेत्र की भाँति ही इनके महत्त्व का प्रतिपादन भी मुख्यतः द्विविध रूपों में सम्भव है—

- (क) लोक-वाणी के शृंगार के रूप में, इनकी लोक-स्थानिक आधार पर।
- (ख) काव्य-भाषा के अलंकार के रूप में, इनकी साहित्यिक उपयोगिता के आधार पर।

लोकोक्तियों एवं मुहावरों को लोक-साहित्य के अतिरिक्त अभिजात अथवा शिष्ट साहित्य में भी सीमातीत इलाधा प्राप्त हुई है। काव्य-भाषा के अलकरण एवं साहित्यिक सौन्दर्य के अभिवृद्धि होने के कारण अनेक महाकवियों ने इनके मात्रय से जहाँ सरस्वती को तुष्ट किया, वहाँ इनके सफल प्रयोग के द्वारा शिष्ट-साहित्य में जनमानस के अनुकूल लोक-तात्त्विक विशेषता को बृद्धि कर अपनी कृतियों को कालजयी भी बना दिया। डॉ० गया सिंह का यह कथन उपयुक्त ही प्रतीत होता है कि लोकोक्तियों, मुहावरों आदि के प्रयोग से अभिजात-साहित्य की लोकतात्त्विक विशेषता में बृद्धि होती है, साथ ही बोलचाल की अभिव्यक्ति विधि से सयोग होने से उसकी अभिव्यजना को सोकशियता, सहजता और सम्प्रेषणीयता प्राप्त होती है।²³⁹ इसके कारण पर प्रकाश डालते हुए एक विचारक लिखते हैं—लोक-साहित्य मानव जाति का आदिम एवं अन्तरग चित्रण होने से शिष्ट साहित्य की तुलना में अधिक मौलिक और ताजा अनुभूतियों का कोश कहा जा सकता है। सच तो यह है कि लोक-साहित्य ही शिष्ट साहित्य का प्रेरक तथा विधायक उपादान है व्योकि साहित्य के मूल में निहित चेतना शतश. सामाजिक एवं लोकमूला ही होती है। हमारे प्राचीन साहित्य में वेद के साथ-साथ महाकवि व्यास ने लोकचिन्ता को भी प्रमाण रूप में मान्यता दी है। लोक-साहित्य एवं लोक-वाणी का माधुर्य द्राक्षारम की भाति अपूर्व आस्वाद का हेतु माना जाता रहा है। पान के पुनःपुनः चवाने में, गन्ते की पोर-पोर के रस में तथा महाभारत की कथा के शब्दण में जो भजा, पचतन्त्रकार के अनुसार आता है, वही सरसता और ताजगी लोक-साहित्य के कण-कण में व्याप्त है। यही कारण है कि कालिदास, जयदेव, विद्यापति, कवीर, सूर, तुलसी, जायसी, केशवदास तथा बिहारी सरीखे रस-सिद्ध कवि भी अपने काव्य में लोक-तत्त्व की छोक वधार तथा गहरी छाप से (चेतन-अचेतन रूप में) उन्मुक्त नहीं रह सके।²⁴⁰

लोकोक्तियों एवं मुहावरों का महत्व लोक-जीवन में चिर काल से रहा है। डॉ० कृष्ण चन्द्र शर्मा के अनुसार ये लोकानुभव की वे सिद्ध मणियाँ हैं, जिनको पाकर मनुष्य वाकशक्ति-सम्पन्न बनता है। ये भाषा की ऐसी शातियाँ हैं, जिसमें युग-युगान्तर का अनुभव बोलता है और जो हमारे नैतिक, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन की आधार-शिलाएँ हैं, जीवन के परिवेश में जो कुछ समा सकता है, वह यहाँ प्राप्त है। महर्षि वेदव्यास ने अपने महाप्रन्थ महाभारत के सम्बन्ध में जैसे कहा है कि 'यदि हास्तितदन्यन्त्र यन्नेहास्ति न तत् वच्चित्।' वही लोक मनीषा की इस ज्ञान-गाठरी के विषय में भी निर्भीकतापूर्वक कहा जा सकता है। लोक जीवन की इन वाक्-पद्धतियों और लोकोक्तियों में भी सभी कुछ है।²⁴¹ प्राचीन काल से ही लोकोक्तियों एवं मुहावरों के महत्व से परिचित होकर साहित्यकारों ने इसे अपनाया, किन्तु आज अनेक लोकोक्तिया और मुहावरे अपनी सुदीर्घ परम्परा से सम्पूर्ण होने के बावजूद कुछ कारणों से लुप्त हो गए हैं, उन्हें पुनः प्रतिष्ठित करने की समस्या जटिल है। प० राम प्रताप शिपाठी इस पर खेद प्रकट करते हुए लिखते हैं—लोकोक्तियों के समान मुहावरे निरन्तर चिन्तन का प्रतिफलन, एक बूद में अनन्त सिन्धु समेटने का प्रयत्न, फलत किसी भाषा के प्राण होते

हैं। इनका उत्स बहुसाशत नगर से दूर उन उजटवासियों का सहज मन होता है, जिन्होंने वितने ही जेठ मासों की तपन एवं भादो की झड़ी अपनी काया पर ही उतार दी है। ये मणियां प्रत्येक जनपद बोली की धूस में पही मिलती हैं, आवश्यकता उन्हें धो-पोछने की है। इसरे लिए निस्वार्थ कर्तव्य परायण सकलनकर्त्ताओं की महती आवश्यकता है। परं ऐसे अलख जगाने वाले हिन्दी की मिल जाए तो यह कितनी समृद्ध हो जाए—कहने की आवश्यकता नहीं। हिन्दी क्षेत्र इतने समये बाल तक गुलाम रहा कि अपने ही लोग उसे पूणा कराने वाले काम में सफल रहे। वह वेद, महाभारत, पाणिनि पतञ्जलि, कैथट, भर्तृहरि आदि की सुदोर्पं परम्परा भूल गया, जिन्होंने अपने काल में लोक की आरती चतारी¹⁴² सोकोक्तिया एवं मुहावरे हमें अपनी परम्परा से जोड़ते हैं। हमारी राजनीतिक-सामाजिक धार्मिक-सारकृतिक आदि परम्पराओं के सोकोक्तिया एवं मुहावरे सबाहक हैं, परिचायक हैं।

लोकोक्ति और मुहावरे लोक-जीवन में प्रचलित वे सिवके हैं, जिनका मूल्य कभी कम नहीं होता। साहित्य के इन बहुमूल्य रहनों का प्रयोग जन-सामान्य से लेकर उच्च-कोटि के साहित्य-मर्मज्ञ तक करते हैं। इनमें राजनीतिक, सामर्जिक, धार्मिक, अर्थिक तथा साहित्यिक आदि परिस्थितियों का प्रेरणादायक, प्रभावोत्पादक, व्याख्यातमक एवं भावात्मक चित्रण अत्यन्त सजीव, रोचक, सारणित, सरल, सिंप्ल एवं उपयोगी भाषा में करते हुए लोक-जीवन के सार्वभीम सत्य का उदधाटन बढ़े ही कोशल के साथ किया जाता है। यही कारण है कि दोनों ही विधाएँ जन मानस का उपहार बनी हुई हैं। अत यह साहित्य-साधार के इन मुक्त गुच्छों की निरक्ष परस्त कर आवश्यक मूल्य निर्धारित करने का प्रयास किया गया है।¹⁴³

लोक में जितना महत्व जीवन का है, उससे कहीं अधिक महत्व जीवन में सोकोक्तियों का है। लोकिक मानव इन लोकोक्तियों के प्रभाव से स्वयं को बछूता नहीं रख सकता है। इन लोकोक्तियों में मानव जीवन से सम्बन्धित सामान्य भाव के अतिरिक्त गम्भीर भाव भी पाया जाता है। मानव जीवन इन्हीं लोकोक्तियों के सकेत पर चलकर पूर्णता की ओर बढ़ा है। विना लोकोक्तियों के लोक व्यवहार अधूरा है। तेलुगु की एक कहावत द्वारा वात भली भाति स्पष्ट हो जाती है—‘सामेत ने निमाट आमेत देनि इहल।’ अर्थात् विना लोकोक्ति के प्रयोग के वारालालाप उसी घर के समान है, जहाँ कभी स्वादिष्ट भोजन बनता ही नहीं।¹⁴⁴ लोकोक्तिया लोक जीवन के साथ सम्बन्धित होने के कारण लोक जीवन को समग्र एवं सच्चे रूप में अकित करती हैं। ये सदैव लोक मानव के अन्तमन पर आच्छादित रहती हैं तथा समय समय पर उनके द्वारा प्रकाशित होती रहती हैं। वे दैनिक जीवन में अधिक व्याप्त रहती हैं कि इनके लिए जघु प्रयासों की भी आवश्यकता नहीं होती। प्रसरण एवं उचित अवसर पर लोकोक्तिया स्वयं प्रकट हो जाती हैं। इससे लोकोक्तियों की लोक-जीवन से अभिन्नता प्रकट हो जाती है।¹⁴⁵

विसी भी देश की परम्परा के अध्ययन के लिए लोकोक्तिया अत्यन्त महत्वपूर्ण साधन हैं। डॉ० रमेशचन्द्र का यह कथन उपयुक्त ही है कि इनमें किसी देश की राज-

राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास की प्रचुर सामग्री सचित रहती है। लोकोक्तिया परम्परित होती हैं। अतः इनके माध्यम से हम युगों-युगों के लोक-जीवन का ज्ञान जान सकते हैं। लोकोक्तियां जन-मानस की अत्यन्त प्राचीन धरोहर होती हैं। इनमें सम्बद्ध जन-समुदाय क्षेत्र अथवा राष्ट्र का युगों-युगों का अनुभव सिद्ध ज्ञान भरा रहता है। संसार के प्रत्येक देश एवं जाति में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। संसार में कोई भी ऐसा देश एवं जाति न होगी जिसमें कि कहावतों का प्रचलन न हो।²⁴⁶ डॉ० शशि देखर तिवारी के अनुसार लोकोक्तियां परम्परा की संवाहिका और ऐतिहासिक चेतना की प्रतिष्ठित होती हैं। इसलिए उनमें किसी देश या जनपद के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास की प्रचुर सामग्री सचित रहती है। लोकोक्ति-साहित्य भी इतिहास के मुख्य अंगो—मुद्रा, अभिलेख और भग्नावशेष की भाँति परम्परा के उद्घाटन में विशेष रूप से सहायक होता है।²⁴⁷ सांस्कृतिक दृष्टि से इनका बहुत महत्व है। लोकोक्तियों में तो मानो सांस्कृतिक विष्यों के चौमुख दीपक से बल उठते हैं और अनुभव-प्रसूत चिन्तन की पुढ़ी-सी बांधकर रख दी गई है। सभी देशों के साहित्य का अक्षय अनुभव इनमें अग्रर के छिलके के भीतर रस और गूदे की उज्ज्वल-मोतिया काँति से लहलहाते रजकणों का मानित प्रतिविम्बित हो उठता है। लोकवाणी का जितना सहज, अलंकृत, सूत्रबद्ध, लाक्षणिक-व्यंजक चिन्ह-विचिन्त्र रूप इनमें मिलता है, उतना अन्यथा कहा ?²⁴⁸

लोकोक्तियां मानव-समाज की मनीया हैं। इनमें अनुभूत ज्ञान की निधि सचित रहती है। डॉ० उदय नारायण तिवारी के अनुसार हम अपनी जाति की परम्परागत विचारधारा का ज्ञान इन्हीं के माध्यम से कर सकते हैं। इनके महत्व का निरूपण करते हुए डॉ० तिवारी लिखते हैं—“शताब्दियों से किसी जाति की विचारधारा किस ओर प्रवाहित हुई है, यदि इसका दिग्दर्शन करना हो तो उस जाति की लोकोक्तियों का अध्ययन आवश्यक है। काल-क्रम के अनुसार लोकोक्तियों का वर्गीकरण करके राजनीतिक तथा भाषा की इतिहास सम्बन्धी सामग्री प्रचुर परिमाण में उपलब्ध की जा सकती है।²⁴⁹ लोकोक्तियों में जीवन के सत्य को सुन्दर ढंग से उद्घाटित किया जाता है। यही कारण है कि मौखिक लोक-साहित्य में लोकोक्ति-साहित्य का बहुत महत्व है।²⁵⁰ डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल ने लोकोक्तियों को ग्रामीण जनता के नीतिशास्त्र के रूप में स्वीकार किया है। उनके भत्त में ये मानवी ज्ञान के घनीभूत रूप हैं, जिनसे बुद्धि और अनुभव की किरणें फूटने वाली ज्योति प्राप्त होती है। लोकोक्तियां प्रकृति के स्फुलिंगी (रेडियो ऐक्टिव) तत्त्वों की भाँति अपनी प्रखर किरणें चारों ओर फैलाती रहती हैं। लोकोक्ति-साहित्य संमार के नीति-साहित्य (विजडम-लिटरेचर) का प्रमुख अग है।²⁵¹ इसका कारण यह है कि लोकोक्तिया मानव-जीवन की गहन अनुभूतियों को व्यक्त करती है। इनके द्वारा व्यावहारिक जीवन की विभिन्न समस्याओं पर भी प्रकाश पड़ता है।²⁵²

लोकोक्तियों में भाव गरिमा कूट-कूट कर भरी रहती है। अर्थात् अन्योक्ति, दृष्टात्, सम, विषम तथा दीपक आदि उपदेशमूलक अलकारों का लोकोक्तियों में बड़ा ही सुछु प्रयोग मिलता है, जिनसे भावगत सौन्दर्य की प्रस्तुति होती है।

लोकोक्तिया जीवन की पाठशाला के जागरूक शिक्षक हैं। साधारण से साधारण लोकोक्तियों में जीवनोपयोगी कोई न कोई रत्न अवश्य छिपा मिलेगा।—“जैसे प्राचीन कान के शिलालेखों और सिद्धको आदि से इतिहास की कठिया जुड़ती हैं, वैसे ही कहावतों की मार्फत हम कितनी ही कठिया जोड़ सकते हैं।”²⁵³ इनमें भावो, विचारों आदि के समाहार की शक्ति विद्यमान होती है। सासारिक व्यवहार पट्टूता एवं सामान्य बुद्धि का विलक्षण निर्दर्शन इनमें मिलता है। लोकोक्तिया ग्रामीण सस्कृति के प्राचीन गोरख चिह्नों की एलवम हैं। लोकोक्तियों के द्वारा ज्ञान की किरणें चतुर्दिक् फैलकर जन जीवन को आत्मक प्रदान करती हैं। डॉ० कन्हैयालाल सहस्र के विचारानुसार लोकोक्तिया समाज के न्यायालय के अन्तिम निर्णयवत् हैं—“कहावती न्यायालय में निर्णय होने के बाद उसकी पनी कहो अपील नहीं होती। कहावत ने जो निर्णय दे दिया, वही अन्तिम है।”²⁵⁴ लोकोक्तियों का महात्म्य अद्भुत है। डॉ० चाटुर्या की दृष्टि के आधार पर यह कहावती जगत भी एक विलक्षण लोक है। बड़े-बड़े ऋषि मुनियों की उक्तियों को भी यदि जनता स्वीकार न करे तो वे भी लोकोक्तियों के गोरखपूर्ण पद पर आसीन नहीं हो सकती। कहावतों की सचमुच बड़ी महिमा है, कोई उनकी अवभानना न करे।²⁵⁵ लोकोक्ति की लोक-स्वीकृति का एक कारण यह भी है कि आप्त वचनों की भावित विना किसी प्रकार के बाद विवाद के लोकोक्ति को आप्तोपदेश प्रमाण के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाती है। इसी तथ्य को प्रकट करते हुए बाइबिल कोश में कहा गया है कि ब्यावहारिक क्षेत्र में लाकाविन का महत्वपूर्ण स्थान इसलिए है क्योंकि न्यायाधीश के सर्वमान्य विश्वासमूलक निर्णयों की भाँति जन-सामान्य लोकोक्ति के आदेश का पालन करता है।²⁵⁶

लोकोक्तियों का जितना महत्व किसी देश, काल, पात्र अर्थात् जाति, जन समुदाय, प्रदेश अथवा सम्पूर्ण राष्ट्र की सम्मता सस्कृति तथा साहित्य के अध्ययन की दृष्टि से है, उतना ही उसकी भाषा के अध्ययन की दृष्टि से भी है।²⁵⁷ भाषा के भी मुख्यत दो रूप हैं—मामान्य या वार्तालाप की भाषा तथा साहित्यिक अथवा काव्य भाषा। डॉ० नरसिंह राव की दृष्टि से वार्तालाप में लोकोक्तियों का दो प्रकार से महत्व है—(क) भाषा की शक्ति में बृद्धि करना, (ख) कथन में बक्ता और चमत्कार उत्पन्न करना। काव्यस्मक भाषा में जिस प्रकार अलकार-विधान भाषा की शक्ति बृद्धि करता है, उसी प्रकार लोकोक्तियों के द्वारा वार्तालाप में शक्ति और सुन्दरता का समावेश हो जाता है। भाषा का यह सौन्दर्य दो प्रकार का है—(1) बाह्य सौन्दर्य और (2) आन्तरिक सौन्दर्य। बाह्य सौन्दर्य में किसी कथन में शब्द क्रम और विविध उपमानों के रूप में प्रयुक्त अप्रस्तुत सामग्री की कल्पना के द्वारा दी तत्त्व आ जाते हैं। लोकोक्ति के द्वारा ये दोनों ही तत्त्व वार्तालाप को प्राप्त हो जाते हैं। भाषा के आन्तरिक सौन्दर्य में उसके अर्थ की पुष्ट भावात्मक, अर्थ परिवर्तन दैली, योद्धिक रूप से मान्य तर्क और कुछ भावात्मक मधुवेष्टन आते हैं। ये सभी तत्त्व लोकोक्तियों में विद्यमान होते हैं, अत वार्तालाप की भाषा याहुआन्तर सौन्दर्य से युक्त होने के लिए लोकोक्तियों का सहारा लेती है।²⁵⁸ इसमें संदेह नहीं लोकोक्तियों के द्वारा कथन में तीक्ष्णता एवं प्रभावात्मकता की सृष्टि होती है।

लोकोक्तियों का जितना सम्बन्ध वक्ता से है, उतना ही श्रोता से भी है, अत दोनों प्रभाव ग्रहण करते हैं। वक्ता एवं श्रोता का पारस्परिक साधारणीकरण इनके माध्यम से सम्भवतया हो जाता है। श्री गोपाल प्रसाद व्यास का कथन है—कहावतों के गर्भ में चमत्कार और इनके कथन में वक्ता होती है, इसलिए वात जितनी जल्दी कहावतों द्वारा घर उतरती है, उतनी किसी और माध्यम से नहीं।²⁵⁹ भाषा के विविध स्तरों के अध्ययनाथं लोकोक्तिया कामसुधा-श्रोतवत् उपयोगी, फलन महत्वपूर्ण होती हैं। ‘राजस्थानी कहावता’ के लेखक की दृष्टि में भाषा के सौन्दर्य की वृद्धि भी इनके द्वारा ही सम्भन्न होती है। वे हमारे कथन को मार्मिक, मधुर और प्रभावशाली बना देती हैं। वस्तुत भाषा की मुन्दरता और सरसता का प्रधान कारण कहावतें हैं। इनके प्रयोग से लेखों और भाषणों का माध्यर्थ वितना बढ़ जाता है, वे कितने सजीव और प्रभावोत्पादक बन जाते हैं, यह सब पर प्रकट है।²⁶⁰

साहित्यिक दृष्टि से भी लोकोक्तियों का महत्व कम नहीं है। काव्य-भाषा अथवा साहित्यिक भाषा के सौन्दर्य की वृद्धि में लोकोक्तियों का योगदान अप्रतिम है। डॉ सन्तराम अनिल इस विषय पर अपने विचार प्रकट करते हुए लिखते हैं—साहित्यिक दृष्टि से भी कहावतें महत्वपूर्ण हैं। उन्हें भाषा का शृंगार कहा जा सकता है और इसी लिए पर्याप्तिः भी कहावतें महत्वपूर्ण सामग्री का काम करती हैं। समाज शास्त्र और सस्कृति के अध्येता के लिए भी कहावतें अनेक समस्याओं का रहस्योदयाटन करनी हैं।²⁶¹ साहित्यिक भाषा अथवा काव्य-भाषा में लोकोक्तियों एवं मुहावरों के महत्व-प्रतिपादन करने से पूर्व काव्य-भाषा का सक्षिप्त अध्ययन अनुपयुक्त न होगा। सुप्रसिद्ध रूसी विद्वान् प्रे-दिन के मत में—भाषा विचार का साधन है। भाषा का इस्तेमाल लापरवाही से करने का मतलब है विचारों में लापरवाही करना।²⁶² सम्भवत इसी कारण भाषा को पर्याप्ति प्रतिष्ठा मिली। काव्य-पुस्तक वे भाव यदि प्राण हैं तो उस पुष्ट-शरीर में कलात्मकता, आकर्षण-सम्पन्नता, प्रभविष्णुता तथा सम्प्रेषणीयता आदि वा समावेश भाषा के द्वारा ही होता है। वस्तुत किसी भी काव्यकृति को काव्यत्व का स्वरूप वाक्य-भाषा के माध्यम से ही प्राप्त होता है। प्राच्य एवं पाश्चात्य साहित्याचार्यों ने साहित्य-लोचन के सन्दर्भ में काव्य-भाषा पर पर्याप्त चिन्तन किया है। सस्कृत साहित्य शास्त्र में सन्द एव अर्थ के सहभाव को काव्य की सज्जा से अभिहित किया गया है और काव्य के स्वरूप विवेचन वे सन्दर्भ में आनुपगिक रूप से शब्द-तत्त्व अर्थात् काव्य-भाषा वा भी प्रतिपादन किया गया है। आत्मवादी और देहवादी दोनों प्रकार वे आचार्यों ने स्व-स्व सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए काव्य के बाह्य रूप अर्थात् काव्य-भाषा वी भी चर्चा की है। पण्डितराज जगन्नाथ ने रमणीयता को काव्य वा सर्वस्व घोषित करते हुए कहा कि रमणीयता अर्थ में होती है और उसको अभिव्यक्ति भाषा द्वारा सम्भव है।²⁶³

पाइचात्य काव्य शास्त्र में काव्य भाषा-विषयक विस्तृत विवेचन हुआ है। अरस्तू काव्य-भाषा की भावगत एवं शिल्पगत विशिष्टता के विषय में लिखते हैं—काव्य भाषा में भाषा-शिल्प का प्रयोग होता है, उसमें लिखित कल्पना की क्रीड़ा होनी है। होरेस काव्य-भाषा को सामान्य बोलचाल की भाषा से भिन्न मानते हैं। वे अपने सबादों में होने वाली अशिष्ट बातचीत के घरातल पर न उत्तर आए और ऐसा भी न हो कि धरती से बचने के प्रयत्न में वे भेंधों और शून्य में उभल कर रहे जाए। तुच्छ पद्य का उच्चारण ग्रासदी की गरिमा के विरुद्ध है।²⁶⁴ लोगिनुस, दाते, कालरिज तथा डब्ल्यू० पी० के आदि अनेक विद्वानों ने कलात्मक सौन्दर्य को काव्य-भाषा का प्रमुख गुण माना है। दाते लेक-भाषा को काव्य-भाषा का आधार स्वीकार करके भी उसकी विशिष्टता एवं परिष्कृति को महत्व प्रदान करते हैं।²⁶⁵

काव्य के अभिव्यजना-कोशल का निरूपण द्विविध सभव है—(क) भाषा शास्त्रीय आधार पर तथा (ख) काव्यशास्त्रीय आधार पर। इनमें प्रथम दृष्टिकोण के अनुसार काव्य-भाषा का अध्ययन भाषा विज्ञान के सिद्धान्तों के आधार पर किया जाता है। भाषा के विभिन्न तत्त्वों—शब्द रचना, रूप-रचना, सज्जा, सर्वनाम, त्रियापद आदि के आधार पर काव्य-भाषा का विश्लेषण किया जाता है जबकि द्वितीय आधार पर काव्यशास्त्र के विभिन्न सिद्धान्तों वीं दृष्टि से काव्य के अभिव्यजना कोशल का दिशानंदन कराया जाता है। लोकोक्तियों एवं मुहावरों को जहाँ भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन का आधार बनाया जा सकता है, वहाँ इनमें साहित्यिक सौन्दर्य के स्वाभाविक दर्शन होने के कारण साहित्यशास्त्रीय तत्त्व भी उपलब्ध हो जाते हैं। काव्यशास्त्र के विभिन्न काव्य-तत्त्वों के द्वारा काव्य-सौन्दर्य की अभिव्यक्ति में लोकोक्तिया एवं मुहावरे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

जिस प्रकार काव्य-रचना की प्रक्रिया में काव्य-भाषा का महत्वपूर्ण योगदान है, उसी प्रकार काव्य-भाषा की रचना-प्रक्रिया में लोकोक्तियों एवं मुहावरों का स्तुत्य योगदान है। प्रो० इन्द्रपाल सिंह का विचार है कि किसी भी भाषा की यथार्थ शक्ति का आभास उसमें प्रयुक्त लोकोक्तियों एवं मुहावरों के प्रयोग से मिलता है अर्थ-सौन्दर्य, भाव-भिव्यजना, अभीष्ट प्रभाव एवं वास्तु अनुभूति की दृष्टि से पदा में जो स्थान अलकारों का है, गद्य में वही स्थान लोकोक्तियों एवं मुहावरों का है।²⁶⁶ लोकोक्तिया एवं मुहावरे काव्य में प्रयुक्त होकर भाषा को सजीवता, सप्राणता, स्फूर्ति एवं दाक्ति प्रदान करते हैं। थी षट्ठी प्रसाद साकरिया के निम्न कथन से पहल बात सिद्ध हो जाती है—(1) व्याकरण—भाषा का अस्थिपञ्चर, (2) शब्द सम्पन्नता—उसका प्राण और (3) सोकोक्तियाँ और मुहावरे—उसका ओज, सोष्ठव और शारीरिक गठन है। वही भाषा प्राणवान् है जिसमें सूझमातिसूझम भावों को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों की प्रचुरता हो और वही ओज वाली भाषा है जिसमें उसकी वाग्व्यवहार एवं व्यजना शक्ति की सम्पूर्ण योग्यता हो। प्राणवान् शरीर में यदि ओज नहीं है तो वह शरीर अङ्गृती होता है।²⁶⁷

सोकोक्तियों का साहित्यिक दृष्टि से अत्यन्त महत्व है। इसका एक कारण यह

भी है कि उनमें साहित्य के कलापक्ष की कृत्रिम बोभिलता नहीं है। अभिव्यक्ति में सहज स्वाभाविकता और मार्मिकता है। भाषा और बोलियों में जो प्रभावोत्पादकता का गुण प्राप्त होता है, वह इन्हीं के द्वारा प्रदत्त है। इनके बिना वे रसहीन प्रतीत होती हैं।²⁶⁸

लोकोक्तियों की भावित मुहावरों वा भी इस दृष्टि से अतिशय महत्त्व है। इनके द्वारा भाषा में घमत्कार उत्पन्न होता है और नवस्फूर्ति आती है। मुहावरे भाषा का प्राण सजीवता की मूर्ति, शक्ति का अक्षय भण्डार, मानवता की कगौटी, सास्कृतिक मान्यताओं का मानक कोश, महान् पुरुषों का स्वरूप दर्शन, लोकाचरण का आधार और रसानुभूति के रत्नाकार हैं।²⁶⁹ भाषा में मुहावरों के महत्त्व का कारण यह है कि इनके सफल प्रयोग भाषा में एक ऐसी शक्ति सम्पन्न तीव्रता उत्पन्न कर देते हैं जिससे वह मानव-हृदय को बेधकर उसके अन्तराल में समा जाती है। सिद्ध लेखक गिने-चुने शब्दों में ऐसी भाव भरित पवित्रता प्रस्तुत करता है जिसमें शब्द अर्थ-गाम्भीर्य के साथ ही भाषा में एक विशिष्ट आकर्षण एवं लोच प्रतीत होता है।²⁷⁰ मुहावरों के प्रयोग से प्रयोक्ता अथवा लेखक की भाषा में प्रौढ़ता एवं प्रभावात्मकता आती है। अभिव्यक्ति की सशक्तिता भाषा की प्रौढ़ता पर अवलम्बित होती है। तात्पर्य यह है कि मुहावरे अत्येक भाषा की निधि हैं, जिस पर भाषा जीवित रहती है। मुहावरों का कुण्ठित हो जाना तथा जन सामान्य की बोलचाल से उनका उठ जाना भाषा का मरना है। ये जनसाधारण की सम्पत्ति होते हैं। ये व्यक्ति के अनुकूल और प्रतिकूल दोनों होते हैं। ये भाषा की सजीवता के चिह्न हैं। इसलिए विद्वान्, साहित्यिक, रसिक इन्हें अपनाते हैं।²⁷¹ काव्य-भाषा में प्रसगानुकूल विशिष्ट मुहावरों के सफल प्रयोग करने से तात्पर्य यह है कि उसमें माधुर्यं, सौन्दर्यं, ओजं, अर्थ-व्यक्ति आदि गुणों का यथेष्ट विकास हो।²⁷² मुहावरों के अभाव में भाषा अमधुर, नीरस एवं निष्प्राण बनकर अपने स्थायित्व को नष्ट कर देती है। डॉ० रमेश चन्द्र के अनु-सार भाषा यदि सुव्यवस्थित घर है, तो मुहावरे उसका प्रकाश हैं। भाषा में मुहावरों के महत्त्व की चर्चा करते हुए वे लिखते हैं कि मुहावरे भाषा के प्रौढ़ गार हैं, सुविधा एवं सौदर्यं सूष्टि अथवा भाव विकास के लिए उनका सूजन हुआ है। उनकी उपेक्षा उचित नहीं। वे उस आधार स्तम्भ के समान हैं जिनके अवलम्ब से सुविचार-मन्दिर का निर्माण सुगमता से हो सकता है। मुहावरेदार प्रयोग आमतौर से सुन्दर, सक्षिप्त और ओजपूर्ण होते हैं जिनके कारण किसी कथन का आकर्षण और सौन्दर्यं वहूत बढ़ जाता है। मुहावरों के महत्त्व के विषय में कहा जा सकता है कि यदि भाषा अच्छे-अच्छे पदार्थों से सम्पन्न एक सुसज्जित और सुव्यवस्थित घर है, तो मुहावरे उसका प्रकाश हैं। जिस प्रकार अनेक मणियों एवं रत्नों से जड़ा हुआ सुन्दर और आकर्षक घर भी प्रकाश के अभाव में अनधूकूप लगता है, उसी प्रकार अच्छे से अच्छे भावों से युक्त शुद्ध एवं सस्तुतमयी भाषा भी मुहावरेदारी के अभाव में नीरस एवं निष्प्राण लगती है, अतः बोलचाल या साहित्य दोनों भाषाओं के लिए मुहावरों का होना अति आवश्यक है।²⁷³

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर समग्रत, यह कहा जा सकता है कि लोकोक्तियाँ

एवं मुहावरे लोक-जीवन तथा साहित्यिक जगत् में गौरवपूर्ण पद पर आसीन हैं। लोकोक्तियों एवं मुहावरों का महत्त्व अनेक दृष्टियों से आका जा सकता है—इनके द्वारा जहाँ ऐतिहासिक पौराणिक तथ्यों का पता चलता है, वहाँ सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सास्कृतिक आदि तथ्य भी प्राप्त होते हैं। किसी भी राष्ट्र के अतीत का ज्ञान इनके द्वारा हो जाता है। भाषा-विज्ञान के अध्येता को लोकोक्तियों एवं मुहावरों के द्वारा भाषा की इतिहास-विषयक रोचक एवं महत्त्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध हो जाती है। वस्तुतः मुहावरे और लोकोक्तिया लोकोपचार की सर्वाधिक सुगम्भित पुष्टमाल्य एवं साहित्यिक रत्नाकर की बहुमूल्य रत्नावलि हैं। कन्नड में कहा गया है—‘गादेय मर्मं धन्नरितवनु वेदद मर्मं धन्नरितवनु’—जो जाने लोकोक्ति का मर्मं सो जाने वेद का मर्मं। ‘गादे वेदवके समान’—ये वेद के समान हैं। ‘वेद सुललादण गादे सुललागदु’—वेद भी भूठे साबित हो सकते हैं पर लोकोक्ति मूँढ नहीं हो सकती।²⁷⁴ भारतीय संस्कृति के मूलाधार एवं अपोहयेय माने वाले चतुर्वेदों से भी बढ़कर इनकी जो प्रशंसा की गई है, इसे लोकोक्तियों एवं मुहावरे के महत्त्व की पराकाण्ठा ही समझना चाहिए। ● ●

संदर्भ-संकेत

1. 'संख्त लोकोक्ति संग्रह'—पं० धरणीधर वाजपेयी, पं० बालकृष्ण भट्ट, पुरोवाक् ।
2. (क) सूर साहित्य मे प्रयुक्त लोकोक्तियों का अध्ययन—डॉ० लक्ष्मीनारायण शर्मा (अ०शो०प्र०) प्रथम अध्याय (अ)लोकोक्ति-निरूपण, पृ० ।
- (ख) श्वा० लोकु 76 दर्शने । लुलोके । लोकु अलुलोकदिति ।—सिद्धान्त कीमुदी —भट्टोजि दीक्षित, पृ० 87 तथा पृ० 348, पृ० 343
- (ग) लोक दीप्ति चु० उभ० सक० सेट । लोकयति ते अलुलुकतत् । लोक दर्शने श्वा० आ० सक० सेट । लोकते अलोकिष्ट लुत्तोके । शृदित् षडि च हस्तः । अलुलोकत् । लोक पु० लोकयतेऽप्यो लोक-धर्म ।—वाचस्पत्यम् भाग षष्ठी, पृ० 4833 ।
3. हिन्दी साहित्य का बृहत् इतिहास, पोडमा भाग, प्रस्तावना, पृ० ।
4. (क) उचित स्थ्री यज् भाष्ये वित्तन् । कथने ।
"अति संदिप्त विरन्तनोपितभिः"—मुक्तायली । "उक्तिप्रत्युक्तिनिरूपं याहो वाचयम्"—छा०भा० । "व्याहार उक्तिसंपत्तिं भाषितं वचनं वचः" इत्यमर्ट तथा शब्दशक्तीच" एव्योक्ता पुष्पवन्तो दिवाकार निशाकारी—अमर० —याचस्पत्यम् भाग द्वितीय, पृ० 1050
5. हिन्दी साहित्य कोश (भाग 1)—सम्पा० धीरेन्द्र बर्मा, पृ० 747
6. (क) जगती लोकोऽविष्टप मुवन जगत् । लोकोऽप्य भारतवर्षम् । अमररोप 2/1/6 अथो मुवन पाताल बनिसादम् रसातसम् । नागसोऽप्य... । वही 1/8/1 पोहस्तु मुवने जने—यही 31312
'भूयनारंक लोलो' शब्दस्य गरह पुराणे सज्जभेदा उपस्थगाहि'—गणसोहः प्रश्नोतिताः—मूलोकं माभिमन्ये तु भूयसोकं तदुपर्यन्ते । रवसोह एवंविदा-रवच्छिदेते यहस्तया । जनसोह वशदेते तपोसोह समाटते । गरय मोह इत्यरन्मे—इति गरह पुराणे 115/57-59 । मूर्मृदः रवन्देन च एव लोहा इत्यादि परे । वही—अमररोप परिलिप्तम् ।
(ग) मूर्मृदः रवमंहर्पेष जन॒ध तन॑ एव च । मादसोहरव गणमेने लोहाग्नु... परिलिप्ताः ॥ इत्यादिनुरागम् । कविष—मूलोहोमूर्दः रवसोहरवेनोह—

मिदमुच्यते । महजंनस्तप सत्य सप्तलोका प्रवीत्तिता ॥

—शब्द बल्पद्रुम —चतुर्थ काण्डम्, पृ० 231

- 7 हिन्दी शब्द सागर, मूल संपा० इयामसुन्दर दास, भाग 8, पृ० 4318
- 8 शू० 10/90/14
- 9 हिन्दी शब्द सागर, मूल संपा० इयामसुन्दरदास, भाग 8, पृ० 4318
- 10 अदोक का शिलालेख, पृ० 174(14) गिरिनार में ।
- 11 Folklore includes folk art, folk crafts, folk tools, folk custom, folk custume, folk belief, folk medicine, folk recipes, folk music, folk dance, folk games, folk gestures and folk speech, as well as those verbal forms of expression which have been called folk literature but which are better described as verbal art. Verbal art, which includes, such forms as folk tales, legends, myths, proverbs, riddles and poetry, has been the primary concern of folklorists from both the humanities and the social sciences since the beginning of folklore as a field of study, and it is with this principal segment of folklore that this article of concerned

European interest in folklore goes back at least to the sixteenth century and the age of exploration, but the modern study of folklore is generally considered to date from the early years of the nineteenth century, when the Grimm brothers began collecting german folktales in the field. The Folklore was first introduced in English in 1846 by William John Thoms, who urged that accounts of "manners, customs, observances, superstitions, ballads, proverbs, &c, of the olden time" be recorded in Britain for future study and for comparison with the materials which were being recorded in Germany by the Grimm brothers and other scholars."

—International Ency of Social Science, Vol 5, pp 496-497

- 12 ए॒सा॑इक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, भाग 9, पृ० 444
- 13 हिन्दी साहित्य का बूहत् इतिहास, पोडश भाग, प्रस्तावना, पृ० 9
- 14 जनपद वैमासिक, अक 1, पृ० 66
- 15 सम्प्रेक्षन वैमासिक, लोक सस्कृति विशेषाक, पृ० 65
- 16 लोके उपातिमुपागताथ सकले लोकोक्तिरेपायतो ।
दग्धाना किल वह्निना हितकर सेकोऽपि दस्योदभव ॥
—दे० सस्तुत लोकोक्ति सग्रह—प० घ० घ० वाजपेयी, प० वा० कृ० भट्ट
भूमिका ।

- 25 —A proverb is the remnant of the ancient philosophy preserved amidst very many destructions on account of its brevity and fitness of use (Aristotle)
- Jewels five words long that on the stretched forefinger of all time sparkle for ever (Tennyson)
- Proverb may be said to be judgments of wisdom (Joubert) Short sentences drawn from long experience (Cervantes)
- Short sentence into which as in rules, the ancient age have compressed life (John Agricola)
- Well-known and well used dicta framed in a sort of out way from and fashion (Erasmus)
- A proverb is the interpretation of the words of the wise (Bible)
- These Fragments of wisdom, the proverbs in the earliest ages serve as the unwritten laws of morality (Disraeli)
—देखिए राजस्थानी कहावत—दौ० कर्हैयालाल सहल, प० 19
- 26 देखिए—साहित्य-संदेश—ध्याम परमार । जून 1955, अंक 12, भाग 16, प० 445
- 27 A gnomic form^s of folk literature a short pregnant Criticism of life, based upon common experience, as (Bible) 'The book of proverbs' quite generally the product of the popular mind it was important as reflecting prevalent attitudes In Gr and Rome it often served as a vehicle of literary and dramatic criticism In longer works, it brought vividness color by compression and boldness of imagery
—Dictionary of World Literary terms—Joseph T Shipley, p 258
- 28 Proverb tells a truth or some bit of useful wisdom in a short sentence, The Language is generally picturesque and simple Only those saying which many people have used for a long time are called proverbs A man may compose a proverb that becomes a part of everyday speech But most proverbs have been created through common usage
—The World Book Encyclopaedia, V 14, p 740
- 29 While the formal definition of a proverb is difficult to frame, and every authority attempts to give his own, there is a general agreement as to the chief characteristics of proverbial sayings

Four qualities are necessary to constitute a proverb, bravity (or, as some prefer to put it, conciseness) sense, piquancy or salt (trench) and popularity

—Encyclopaedia of Religion and Ethics by James Hastings, Vol X, p. 412.

- 30 विस्तार के लिए देखिए—राजस्थानी कहावतें, पृ० 12-14
31. साहित्य-संदेश,—श्याम परमार जून 1955, अंक 12, भाग 16 पृ० 445-446
32. Brevity is the soul of wit (Hamlet)
- 33 A proverb may be said to be the abridgment of wisdom.
(Jonbert)
- 34 मुहावरा-भीमासा—डॉ० ओमप्रकाश गुप्त, पृ० 366-67
35. लोक साहित्य की भूमिका—डॉ० कृष्णदेव उपाध्याय, पृ० 136, 140-41
- 36 कन्नोजी लोक साहित्य—डॉ० सन्तराम अनिल, पृ० 204 (अवतरणिका)
37. राजस्थानी कहावतें—डॉ० कन्हैयालाल सहल, पृ० 13
- 38 सू० सा० 3316 पृ० 641, वही, 4522 पृ० 1563, सारा० 970 पृ० 160, न० प्र०
भा० द० स्क० अ० 1, पृ० 194, मो० स्वा० 487 पृ० 187, सू० सा० 4050 पृ०
1418, वही 4222 पृ० 1471, प० सा० 174 पृ० 81, च० दा० 258 पृ० 132
तथा न० प्र० भा० द० स्क० अ० 14 पृ० 233
39. देखिए—साहित्यिक मुहावरा-लोकोक्ति कोश—हरिवंशराय शर्मा, पृ० 56
- 40 देखिए—वही, पृ० 74
41. सूर साहित्य में प्रयुक्त लोकोक्तियों का अध्ययन—डॉ० लक्ष्मीनारायण शर्मा, पृ०
16 (अ० शो० प्र०)
- 42 कन्नोजी लोक-साहित्य—डॉ० सन्तराम अनिल, अवतरणिका, पृ० 204-210
43. राजस्थानी कहावतें—डॉ० कन्हैयालाल सहल, पृ० 14
44. हिन्दी गद्य-साहित्य में लोकोक्तिया और मुहावरे—डॉ० मदनलाल शर्मा, पृ० 11-19
(अ० शो० प्र०)
- 45 सू० सा० 2521 पृ० 909
46. सूर साहित्य में प्रयुक्त लोकोक्तियों का अध्ययन—डॉ० लक्ष्मीनारायण शर्मा, पृ० 18
(अ० शो० प्र०)
47. राजस्थानी कहावतें—डॉ० क० ल० सहल, पृ० 14
- 48 दे० हिन्दी गद्य-साहित्य में लोकोक्तिया और मुहावरे—डॉ० मदनलाल शर्मा, पृ०
120 (अ० शो० प्र०)
49. न० प्र०, रसमजरी, पृ० 127
- 50 न० प्र० भा० द० स्क० अ० 9 पृ० 218
51. दे० ऋषिः सू० सा० 3770 पृ० 1336, वही 4586 पृ० 1586, कु० दा० प्रकीर्ण

399 पृ० 138 तथा वही 23 पृ० 13

52 साहित्यिक मुहावरा लोकोक्ति कोश —हरिवशराय शर्मा, पृ० 290-91

53 वही, पृ० वही

54 तेलुगु और हिन्दी लोकोक्तिया—डॉ० वेंकट रमण राव, पृ० 7

55 To attain the rank of a Proverb, a saying must either spring from the masses or be accepted by the people as true. In a profound sense it must be vox populi.

—Encyclopaedia of Religion and Ethics, Hastings Vol X
p 412

56 The people voice, the voice of God we call, and what are proverbs but the public's voice? Consider first, and common made by common choice. Then surely they must have weight and truth withal. See—Proverbs Maxims & Phrases—Vol I, Robert Christy, p 1 (Preface)

57 साहित्य-सदेश—श्याम परमार। (यागरा, जून 1955, अंक 12 भाग 16, पृ० 445)

58 लोक-साहित्य—श्री इन्द्रदेव सिंह पृ० 177

59 अवधी का लोक-साहित्य—डॉ० सरोजनी रोहतगी, पृ० 108

60 कुमाऊँ का लोक साहित्य—डॉ० त्रिलोचन पाण्डेय, पृ० 219

61 सूर साहित्य में प्रयुक्त लोकोक्तियों का अध्ययन—डॉ० लक्ष्मीनारायण शर्मा, पृ० 18 19 (अ० शो० प्र०)

62 साहित्यिक मुहा०-लोको० कोण—हरिवशराय शर्मा पृ० 23

63 साहित्यिक मुहा० लोको० कोण—वही, पृ० 12

64 स० सा० 2461, प० 89 2

65 वही 2938 प० 1033

66 साहित्यिक मुहा० लोको० कोण—हरिवशराय शर्मा, पृ० 131

67 लोक-साहित्य की भूमिका—डॉ० कृष्ण देव उपाध्याय प० 141

68 There is nothing like absolute truth, all over truth are half truth (Stevenson)

Proverbs are usually but half truths and seldom contain the principle of the action they teach (T T Munger)

—विस्तार के सिए देखिए—राजस्थानी कहावतें—डॉ० कृष्णपाललाल सहस्र प० 17 18

69 Proverbs are the literature of reason or the statement of absolute truth, without qualification. Like the sacred books of each nation,

- they are sanctuary of its Institutions —८० वही, पृ० 18
- 70 साहित्य-सन्देश—श्याम परमार, आगरा, जून 55, अक 12, भाग 16, पृ० 446
- 71 वही, पृ० 447
- 72 लोक वार्ता पत्रक—वृत्तानन्द गुप्त, स० 3, पृ० 1,
- 73 पृथिवी पत्र—डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल, पृ० 111
- 74 कहावत-कोश, सम्पा० श्री मुकनेश्वर प्रसाद मिश्र एवं श्री विक्रमादित्य मिश्र, प्रस्ता-
वना, पृ० (क)
- 75 राजस्थानी कहावते—डॉ० कन्हैयालाल सहल, पृ० 20
- 76 भाषा विज्ञान कोश, पृ० 581
- 77 साहित्यक मुहा० लोबो० कोश—हरिवशराय शर्मा, पृ० 130
- 78 वही, पृ० 131
- 79 वही, पृ० 182
- 80 वही, पृ० 60
- 81 वही, पृ० 153
- 82 नम्द० प्र० शो० ली० पृ० 169
- 83 कथ्य यजभाषा में प्रचलित कहावतों और मुहावरों का अध्ययन—डॉ० रमेशचन्द्र,
पृ० 23 (अ० शो० प्र०)
- 84 वही, पृ० 48
- 85 A proverb sage and a Modern Novelist, an Elizabathen anti-
quary and a firm of house agents today These have all found a
significance in proverb
- ८० सूर साहित्य में प्रयुक्त लोकोक्तियों का अध्ययन,
—डॉ० लक्ष्मी नारायण शर्मा, पृ० 14 (अ० शो० प्र०)
- 86 हिन्दी गद्य साहित्य में लोकोक्तिया और मुहावरे, डॉ० मदनलाल शर्मा (अ० शो०
प्र०), पृ० 126
- 87 राजस्थानी कहावता, प्रो० नरोत्तमदास स्वामी व मुरलीधर ब्यास, भाग 1
अवतरणिका, पृ० 6
- 88 लोक-साहित्य की भूमिका—डॉ० कृष्णदेव उपाध्याय, पृ० 143
- 89 हिन्दी गद्य साहित्य में लोकोक्तिया एवं मुहावरे—डॉ० मदनलाल शर्मा (अ० शो०
प्र०) पृ० 128
- 90 वही, पृ० 128
- 91 साहि० मुहा० लोको० कोश—हरिवश राय शर्मा, पृ० 227
- 92 वही, पृ० 299
- 93 वही, पृ० 203
- 94 वही, पृ० 12

104 : लोकोवित और मुहावरा : स्वरूप विशेषण

- 95 दे० ब्रज लोक साहित्य का अध्ययन—डॉ० सत्येन्द्र, पूर्वपीठिका, पृ० 493-507
- 96 तुलसी-काव्य की लोकतात्त्विक सरचना—डॉ० गया सिंह, पृ० 155
- 97 लौकिक न्यायाल्जिली सी० जी० ए० जैकब, तृतीयो भाग., पृ० 2 (प्रिफेस)
- 98 मालवी कहावतें, मेहता, रतन लाल, भाग 1 का प्राकृत्यन, पृ० 2
- 99 राजस्थान कहावतें—डॉ० सहल, पृ० 29-32
100. वही, पृ० 32
- 101 वही।
- 102 कहावत कोश—सम्पादक श्री भूवनेश्वर नाथ व श्री विक्रमादित्य मिश्र, प्रस्तावना, पृ० ख-ग
- 103 दे० हिन्दी साहित्य का बृहत् इतिहास, पोडश भाग (सम्पादक राहुल साहृत्यायन, एव डॉ० कृष्णदेव उपाध्याय) —(अवधी लोक-साहित्य) —श्री सत्यद्रत अवस्थी, पृ० 190
- 104 दे० वही (छत्तीसगढ़ी लोक-साहित्य), श्री दपाशकर शुक्ल, पृ० 284
- 105 कहावत कोश—सम्पादक श्री भूवनेश्वरनाथ मिश्र व श्री विक्रमादित्य मिश्र, प्रस्तावना, पृ० ग
- 106 ब्रजलोक साहित्य का अध्ययन—डॉ० सत्येन्द्र, पृ० 83-84
- 107 विस्तार के लिए देखिए—राजस्थानी कहावतें—डॉ० सहल, पृ० 4-9
- 108 वही
109. दे० कन्नौजी लोक-साहित्य—डॉ० सत्तराम अनिल, पृ० 206-207
- 110 हिन्दी साहित्य कोश—सम्पादक डॉ० धीरेन्द्र वर्मा पृ० 446
- 111 ग्राम-साहित्य—प० रामनरेश त्रिपाठी, तृतीय भाग, पृ० 288
- 112 कुमाऊं का लोक-साहित्य—डॉ० त्रिलोचन पाण्डेय, पृ० 222-223
- 113 हिन्दी साहित्य-कोश, सम्पा० डॉ० धीरेन्द्र वर्मा, पृ० 754
- 114 भारतीय साहित्य शास्त्र कोश—डॉ० राजवश सहाय, 'हीरा' पू० 1107
115. लोकप्रवादानुकूलितर्लोकोवितरिति भव्यते ।
सहस्र कति चिन्मासान्मीलयित्वा विलोचने ॥ कुव० 157
- 116 सरस्वती कण्ठाभरण, भोज, 2/39
- 117 अग्निपुराण—6/21
- 118 अलकार शेखर—केशवमिश्र, 6/22
- 119 विस्तार के लिए देखिए—भारतीय साहित्यशास्त्र कोश—डॉ० राजवश सहाय 'हीरा', पृ० 1108
- 120 Aphorism is a short Pithy statement containing truth of general import—A treasury of English Aphorism • by Logan Pearsal Smith—P. 44
(I) Maxim is a statement of greatest weight

(II) Aphorism only states some broad truth of general bearing, a maxim besides stating the truth, enjoins a rule of conduct as its consequence—Studies in Literature by F V Morley, p 62.

Any saying of pointed character and a sting in its tail is an epigram

—विस्तार के लिए देखिए—राजस्थानी कहावतें—

डॉ० कन्हैयालाल सहल, पृ० 32-34

- 121 'बाढ़ सा प्रवाद'—डॉ० मुशील कुमार, पृ० 4
- 122 'नैतिक जगतेर सत्य हइले थो व्यावहारिक जगतेर तथ्य नये'—वही
- 123 राज० कहावतें—डॉ० सहल, पृ० 37
- 124 Introduction note to Stevenson's book of Proverb, Maxim & Familiar Phrases
- 125 कुमार का लोक-साहित्य—डॉ० पाण्डेय, पृ० 219-220
- 126 संस्कृत लोकोक्ति संग्रह—प० घरणीधर वाजपेयी, प० बालकृष्ण भट्ट, भूमिका ।
- 127 हिन्दी मुहावरे—ब्रह्मस्वरूप शर्मा 'दिनकर'
- 128 गया मुलुगात—फारसी कोश, पृ० 445
- 129 लुगातकिश्वरी, स्तम्भ 2, पृ० 439
- 130 फरहग लासिया, जिल्द चहारूम, स्तम्भ 1, पृ० 303
- 131 उर्दू-हिन्दी शब्दकोप—मुहम्मद मुस्तफा खाँ यदाह, पृ० 543
- 132 कथ्य ब्रजभाषा में प्रचलित कहावतों और मुहावरों का अध्ययन—डॉ० रमेशचंद्र, पृ० 74 (अ० शो० प्र०)
- 133 उर्दू हिन्दी शब्द कोश—मुहम्मद मुस्तफा खा मदाह, पृ० 543
- 134 मुहावरा-भीमासा—डॉ० ओम्प्रकाश गुप्त, पृ० 5-6
- 135 A Dict of English & Skt by Dr Monier Williams p 357
- 136 हिन्दी मुहावरे—प० रामदहिन मिश्र, पृ० 6
- 137 लोक-साहित्य की भूमिका—डॉ० कृष्णदेव उपाध्याय, पृ० 151-152
- 138 राजस्थानी कहावतें—डॉ० सहल पृ० 23
- 139 अच्छी हिन्दी—(कियाए और मुहावरे)—रामचन्द्र वर्मा, पृ० 164
- 140 मुहावरा भीमासा—डॉ० ओम्प्रकाश गुप्त, पृ० 12
- 141 एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, भाग 12, पृ० 60
- 142 Idiom To make a Person's own, to make proper or peculiar, Fr idiots one's own proper, peculiar, akin to skr vi asunder
(1) The Language proper or peculiar to a people (a tongue) or to a district, community, or class (a dialect)

- (2) The syntactical, grammatical, or structural form Peculiar to any language, the genius, habit, or cast of a language
- (3) An Expression established in the usage of a language that is peculiar to itself either in grammatical construction, or in having a meaning which can not be derived as a whole from the conjoined meanings of its elements
- (4) A form or form of expression characteristic of an author, as Browning's Idiom,—some times extended to individuals and school in printing music, etc
- (5) Peculiarity, special nature Now Rare

—Webster's International Dict Col 3 p 1067

143 डिक्शनरी आफ द इंग्लिश लॉगुएज पृ० 613

- (1) A mode of expression peculiar to a language Peculiarity of expression or Phraseology a phrase stamped by the usage of language or of a writer with the signification other than its grammatical or logical one
- (2) The genius or peculiar cast of a language
- (3) Dialect peculiar form variety of language

—Imperial Dict, page 555

144 Idiom

145 146 Idiom

- (1) The Form of speech peculiar of proper to a people or country, own language or tongue
 - (b) In narrower sense, the variety of a language which is peculiar to a limited district or class of people dialect
- (2) The specific character property or genius of any language the manner of expression which is natural or peculiar to it
- (3) A Form of expression grammatical construction, phrase etc Peculiar to a Language

—Murray's New English Dict Vol V PP 20-21,

147 Idiom

- 1 (a) The Form of Speech peculiar or proper to a people or country, own language or tongue

- (b) In narrower sense that variety of a language which is peculiar to a limited district or class of people, dialect,
2. The specific character, property, or genius of any language, the manner of expression which is natural or peculiar to it
 - 3 A form of expression, grammatical construction, phrase, etc to a language, a peculiarity of phraseology approved by the usage; of a language, and often having a significant other than its grammatical or logical one
 - 4 Specific form or property, peculiar nature, peculiarity

—The Oxford English Dict , Vol V P 21.

- 148 Words and Idioms, Dr L P Smith, p 167
- 149 भाषा-विज्ञान कोश—डॉ० भोलानाथ तिवारी, पृ० 524-525
- 150 हिन्दी शब्द सागर, भाग 8, मूल सम्पादक श्यामसुन्दरदास, पृ० 3986
- 151 हिन्दी मुहावरे—ब्रह्मस्वरूप दिनकर, भूमिका
- 152 अच्छी हिन्दी—क्रियाए और मुहावरे श्री राम चन्द्र वर्मा, पृ० 169-170
- 153 हिन्दुस्तानी, कप्रेल, 1940, पृ० 168
- 154 हिन्दी मुहावरे, रामनरेश श्रिपाठी, प्रस्तावना, पृ० 3-4
- 155 हिन्दी मुहावरे—प० रामदहिन मिश्र, पृ० 5-6
- 156 कथ्य ब्रजभाषा में प्रचलित कहावतों और मुहावरों का अध्ययन—डॉ० रमेशचन्द्र (अ० शो० प्र०), पृ० 65
- 157 वही
- 158 मुहावरा-मीमांसा—डॉ० लोम्प्रकाश गुप्त, पृ० 49
- 159 हिन्दी मुहावरे—डॉ० प्रतिभा अग्रवाल, पृ० 3
- 160 वही, पृ० 5
- 161 हिन्दी शब्द-सागर, बाठवा भाग, मूल सम्पा० श्यामसुन्दरदास, पृ० 3986
- 162 मुकुदमा देहो शायरी—मोलाना हाली, पृ० 142-143
- 163 अच्छी हिन्दी(क्रियाए और मुहावरे)—रामचन्द्र वर्मा, पृ० 163
- 164 विस्तार के लिए देह—बोलचाल—अयोध्यासिंह उपाध्याय, मुहावरा प्रकरण—प० 115-225
- 165 देह इन्द्र-साहित्य में लोको० और मुहा०—डॉ० मदनलाल शर्मा, पृ० 168-169 (अ० शो० प्र०)
- 166 विस्तार के लिए देखिए—भवितकासीन ब्रज साहित्य में मुहावरे—डॉ० सरोज अग्रवाल, पृ० 118-141 (अ० शो० प्र०)
167. वही, पृ० 135
- 168 वही, पृ० 136

108 लोकोक्ति और मुहावरा : स्वरूप विश्लेषण

- 169 हिन्दी शब्दानुशासन—प० किशोरीदास वाजपेयी, प० 227
- 170 गो० स्वा०—पद 23 प० 12, स० सा० 1523 प० 573 तथा वही 62 प० 21
- 171 Certain proverbs are proverbial phrases are also so firmly embedded in our colloquial speech that they may perhaps, without stretching the definition too far, be regarded as English Idioms
—Words & Idioms, Dr. L. P. Smith, p 176
- 172 हिन्दी मुहावरे—प० रामदहिन मिथ, प० 7-8
- 173 कथ्य ब्रजभाषा मे प्रचलित कहावतो और मुहावरो का अध्ययन—डॉ० रमेश चन्द्र प० 79 (अ० शो० प्र०)
- 174 सूरदास—डॉ० ब्रजेश्वर वर्मा, प० 483, चतुर्थ सस्करण
- 175 भवितकालीन ब्रज साहित्य मे मुहावरे—डॉ० सरोज अग्रवाल प० 112-113 (अ० शो० प्र०)
- 176 विहारी रत्नाकर—159, क० २०—सेनापति—41, पच—म० श० गुप्त, प० 51
- 177 सू० सा० 1923 प० 718
- 178 भोजपुरी लोकोक्तिया और मुहावरे—मुक्तेश्वर तिवारी बेसुध, प० 60-61
- 179 भवितकालीन ब्रज साहित्य मे मुहावरे—डॉ० सरोज अग्रवाल (अ० शो० प्र०) प० 112
180. मुहावरा मीमांसा—डॉ० ओम्प्रकाश गुप्त, प० 372
- 181 हिन्दी लोकोक्तिया और मुहावरे—बाबू गुलाबराय, आमुल, प० ४
- 182 हिन्दी मुहावरे—श्री कब्हृत्यरूप शर्मा 'दिनकर', विषय परिचय, प० १
183. हिन्दी मुहावरे—श्री राम नरेश त्रिपाठी, भूमिका, प० ५
184. बहावत कोश—श्री विक्रमादित्य मिथ 'माधव' प्रस्तावना, प० ३
- 185 वही, प० ८
- 186 सन्त-साहित्य (भाषापरक अध्ययन)—डॉ० प्रेम नारायण शुक्त प० 368
187. कोरबी वाक्-पद्धति और लोकोक्ति-कोश—डॉ० कृष्ण चन्द्र शर्मा, भूमिका, प० 12-13
- 188 भाषा विज्ञान कोश—डॉ० भोलानाथ तिवारी, प० 526
- 189 बोलचाल—अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिमोघ', प० 176-177
- 190 राजस्थानी कहावते—डॉ० कन्हैयालाल सहल, प० 26-27
191. मुहावरा मीमांसा—डॉ० ओम्प्रकाश गुप्ता, प० 370
192. भवितकालीन ब्रज साहित्य मे मुहावरे—डॉ० सरोज अग्रवाल, प० 114, (अ० शो० प्र०)
193. बोलचाल—भूमिका—अयोध्यासिंह उपाध्याय हरिमोघ, प० 170

- 194 भक्तिकालीन व्रज साहित्य मे मुहावरे, डॉ० सरोज अग्रवाल, पृ० 115, (अ० शो० प्र०)
- 195 कथ्य व्रजभाषा मे प्रचलित कहावतो और मुहावरो का अध्ययन—डॉ० रमेशचन्द्र, पृ० 79 (अ० शो० प्र०)
- 196 साहित्यिक मुहावरा—लोकोक्ति कोश—हरिवशराय शर्मा, पृ० 279
197. सू० सा० 4592, पू० 1584
- 198 कथ्य व्रजभाषा मे प्रचलित कहावतो और मुहावरो का अध्ययन—डॉ० रमेशचन्द्र, पृ० 83 (अ० शो० प्र०)
- 199 हिन्दी (अवधी) लोकोक्तियो का सास्कृतिक अध्ययन—डॉ० छोटे लाल द्विवेदी, पृ० 41 (अ० शो० प्र०)
- 200 राज० कहावते—डॉ० क० ला० सहल, पू० 26
- 201 भक्तिकालीन व्रज साहित्य मे मुहावरे—डॉ० सरोज अग्रवाल पू० 115, (अ० शो० प्र०)
- 202 कथ्य व्रजभाषा मे प्रचलित कहावतो और मुहावरो का अध्ययन—डॉ० रमेशचन्द्र पू० 80 (अ० शो० प्र०)
- 203 राजस्थानी कहावते—डॉ० क० ला० सहल, पू० 81
- 204 साहित्यिक मुहा० लोको० कोश—हरिवश राय शर्मा, पू० 10-11
- 205 कथ्य व्रजभाषा मे प्रचलित कहावतो और मुहावरो का अध्ययन—डॉ० रमेशचन्द्र, पू० 81 (अ० शो० प्र०)
- 206 हिन्दी (अवधी) लोकोक्तियो का सास्कृतिक अध्ययन—डॉ० छोटेलाल द्विवेदी, पू० 41 (अ० शो० प्र०)
- 207 भक्तिकालीन व्रज साहित्य मे मुहावरे—डॉ० सरोज अग्रवाल, पू० 116 (अ० शो० प्र०)
- 208 भारतीय कहावत सप्रह—सम्पा० विश्वनाथ दिनकर नरवणे, पू० 5
- 209 वही, पू० 5
- 210 राजस्थानी कहावते—डॉ० क० ला० सहल, पू० 371
- 211 विस्तार के लिए देखिए—भारतीय कहावत सप्रह, विश्वनाथ दिनकर नरवणे पू० 82-83
- 212 हिन्दी मुहावरे—डॉ० प्रतिभा अग्रवाल, पू० 78, 83 तथा 136
- 213 सू० सा० 4270, पू० 1486, 4351, पू० 1511
- 214 भारतीय कहावत सप्रह—विश्वनाथ दिनकर नरवणे, पू० 197
- 215 सू० सा० 4050 पू० 1418
- 216 प० सा० 577 पू० 256
- 217 दे० सू० सा० 1798 पू० 672, 2232 पू० 814, 2460 पू० 892, 2500 पू० 903, 2521 पू० 910, 2526, पू० 911, 3446 पू० 1194।

110 लोकोक्ति और मुहावरा सर्वप्रथम विश्लेषण

218 वही सू० सा० 4144 पू० 1447, 4348 पू० 1510

219 हिन्दी भवित-साहित्य में लोक तत्त्व—डॉ० रवीन्द्र भट्टर, पृ० 191

220 देखिए—प्रजलोक साहित्य का अध्ययन—डॉ० सत्येन्द्र, विषय प्रवेश, पृ० 2

221 Folklore is not something far away and longage, but real and living among us —Here the past has some thing to say to the present and bookless world that likes to read about itself, concerning our basic, oral and democratic culture as the root of arts and as a sidelight on history

—American Folklore (Pocket Book) p 15

222 (A) Folk-lore may be said to include all the culture of people, which has not been worked in to the official religion and history, but which is and always been of self growth

—Psychology and Folklore by

R R Marey, p 76

(B) Modern researches in to the early history of man, conducted on different lines have converged with almost irresistible Force on the conclusion, that all civilized races have at some period or other emerged from a state of savagery resembling more or less closely the state in which many backward races have continued to the present time; and that long after the majority of man in a community have ceased to think and act like savages, not a few traces of the old ruder modes of life and thought survive in the habits and institution of the people Such survivals are included under the head of folklore which, in the broadest sense of the word, may be said to embrace the whole body of a people traditional beliefs and customs, so far as these appear to be due to the collective action of 'the multitude' and can not be traced to the individual of great men

(C) —Frazer man and God and Immortality, p 42
Myth arose in savage condition prevalent in remote ages among the whole human race, it remains comparatively unchanged among the modern rude tribes who have de-

parted least from these primitive conditions, while even higher and later grades of civilization, partly by retaining its actual principles, partly by carrying on its imperfect results in the form of ancestral tradition, have continued it not merely in toleration but in honour

—Tylor, Primitive Culture, Vol 1, p 283

Quoted in poetry and Myth Prescott, p 13

(D) Folklore means the study of survivals of early custom, belief, narrative and art

—An Introduction to Mythology by Lewis Spence, p 11
विस्तार के लिए दें भारतीय साहित्य आगरा वि० वि० हिन्दी विद्यापीठ
का प्रमुख पत्र, अक्टूबर, 1956, वर्ष 1 अंक 4 पृष्ठ 1-3।

223 Indeed the notion that man began with pure moral and religious ideas and a sensible language but gradually became possessed by a licentious imagination and so formed untrue and unlovely conceptions, has been quite given up, and we see instead that he began with the crudest dreams and Fancies, which were by a long, natural and (in general) healthy growth gradually elevated and refined

—Poetry and myth by Presscot p 101

द्रष्टव्य, वही पृ—2

224 द्रष्टव्य वही

225 Every tradition...Myth and story contains two perfectly independent elements—the fact upon which it is founded and the interpretation of the Fact which is founders have attempted

—Gomm Folklore as an Historical Science, p 10

It need to be said again that the art business has two sides to it First the subject, and second the way in which the subject is treated

—Famous Artists their models by
Thomas Craven, p x

द्रष्टव्य, वही, पृष्ठ—3

226 मर्यो न योद्यामस्येति पदचात् । शृ० 1/115/2

227 द्रज सोक-साहित्य का अध्ययन, डॉ० सत्येन्द्र, पृ० 2

- 228 पृथिवीपुत्र—डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल, पृ० 85 (लोकवार्ताशास्त्र)
- 229 द्व० भजलोक-साहित्य का अध्ययन—डॉ० सत्येन्द्र, पृ० 5
- 230 वही, पृ० 8
- 231 लोक कला मूल्य और सदर्म—डॉ० महेन्द्र भानावत, भूमिका, डॉ० सत्येन्द्र, पृ० 3
- 332 भारतीय साहित्य—आगरा वि० वि० हिन्दी विद्यापीठ का प्रमुखपत्र, अक्टूबर 1956, वर्ष 1, अंक 4, पृ० 3
- 233 लोक कला मूल्य और सन्दर्भ—डॉ० महेन्द्र भानावत, भूमिका, पृ० 3 4
- 234 वही।
- 235 वही।
- 236 सूर साहित्य मे प्रयुक्त लोकोक्तियो का अध्ययन—डॉ० लक्ष्मीनारायण शर्मा, पृ० 38 (अ०शो० प्र०)
- 237 कथ्य भ्रजभाषा मे प्रचलित कहावतो और मुहावरो का अध्ययन—डॉ० रमेश चन्द्र पृ० 66 (अ०शो० प्र०)
- 238 राजस्थानी कहावता—प्रो० न० दा० स्वामी, प० मु० ध० व्यास, अवतरणिका, पृ० 3
- 239 तुलसी-काव्य की लोक-तात्त्विक सरचना—डॉ० गया सिंह, पृ० 155
- 240 हरियाणा लोक-साहित्य सास्कृतिक सन्दर्भ—डॉ० भीमसिंह भलिक, पृ० 76-77
- 241 कौरवी वाक् पढ़ति और लोकोक्ति-कोश—डॉ० कृष्ण चन्द्र शर्मा, पृ० 5-6
- 242 सम्मेलन पत्रिका—स० प० रामप्रताप त्रिपाठी—भाग 59, सख्ता 4, आश्विन-मार्गशीर्ष, ब्रैमसिंक (विविधा), पूर्वी भ्रज की वाक् पढ़तिया, पृ० 91
- 243 हिन्दी गद्य-साहित्य मे लोकोक्तिया और मुहावरे—डॉ० मदनलाल शर्मा पृ० अ, दो शब्द (अ० शो० प्र०)
- 244 सूर साहित्य मे प्रयुक्त लोकोक्तियो का अध्ययन—डॉ० लक्ष्मी नारायण शर्मा पृ० 46 (अ०शो० प्र०)
- 245 हिन्दी (अवधी) लोकोक्तियो का सास्कृतिक अध्ययन—डॉ० छोटेलाल द्विवेदी पृ० 43 (अ०शो० प्र०)
- 246 कथ्य भ्रजभाषा मे प्रचलित मुहावरे और कहावतो का अध्ययन—डॉ० रमेशचन्द्र पृ० 51, 53 (अ०शो० प्र०)
- 247 भोजपुरी लोकोक्तियो का अध्ययन—डा० शशि लेखर तिवारी, प० 74 (अ०शो० प्र०)
- 248 हरियाणा लोक-साहित्य सास्कृतिक सन्दर्भ, डॉ० भीमसिंह भलिक प० 85
- 249 हिन्दुस्तानी स० रामचन्द्र टण्डन (हिन्दुस्तानी एकेडेसी, सयुक्त प्रान्त, इलाहाबाद, अंक 2, भाग 9—‘भोजपुरी लोकोक्तिया’—डॉ० उदयनारायण तिवारी), पृ० 19
- 250 लोकवार्ता पत्रक, लेखक श्री कृष्णानन्द गुप्त, स० 3, पृ० 1

251. पृथिवीपुत्र—डॉ० वासुदेव शारण अग्रवाल, पृ० 111
- 252 शोध-पत्रिका—मालवी कहावते—सम्पा० रत्नलाल मेहता। साहित्य शोध संस्थान, राजस्थान वि०वि०, भाग 3, अक 3, चैत्र, पृ० 151,
- 253 कहावती की कहानिया —डॉ० सुनीति कुमार चाटुर्ज्या, पृ० 5, भूमिका
254. राजस्थानी कहावते —डॉ० क० ला० सहल, पृ० 2
- 255 लोकवार्ता पत्रक,—कृष्णनन्द गुप्त स० 3, पृ० 1
- 256 Dictionary of Bible pp. 767-768.
257. कहावत-कोश —श्री विक्रमादित्य मिथ्र, प्रस्तावना, (6)
- 258 तेलुगु और हिन्दी लोकोक्तियों का तुलनात्मक एवं भाषा वैज्ञानिक अध्ययन—
डॉ० के० वी० वी० एल० नरसिंह राव, पृ० 6 (अ० शो० प्र०)
- 259 भाजभारती, “कहावती द्वारा मानव जीवन की अभिव्यक्ति।” वर्ष 3, अक 4,
पृ० 3
- 260 राजस्थानी कहावता—प्रो० न० दा० स्वामी, प० म० ध० व्यास प्र० भा०
अवतरणिका, पृ० 45
- 261 कर्नात्की लोक-साहित्य—डॉ० सन्तराम अनिल, अवतरणिका, पृ० 204-210
- 262 लेखक और कला, कौन्स तौतित प्रे-दिन, अनु० अमृतराम, पृ० 49 दै० आलो-
चना, अकट० 1954,
263. रमणीयार्थ प्रतिपादक • शब्द : काव्यम्—रसगगाघर 1/1
- 264 ह्रीरेस की काव्यकला, सम्पा० डॉ० महेन्द्र चतुर्वेदी, पृ० 12
- 265 R A Scott James : Making of Literature, p. 104.
266. तेलुगु और हिन्दी लोकोक्तियों का तुलनात्मक एवं भाषा वैज्ञानिक अध्ययन—
के० वी० वी० एल० नरसिंहराव, प० 6 (अ० शो० प्र०)
- 267 ‘राजस्थान भारती’, शीर्षक ‘राजस्थानी हिन्दी शब्दकोश’—‘स्लोट’ शब्द और
उसके मुहावरे—स० बद्रीप्रसाद साकारिया, जुलाई, 1956, अक 3-4, प० 152
268. हड्डीती कहावते—डॉ० नाथूलाल पाठक, भूमिका
269. हिन्दी गद्य साहित्य में लोकोक्तियां और मुहावरे—डॉ० मदन लाल शर्मा, प०
172-173 (अ० शो० प्र०),
270. सन्त साहित्य-(भाषापरक अध्ययन) -डॉ० प्रेम नारायण दुखल, प० 368
- 271 हिन्दी मुहावरा कोश—सरहिन्दी, प्रस्तावना
272. हिन्दी मुहावरे—प० रामदहिन मिथ्र, भूमिका, प० 15
- 273 कथ्य भजभाषा में प्रचलित कहावतों और मुहावरों का अध्ययन—डॉ० रमेश छन्द
प० 74 (अ० शो० प्र०)
- 274 भारतीय कहावत सम्बन्ध—सम्पा० विश्वनाथ दिनकर नरवणे, भूमिका, प० 3-4

द्वंद्वी-संकेत

1. 'सस्कृत लोकोविन संग्रह'—प० धरणीधर वाजपेयी, प० बालकृष्ण भट्ट, पुरोवाक् ।
2. (क) सूर साहित्य मे प्रयुक्त लोकोवितयों का अध्ययन—डॉ० सरमीनारायण शर्मा (अ० शो० प्र०) प्रथम अध्याय (अ) लोकोवित-निष्पाण, प० ।
(ख) श्वा० लोक॑ 76 दर्शने । लुलोके । लोक अलुलोकदिति ।—सिद्धान्त कीमुद्दी—भट्टोजि दीक्षित, प० 87 तथा प० 348, प० 343
(ग) लोक दीप्ती च० उभ० सक० सेट् । लोकयति ते अलुलुकत् (त) । लोक दर्शने श्वा० आ० सक० सेट् । लोकते अलोकिष्ट लुत्तोके । अदित् चडि च हस्यः । अलुलोकत् (त) । लोक पु० लोकयतेऽसौ लोक-घब् ।—वाचस्पत्यम् भाग पष्ठ, प० 4833 ।
3. हिन्दी साहित्य का बृहत् इतिहास, पोडश भाग, प्रस्तावना, प० ।
4. (क) उक्ति स्त्री वच् भावे वित्तन् । कथने ।
“अति सक्षिप्त चिरन्तनोवित्तभिः”—मुक्तावली । “उक्तिप्रत्युक्तिरूपं वाको वाक्यम्”—छा० भा० । “व्याहार उक्तिरूपितं भावितं वचनं वचः” इत्यमर्यः तथा शब्दशक्ती च” एकयोक्ता पुष्टवन्ती दिवाकरनिशाकरी—अमर० —वाचस्पत्यम् भाग द्वितीय, प० 1050
5. हिन्दी साहित्य कोश (भाग 1)—सम्पा० धीरेन्द्र वर्मा, प० 747
6. (क) जगती लोकोविष्टपं भुवनं जगत् । लोकोऽय भारतवर्षम् । अमरकोष 2/1/6 अधो भुवनपातालं वलिसदम् रसातलम् । नागलोकोऽय... । वही 1/8/1 लोकस्तु भुवने जने—वही 31312
‘भुवनार्थं लोक शब्दस्य गरुड पुराणे सप्तभेदा उक्तास्तथाहि’—सप्तलोकाः प्रकीर्तिताः—भूलोकं नाभिमध्ये तु भुवलोकं तदूच्छ्वर्णके । स्वलोकं हृदये विद्य-त्कण्ठदेशे महस्तथा । जनलोकं वक्त्रदेशे तपोलोकं सलाटके । सत्य लोकं ब्रह्मरन्ध्रे—इति गरुड पुराणे 115/57-59 । भूर्भवः स्वभदेन श्रय एव लोका इत्यपि परे । वही—अमरकोष परिशिष्टम् ।
(ख) भूर्भुवः स्वर्म्महस्तव जनश्च तप एव च । सत्यलोकश्च सप्ततीते लोकास्तु... परिकीर्तिता । इत्यनिपुराणम् । अपि च—भूलोको भुवः स्वलोकस्त्रैलोक-

98 : लोकोक्ति और मुहावरा : स्वरूप विश्लेषण

मिदमुच्यते । महजंनस्ताप सत्यः सप्तलोकाः प्रकीर्तिता. ॥
—शब्द कल्पद्रुमः—चतुर्थं काण्डम्, पृ० 231

7. हिन्दी शब्द सागर, मूल सम्पा० श्यामसुन्दरदास, भाग 8, पृ० 4318
8. क्र० 10/90/14
- 9 हिन्दी शब्द सागर, मूल सम्पा० श्यामसुन्दरदास, भाग 8, पृ० 4318
10. अशोक का शिलालेख, प० 174(14) गिरिनार मे॑ ।
11. Folklore includes folk art, folk crafts, folk tools, folk custom, folk costume, folk belief, folk medicine, folk recipes, folk music, folk dance, folk games, folk gestures and folk speech, as well as those verbal forms of expression which have been called folk literature but which are better described as verbal art. Verbal art, which includes, such forms as folk tales, legends, myths, proverbs, riddles, and poetry, has been the primary concern of folklorists from both the humanities and the social sciences since the beginning of folklore as a field of study, and it is with this principal segment of folklore that this article of concerned.

European interest in folklore goes back at least to the sixteenth century and the age of exploration, but the modern study of folklore is generally considered to date from the early years of the nineteenth century, when the Grimm brothers began collecting german folktales in the field. The Folklore was first introduced in English in 1846 by William John Thoms, who urged that accounts of "manners, customs, observances, superstitions, ballads, proverbs, &c, of the olden time." be recorded in Britain for future study and for comparison with the materials which were being recorded in Germany by the Grimm brothers and other scholars."

—International Ency. of Social Science, Vol. 5, pp 496-497.

12. एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, भाग 9, पृ० 444
- 13 हिन्दी साहित्य का दृहत् इतिहास, पोषण भाग, प्रस्तावना, पृ० 9
14. जनपद नैमासिक, अंक 1, पृ० 66
15. सम्मेलन नैमासिक, लोक सस्कृति विशेषाक, पृ० 65
16. लोकोक्तिमुण्डताप सकले लोकोक्तिरेपा यतो ।
दग्धाना विल वहिना हितकर्त सेकोडपि तस्योद्भवः ॥
—दै० सस्तृत लोकोक्ति राग्रह—प० ध० ध० वाजपेयी, १० धा० द३० भट्ट,
भूमिका।

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
18	9,10	इस प्रकार पढ़े—नाम्या आसीदन्तरिक्ष शीर्णो द्यौः समवर्तत । पद्म्या भूमिदिशः थोन्नात्तथा लोकां अकल्पयन् ॥	
21	20	ordspark	ordsprak
22	5	पुरपस्य	पुरपस्य
22	11	वत	वत
22	12	जीवन्त मानन्दो	जीवन्तमानन्दो
22	19	पिण्डमुत्सृज्य	पिण्डमुत्सृज्य
25	4	इसकी	इस
27	28	सारगभिता	सारगभिता
32	29	ग्रामीण क्षेत्र से इतर—यहाँ 'प्रश्न' शब्द न पढ़ें ।	
35	10	को	के
36	35	इस प्रकार पढ़े—‘सूच्यप्रं नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव ।’	
37	32	पक	पंकं
41	5	फूलैडारि	फूलैफूलैडारि
42	30	संविप्ततादि	संविप्ततादि
46	14,16	क्षणेक मात्र	क्षणेकमात्रं
46	17,18	इस प्रकार पढ़े—‘वराटकान्वेषणे प्रवृत्ताश्चतामणि लब्धवान् ।	
46	21	धूमेनाम्निरिवावृताः	धूमेनाम्निरिवावृताः
47	3	आभाणक	आभाणक
49	1	'कथावत'	'कथावत्'
51	21	सीलयित्वा	मीलयित्वा
51	33	यत्पोटामतोक्ति	मत्तपोटा मत्तोक्ति
52	4	छायामिच्छुद्दन्ति	छायामिच्छन्ति
53	9	उपदेशात्मक	उपदेशात्मकता

१८५

पृष्ठ	परित	अनुद्द	शुद्ध
54	9	नीतिकता	व्यावहारिकता
57	13	ईदूश	ईदूश
62	16	आदि कुछ	आदि के कुछ
62	26	गुण अभाव	गुण के अभाव
64	6	दूसरा	दूसरा
68	3	गहो	गहो
70	24	फरि	फेरि
73	23	प्रदर्शित	प्रदर्शन
74	10	पामरा	पामरो
75	4	शब्दों न्यूनाधिक्य	शब्दों वा न्यूनाधिक्य
75	8	नाच	नाचे
76	1	जिहा	जिहा
78	8	Frailty	Frailty
78	21	Wether	Wetter
78	22	da boa	da ba boa
78	25	EL melon, concer	EL Melon, conocer
79	1	इस प्रकार पड़े—...पुरुषस्य भास्य देवो न जानाति, कुतो मनुष्य ।	
79	27	यद	यैद
81	9	अविश्वास	विश्वास
89	27	यदि हास्तितदन्यत्र	यदिहास्ति तदन्यत्र
101	11	पृष्ठ 136	पृष्ठ 137
104	25	भव्यत	मध्यते
106	12	पृष्ठ 613	पृ० 713
106	20	मदमें मर्दा 144. Idiom को परित स० 13 में मदमें क प्रारम्भ में पड़े ।	
106	21	मदमें मर्दा 145-146 वे रूपाएँ पर 145 पड़े ।	
106,107—		मदमें मर्दा 147-164 तमातुमार 146-163 पड़े ।	
107	27	पृष्ठ 163	पृष्ठ 173
108	14	पृष्ठ 51	पृष्ठ 53
108	31	रू० ओम्प्रकाश मुला	रू० ओम्प्रकाश मुल
112	34	पृष्ठ 19	पृष्ठ 16

